

**अध्याय-।**

**सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र  
(गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)**



## अध्याय-1

### सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-सा क्षे उ)

#### 1.1 परिचय

##### 1.1.1 बजट परिचय

राज्य में 63 सरकारी विभाग एवं 41 स्वायत्त निकाय हैं। वर्ष 2012-17 के दौरान राज्य सरकार के बजट आकलन और व्यय की स्थिति निम्न तालिका-1.1.1 में दी गयी है।

तालिका-1.1.1: वर्ष 2012-17 के दौरान राज्य सरकार का बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
	बजट आकलन	व्यय	बजट आकलन	व्यय	बजट आकलन	व्यय	बजट आकलन	व्यय	बजट आकलन	व्यय
<b>राजस्व व्यय</b>										
सामान्य सेवाएं	5,443.94	5,372.23	6,804.28	6,182.04	8,157.61	7,402.28	8,910.83	8,409.98	11,129.62	9,934.09
सामाजिक सेवाएं	6,856.51	6,095.84	7,766.53	7,298.01	10,555.22	9,223.69	11,386.47	9,926.69	14,217.69	10,528.57
आर्थिक सेवाएं	2,568.74	1,995.29	2,755.73	2,067.95	4,271.41	3,856.47	4,394.41	3,983.21	5,648.75	3,902.66
सहायता अनुदान एवं अंशदान	847.92	496.86	727.66	668.41	807.79	681.27	1,046.63	766.56	1,254.33	906.18
<b>योग (1)</b>	<b>15,717.11</b>	<b>13,960.22</b>	<b>18,054.20</b>	<b>16,216.41</b>	<b>23,792.03</b>	<b>21,163.71</b>	<b>25,738.34</b>	<b>23,086.44</b>	<b>32,250.39</b>	<b>25,271.50</b>
<b>पूँजीगत व्यय</b>										
पूँजीगत परिव्यय	3,653.48	3,542.09	4,874.19	3,712.03	4,591.37	4,939.01	4,004.85	4,217.38	5,744.36	4,954.22
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	264.05	272.57	248.66	277.99	212.59	150.97	172.67	83.15	395.22	165.05
लोक ऋण का पुनर्भूगतान	2,297.13	1,472.21	2,152.79	1,316.81	1,757.79	893.89	2,776.79	1,996.56	2,032.23	1,127.40
आकस्मिकता निधि	40.00	32.07	40.00	194.48	180.00	194.15	175.00	385.46	205.00	227.70
लोक लेखों का संवितरण	12,872.30	20,961.24	14,212.33	25,190.33	15,683.06	33,534.94	16,247.59	36,536.73	6,602.72	26,607.34
अन्तिम रोकड़ शेष	-	1,945.54	-	2,433.41	-	1,772.02	-	1,462.80	0.00	2,785.95
<b>योग (2)</b>	<b>19,126.96</b>	<b>28,225.72</b>	<b>21,527.97</b>	<b>33,125.05</b>	<b>22,424.81</b>	<b>41,484.98</b>	<b>23,376.90</b>	<b>44,682.08</b>	<b>14,979.53</b>	<b>35,867.66</b>
<b>महायोग (1+2)</b>	<b>34,844.07</b>	<b>42,185.94</b>	<b>39,582.17</b>	<b>49,341.46</b>	<b>46,216.84</b>	<b>62,648.69</b>	<b>49,115.24</b>	<b>67,768.52</b>	<b>47,229.92</b>	<b>61,139.16</b>

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त लेखों।

##### 1.1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का उपयोग

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान राज्य का कुल व्यय<sup>1</sup> ₹17,775 करोड़ से बढ़ कर ₹30,391 करोड़ हो गया। राज्य सरकार का राजस्व व्यय वर्ष 2012-13 में ₹13,960 करोड़ से वर्ष 2016-17 में 81 प्रतिशत से बढ़कर ₹25,272 करोड़ हो गया।

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान कुल व्यय में 79 से 84 प्रतिशत राजस्व व्यय सम्मिलित था जबकि इस अवधि में पूँजीगत व्यय 15 से 20 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान, राजस्व व्यय 15 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा, जबकि 2012-13 से 2016-17 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 13 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ीं।

<sup>1</sup> कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं।

### 1.1.3 राज्य सरकार के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अन्तरित निधियां

विगत वर्षों में भारत सरकार (भा स) द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे प्रचुर मात्रा में निधियां अन्तरित की गईं। भा स द्वारा क्रियान्वयन अभिकरणों को प्रत्यक्ष अन्तरण वर्ष 2014-15 से समाप्त कर दिया गया। तथापि, भा स द्वारा कुल ₹ 1,629.70 करोड़ की धनराशि, केंद्रीय क्रियान्वयन अभिकरणों को सम्मिलित करते हुए, राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे अंतरित की गई, जिसमें से ₹ 719.50 करोड़ (44.15 प्रतिशत) की धनराशि राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की गई। राज्य के बजट से बाहर के लेन देन होने के कारण इन राशियों की लेखापरीक्षा नहीं की गई।

### 1.1.4 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भारत सरकार से वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण निम्न तालिका-1.1.2 में दिया गया है।

तालिका-1.1.2: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आयोजनेत्तर अनुदान	869	981	944	1,043	824
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	3,040	3,558	4,083	1,173	1,532
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	8	13	99	609	843
केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	540	523	1,879	2,479	3,035
<b>योग</b>	<b>4,457</b>	<b>5,075</b>	<b>7,005</b>	<b>5,304</b>	<b>6,234</b>
गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि/कमी की प्रतिशतता	9	14	38	(-) 24	18
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	28	29	35	25	25

वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान भा स से प्राप्त सहायता अनुदान में वृद्धि देखी गई किन्तु वर्ष 2015-16 में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 1,701 करोड़ (24.28 प्रतिशत) की कमी आई है। गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान भा स से सहायता अनुदान की प्राप्तियों में ₹ 930 करोड़ (17.53 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (₹ 556 करोड़), राज्य आयोजनागत योजनाओं (₹ 359 करोड़) एवं केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं (₹ 234 करोड़) हेतु अनुदान में वृद्धि हुई। आयोजनेत्तर अनुदान ₹ 219 करोड़ घट गये थे।

### 1.1.5 लेखापरीक्षा की आयोजना एवं सम्पादन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं, जिसमें पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ ही साथ मीडिया रिपोर्टों को भी ध्यान में रखने के अतिरिक्त, उनकी गतिविधियों की विकटता/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियन्त्रण और हितधारकों की चिंताएं, के जोखिम निर्धारण से प्रारम्भ होती है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति और सीमा का निर्णय लिया जाता है एवं एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरान्त, लेखापरीक्षा आपत्तियों को सम्मिलित करते हुए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (ले प प्र) लेखापरीक्षित इकाईयों के अध्यक्षों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि वह इस पर एक माह के भीतर अपनी आख्या प्रस्तुत करें। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा आपत्तियों का या तो निस्तारण कर लिया जाता है या पुनः अनुपालन हेतु आगामी कार्यवाही के लिए सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को ले प प्र में समाहित करने हेतु संसाधित किया जाता है जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड के द्वारा राज्य के 343 आहरण और संवितरण अधिकारियों और नौ स्वायत्त निकाय की इकाईयों की अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पादित की गई। इसके अतिरिक्त, दो निष्पादन लेखापरीक्षाएँ भी सम्पादित की गईं।

### 1.1.6 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ और लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने, विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के क्रियान्वयन के साथ ही साथ चयनित विभागों के आन्तरिक नियन्त्रण की गुणवत्ता से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण कमियों, जिनसे कार्यक्रमों की सफलता और विभागों के कार्यकलाप पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा, की जानकारी दी। यह विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा और सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु एवं नागरिकों को सेवा प्रदान करने में सुधार लाने के लिए कार्यकारी को उपयुक्त सिफारिशें पेश करने पर केन्द्रित थी।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा और लेखा अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार, विभागों से अपेक्षित है कि प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप प्रस्तारों को जिन्हें भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है, के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रियाएँ छः सप्ताह के अन्दर दें। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के व्यक्तिगत संज्ञान में यह भी लाया जाता है कि ऐसे प्रस्तारों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने की सम्भावना की दृष्टि से, जिसे उत्तराखण्ड विधानसभा में रखा जाना है, यह वांछनीय होगा कि इस प्रकरण में उनकी टिप्पणियों को इसमें सम्मिलित किया जाये। प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों और प्रस्तारों को सम्बन्धित अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को भी उनके उत्तर प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। 31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, दो निष्पादन लेखापरीक्षाएँ<sup>2</sup> और एक अनुवर्ती लेखापरीक्षा सहित 14 लेखापरीक्षा प्रस्तारों को सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवों को भेजा गया। तथापि, एक मात्र प्रकरण<sup>3</sup> में सरकार का औपचारिक उत्तर प्राप्त हुआ है (दिसम्बर 2017)।

<sup>2</sup> गंगा नदी का जीर्णोद्धार, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम।

<sup>3</sup> चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

### 1.1.7 लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गयी वसूलियाँ

राज्य सरकार के विभागों के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आई वसूलियों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पुष्टि के लिए एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को सूचित करने के लिए संदर्भित किया गया। लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वर्ष 2016-17 के दौरान अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पितौरागढ़ द्वारा ₹ 70.55 लाख की वसूली की गई।

### 1.1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सरकार की जवाबदेही

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, विहित नियमों एवं क्रियाविधियों के अनुसार लेन-देनों की नमूना जाँच एवं महत्वपूर्ण लेखाभिलेखों एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण की जाँच द्वारा सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण सम्पादित करते हैं। इन निरीक्षणों के पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन (नि प्र) जारी किये जाते हैं। कार्यालयाध्यक्षों एवं उच्च प्राधिकारियों से अपेक्षित है कि वे नि प्र की प्राप्ति के एक माह के भीतर अपनी अनुपालन आख्या से महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड को अवगत करवाएँ। गम्भीर अनियमितताओं को कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा लम्बित नि प्र पर अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से कार्यालयाध्यक्षों के संज्ञान में लाया जाता है।

31 मार्च 2017 को नमूना लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित 3,067 नि प्र में निहित 8,552 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ बकाया थीं, जिसका विवरण निम्न तालिका-1.1.3 में दिया गया है।

तालिका-1.1.3: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/प्रस्तर

क्रम सं.	क्षेत्र का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन <sup>4</sup>	प्रस्तर	सम्मिलित राशि (₹ करोड़ में)
1.	सामाजिक क्षेत्र	1,705	5,452	10,415.13
2.	सामान्य क्षेत्र	429	843	913.00
3.	आर्थिक क्षेत्र (गैर-सा क्षेत्र)	933	2,257	6,947.76
<b>योग</b>		<b>3,067</b>	<b>8,552</b>	<b>18,275.89</b>

नि प्र एवं उनमें सम्मिलित प्रस्तरों के निस्तारण की प्रगति में तेजी एवं अनुश्रवण के लिए सरकार ने लेखापरीक्षा समितियाँ गठित की हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान, लेखापरीक्षा समितियाँ की 19 बैठकें आयोजित हुईं, जिसमें 91 प्रस्तर निस्तारित हुए। विभागीय अधिकारी विहित समय सीमा के अंदर नि प्र पर उचित कार्यवाही करने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेही की कमी रही।

यह संस्तुति की जाती है कि सरकार लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर शीघ्र और उचित प्रतिक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकरण की जाँच कर सके।

<sup>4</sup> बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/प्रस्तर 2006-07 से लिए गये हैं।

### 1.1.9 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

#### 1.1.9.1 स्वप्रेरित कृत कार्यवाही टिप्पणियों (कृ का टि) का प्रस्तुतिकरण

लोक लेखा समिति की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रदर्शित समस्त लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर स्वप्रेरित कार्यवाही शुरू करनी चाहिए इनको लोक लेखा समिति द्वारा जाँच हेतु लिया गया हो या नहीं। राज्य विधानमण्डल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति के तीन महीने के भीतर विभागों को भी उनके द्वारा की गई सुधारात्मक कृत कार्यवाही या प्रस्तावित कार्यवाही को दर्शाते हुए, विस्तृत टिप्पणियाँ, जिसकी यथोचित रूप से लेखापरीक्षा द्वारा जाँच की जाती है, प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

तथापि, यह देखा गया कि 31 मार्च 2017 तक, वर्ष 2000-01 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में सम्मिलित 371 लेखापरीक्षा प्रस्तरों में से 46 विभागों के 130 लेखापरीक्षा प्रस्तरों के संबंध में स्वप्रेरित कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई थीं (जैसाकि **परिशिष्ट-1.1.1** में वर्णित है)। वर्ष 2015-16 हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को 2 मई 2017 को विधानसभा के पटल पर रखा गया था। इससे सम्बन्धित कृत कार्यवाही व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं (दिसम्बर 2017)।

#### 1.1.9.2 लो ले स की अनुशंसा पर कृत कार्यवाही

लो ले स द्वारा लेखापरीक्षा प्रस्तर, जिन पर उनके द्वारा चर्चा की गई, के संबंध में की गई टिप्पणियों/अनुशंसाओं पर, कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ, जिनकी महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के द्वारा यथोचित जाँच की गई, ऐसी की गई टिप्पणियों/संस्तुतियाँ की तिथि से छः माह के अंदर समिति को प्रस्तुत करनी होती हैं। वर्ष 2000-01 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में सम्मिलित 371 लेखापरीक्षा प्रस्तरों में से लोक लेखा समिति द्वारा 31 मार्च 2017 तक केवल 221 लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर चर्चा की गई। लोक लेखा समिति के द्वारा 124 लेखापरीक्षा प्रस्तरों के संबंध में संस्तुतियाँ की गई हैं। समिति की संस्तुतियों पर राज्य सरकार की ओर से छः प्रस्तरों पर कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ लम्बित हैं।

#### 1.1.10 स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानसभा में रखने की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकाय स्थापित किये गये हैं। इन निकायों में से कईयों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा की जाती है एवं उनके लेन-देनों, परिचालन गतिविधियाँ और लेखों, विनियामक मुद्दों, आंतरिक नियन्त्रण आदि की जाँच की जाती है। राज्य में एक स्वायत्त निकाय (उत्तराखण्ड जल संस्थान) के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी (मई 2012) गई है। वर्ष 2014-15 के लिए लेखापरीक्षा द्वारा

जारी उत्तराखण्ड जल संस्थान की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ ले प्र) राज्य विधानसभा के समक्ष अभी तक रखा जाना शेष है।

### 1.1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुद्रित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं प्रस्तरों का वर्ष-वार विवरण

पिछले दो वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुद्रित निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा प्रस्तरों का उनकी मुद्रा मूल्य सहित वर्ष-वार विवरण निम्न तालिका-1.1.4 में दिया गया है।

तालिका-1.1.4: वर्ष 2014-16 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मुद्रित निष्पादन लेखापरीक्षाओं और प्रस्तरों के सम्बन्ध में विवरण

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा		प्रस्तर		प्राप्त उत्तर	
	संख्या	मुद्रा मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	मुद्रा मूल्य (₹ करोड़ में)	निष्पादन लेखापरीक्षा	प्रस्तर
2014-15	03	371.70	12	135.00	03	10
2015-16	02	124.08	17	170.76	02	निरंक

इस अध्याय में ₹ 151.09 करोड़ की मुद्रा मूल्य की दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं और 10 लेखापरीक्षा प्रस्तरों को सम्मिलित किया गया है। प्रत्युत्तरों को, जहाँ कहीं भी प्राप्त हुए, उचित स्थानों पर सम्मिलित किया गया है।



## निष्पादन लेखापरीक्षा

### पेयजल विभाग

#### 1.2 गंगा नदी का जीर्णोद्धार

भारत सरकार (भा स) ने गंगा नदी की सफाई के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान (गं ए प) की शुरुआत की थी। तत्पश्चात, गंगा में प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और न्यूनीकरण एवं नदी का जीर्णोद्धार करके इसकी प्राकृतिक और प्राचीन स्थिति हेतु प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा गंगा नदी के लिए एक सशक्त योजना, वित्तपोषण, अनुश्रवण और समन्वय प्राधिकरण के रूप में 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' (एन जी आर बी ए) की स्थापना (2009) की थी। भारत सरकार द्वारा गंगा नदी एवं इसकी सभी सहायक नदियों का जीर्णोद्धार करने के लिए एक सम्पूर्ण अवधारणा के रूप में नमामि गंगे कार्यक्रम का अनुमोदन (13 मई 2015) किया गया। गंगा नदी के जीर्णोद्धार से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा में कार्यक्रम की नियोजन, क्रियान्वयन और अनुश्रवण तन्त्र में कमियों को प्रकट किया गया। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गये हैं:

#### मुख्यांश

- **वार्षिक योजना के संचालन में, गंगा के लिए वानिकी घटकों हेतु अनुमोदित कुल योजना आकार, वर्ष 2016-17 के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में नियोजित क्षेत्र का मात्र 4.66 प्रतिशत था।**  
[प्रस्तर 1.2.6.5 (i)]
- **कार्यदायी संस्थाओं द्वारा वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक निधियां उपयोग न करने के कारण 25.46 से 58.71 प्रतिशत तक अव्ययित पड़ी हुई थीं।**  
[प्रस्तर 1.2.7.1]
- **सात जिलों की 132 ग्राम पंचायतों में 265 गाँव को खुले में शौच से मुक्ति का विभाग का दावा त्रुटिपूर्ण पाया गया क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा भौतिक सत्यापन किये गये कुल 1,143 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों में से 41 का निर्माण नहीं किया गया था तथा 34 निर्माणाधीन थे। इसके अतिरिक्त, राज्य द्वारा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन संरचनाओं के निर्माण में भी कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं की गयी थी।**  
[प्रस्तर 1.2.8.1]
- **नगरपालिका के कचरे को अंधाधुंध रूप से पहाड़ियों के ढलान पर फेंका जा रहा था।**  
[प्रस्तर 1.2.8.2]
- **कार्यदायी संस्थाओं के मध्य नियोजन एवं समन्वय की कमी के कारण देवप्रयाग एवं ऋषिकेश में मल शोधन संयंत्र का कम उपयोग किया गया था।**  
[प्रस्तर 1.2.8.3 (अ)]

- प्राथमिकता वाले कस्बों में चिन्हित 112 नालों में से 65 नालों को वर्तमान तक बन्द नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप प्रतिदिन 26.292 मिलियन लीटर प्रतिदिन अनुपचारित मल गंगा नदी या इसकी सहायक नदियों में बह रहा था।

[प्रस्तर 1.2.8.4 (अ)]

- हरिद्वार एवं ऋषिकेश में मल शोधन संयंत्र की क्षमता कस्बे के अपशिष्ट के प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए अपर्याप्त थी जिसके परिणामस्वरूप, अनुपचारित मल नदियों में बह रहा था।

[प्रस्तर 1.2.8.4 (ब)]

- वन विभाग वर्ष 2016-17 में चार घटकों में से तीन घटकों के लिए, उन्नत मृदा कार्य के प्रकरण में 3.50 प्रतिशत से लेकर शहरी भूनिर्माण के प्रकरण में 87 प्रतिशत तक, निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा।

[प्रस्तर 1.2.8.7]


- दस चयनित कस्बों में से मात्र तीन कस्बों में जल गुणवत्ता अनुश्रवण स्टेशन स्थापित किये गये थे।

[प्रस्तर 1.2.10.1]

### 1.2.1 परिचय

भागीरथी नदी, जिसका उद्गम गोमुख का गंगोत्री ग्लेशियर है, को गंगा नदी का स्रोत माना गया है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम से गंगा नदी बनती है। गंगा नदी अपने उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी के मुहाने तक 2,500 किमी की दूरी तय करती है जिसमें से 294 किमी का फैलाव उत्तराखण्ड राज्य में है। यद्यपि राज्य में गंगा के मुहाने में कई छोटी धाराएँ शामिल हैं, राज्य की छः लम्बी नदियाँ अलकनंदा, धौलीगंगा, नन्दाकिनी, पिंडर, मन्दाकिनी और भागीरथी मुख्य सहायक नदियाँ हैं।

#### उत्तराखण्ड में गंगा घाटी



गंगा नदी से सम्बन्धित पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ रही हैं, इन समस्याओं के बारे में जागरूकता और समझ में वृद्धि हुई है। गंगा के जीर्णोद्धार के पूरे अभ्यास में विभिन्न अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक उपाय शामिल हैं।

**नमामि गंगे** के अंतर्गत लघु और मध्यम अवधि के घटकों को शामिल करने वाले सात मुख्य क्षेत्रों (1) प्रदूषण का न्यूनीकरण (2) बहाव को बनाए रखना (3) नदी तट का विकास (4) क्षमता निर्माण (5) शोध और अनुश्रवण (6) जैव विविधता संरक्षण और (7) संचार एवं सार्वजनिक पहुँच पर जोर दिया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड ने एक याचिका<sup>5</sup> में आदेश (02.12.2016) पारित किया जिसमें राज्य सरकार के साथ ही भारत सरकार को गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय करने के निर्देश जारी किये गये थे।

### 1.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह (रा का प्र स), जो संस्था के रूप में पंजीकृत (मार्च 2011) है, एन जी आर बी ए कार्यक्रम के प्रबंधन और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। उत्तराखण्ड राज्य में कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए शामिल छः मुख्य संस्थाएं, अवरोधन एवं विपथन (अ एवं वि) परियोजना तथा मल शोधन संयंत्र (म शो सं) के निर्माण के लिए उत्तराखण्ड पेयजल निगम की निर्माण और मरम्मत इकाई (गंगा), इन परियोजनाओं के संचालन एवं मरम्मत (सं एवं म) के लिए उत्तराखण्ड जल संस्थान, नदी तट के विकास के लिए सिंचाई विभाग, गंगा हेतु वनीकरण घटकों के क्रियान्वयन के लिए राज्य का वन विभाग, वायु और जल प्रदूषण के निवारण के लिए उत्तराखण्ड पर्यावरण एवं प्रदूषण निवारण नियंत्रण बोर्ड और ग्रामीण स्वच्छता सुविधा के लिए पेयजल विभाग के अंतर्गत स्वजल निदेशालय शामिल है।

### 1.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकलित करने के लिए की गई थी कि क्या:

- गंगा नदी के जीर्णोद्धार और प्रदूषण को कम करने के लिए पर्याप्त नियोजन एवं संस्थागत तथा समन्वय तन्त्र मौजूद है;
- कार्यक्रम के लिए समय पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध थे और कार्यक्रम को मितव्ययी, कुशल और प्रभावकारी तरीके से क्रियान्वित किया गया;
- माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के निर्देशों का पालन किया गया; और
- कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए अनुश्रवण तन्त्र पर्याप्त था।

### 1.2.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यविधि

वर्ष 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2017 से जून 2017 एवं अगस्त 2017 से सितम्बर 2017 के दौरान 13 जिलों में से गंगा घाटी में पड़ने वाले सात जिलों<sup>6</sup> में संपादित की गयी। उत्तराखण्ड के 15 कस्बों<sup>7</sup> में चल रहीं

<sup>5</sup> 2015 की संख्या-1401

<sup>6</sup> चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार एवं देहरादून।

<sup>7</sup> (1) मुनि की रेती, ढालवाला, (2) ऋषिकेश (3) तपोवन (4) गोपेश्वर (5) बद्रीनाथ (6) कर्णप्रयाग (7) उत्तरकाशी (8) हरिद्वार ज्वालपुर क्षेत्र एवं भेल सहित (9) जोशीमठ (10) देवप्रयाग (11) नंदप्रयाग (12) कीर्तिनगर (13) रुद्रप्रयाग (14) गौचर (15) श्रीनगर।

38 आधारभूत परियोजनाओं में से 10 कस्बों<sup>8</sup> में चालू 23 परियोजनाओं का नमूना, जैसाकि **परिशिष्ट-1.2.1** में दिया गया है, को प्रोबेबिलिटी प्रपोशनल टू साइज़ विद रिपलेसमेंट (पी पी एस डबल्यू आर) पद्धति के आधार पर लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था। इसके अतिरिक्त, एक परियोजना, गंगा के लिए वनीकरण घटकों को भी विस्तृत जाँच के लिए चयनित किया गया। गंगा घाटी पर पड़ने वाले सात जिलों के 132 ग्राम पंचायतों (ग्रा पं) में 10,010 लाभार्थियों में से, ग्राम पंचायतों में अधिकतम संख्या में निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (व्य घ शौ) के आधार पर नौ ग्रा पं<sup>9</sup> के 16 गाँव में 1,362 लाभार्थियों के व्य घ शौ का भौतिक सत्यापन किया गया। इसके अतिरिक्त, दस चयनित कस्बों में चयन की गई आधारभूत परियोजनायें जो सात<sup>10</sup> नगर पालिका परिषद (न पा प)/नगर पंचायत (न पं) द्वारा क्रियान्वित की गई थीं, का भी भौतिक सत्यापन किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा को आरम्भ करने से पहले, प्रवेश गोष्ठी में सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड शासन से लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदण्ड, कार्यक्षेत्र पर चर्चा की गयी (अप्रैल 2017)। रा का प्र स, उत्तराखण्ड पर्यावरण निवारण एवं प्रदूषण और नियंत्रण बोर्ड (उ प नि प्र नि बो), निदेशालय शहरी विकास और परियोजना प्रबंधन इकाई (स्वजल), उत्तराखण्ड पेयजल निगम (उ पे ज नि), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड जल संस्थान (उ ज सं), प्रभागीय वन कार्यालय, सात नगर पालिका परिषद/पंचायत और सात जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (जि प प्र ई)<sup>11</sup> के अभिलेखों की जाँच की गई। इसके अतिरिक्त, सात जिलाधिकारी कार्यालय<sup>12</sup> और अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यू जे वी एन एल) देहरादून से भी सूचना प्राप्त की गई।

सचिव, पेयजल विभाग और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ 29 नवम्बर 2017 को बहिर्गमन गोष्ठी आयोजित की गयी और शासन तथा कार्यदायी संस्थाओं के विचारों को रिपोर्ट में उपयुक्त जगहों पर सम्मिलित किया गया है।

### 1.2.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाये गये लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त हुए थे:

- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974;
- पर्यावरण निवारण अधिनियम, 1986;
- राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन जी आर बी ए) के कार्यक्रम, ढाँचा और दिशानिर्देश;
- गंगा नदी (जीर्णोद्धार, निवारण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016;

<sup>8</sup> (1) मुनि की रेती, ढालवाला, (2) ऋषिकेश (3) तपोवन (4) गोपेश्वर (5) बद्रीनाथ (6) कर्णप्रयाग (7) उत्तरकाशी (8) हरिद्वार ज्वालपुर क्षेत्र एवं भेल सहित (9) जोशीमठ (10) देवप्रयाग

<sup>9</sup> बालेश्वर, चाका, केवरमल्ला, माला, किनसुर, झाला, बागोड़ी, बादशाहपुर एवं बीरपुर खुर्द।

<sup>10</sup> (1) नगर निगम, हरिद्वार (2) न पा प, ऋषिकेश (3) न पा प, मुनि की रेती (टिहरी) (4) न पा प, गोपेश्वर (5) न पा प, कर्णप्रयाग (6) न पा, बद्रीनाथ (7) न पा प, उत्तरकाशी (बड़कोट)।

<sup>11</sup> जि प प्र ई, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार एवं देहरादून।

<sup>12</sup> देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली एवं उत्तरकाशी।

- सामान्य वित्तीय नियम;
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देश तथा निर्देश; और
- उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय का दिनांक 02.12.2016 का निर्णय।

## **लेखापरीक्षा निष्कर्ष**

### **1.2.6 नियोजन**

किसी भी कार्यक्रम की सफलता मजबूत संस्थागत और नियोजन व्यवस्थाओं तथा उनके कुशल एवं प्रभावी कार्यस्थल को स्थापित करने पर निर्भर करती है। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण एवं लम्बी अवधि के नदी संरक्षण के संदर्भ में संस्थागत व्यवस्थाओं को संरचनात्मक, दृष्टिकोण, प्रथाओं या नियमों के रूप में निर्णय लेने वालों और हितधारकों द्वारा सभी स्तरों पर परिभाषित कर स्थापित किया जाता है ताकि क्रियान्वयन की गतिविधियों जैसेकि पहचान की गई कमजोरियों और जोखिमों के लिए आवश्यकताओं का आकलन करना; क्रियान्वयन के लिए योजना; निवारण और संरक्षण उपायों और क्रियान्वयन के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन को संचालित किया जा सके। नियोजन में निम्नलिखित कमियाँ पायी गईं।

#### **1.2.6.1 वार्षिक कार्ययोजना के प्रस्तुतीकरण में विलंब**

एन जी आर बी ए की रूपरेखा के अनुसार, राज्य स्तरीय वार्षिक योजना की बैठक को रा का प्र स द्वारा राज्य के लिए मसौदा वार्षिक कार्य योजना तैयार करने हेतु प्रत्येक वर्ष सितम्बर के आरम्भ में सभी सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय (श स्था नि) और कार्यदायी संस्थाओं (का सं) के साथ आयोजित किया जाना था। रा का प्र स को अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कार्य योजना सितम्बर के अंत तक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (रा स्व गं मि) को प्रस्तुत करना था। यह पाया गया कि वार्षिक कार्ययोजना (वा का यो) प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का पालन नहीं किया गया क्योंकि वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक की वा का यो चार से पाँच माह के विलंब से प्रस्तुत की गयी। विभाग ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि वा का यो को समय पर तैयार नहीं किया जा सका का सं द्वारा परियोजना प्रस्ताव विलंब से प्रस्तुत किये गये। का सं द्वारा परियोजना प्रस्तावों का समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित न किया जाना विभागीय विफलता को दर्शाता है। सचिव, पेयजल विभाग, द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान अवगत कराया गया कि भविष्य में वा का यो को समय पर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

#### **1.2.6.2 बजट समीक्षा समिति का गठन न होना**

एन जी आर बी ए की रूपरेखा के अनुसार, प्रत्येक क्रियान्वयन राज्य के रा का प्र स की, बजट के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए इंजीनियरिंग, वित्त, खरीद, अनुश्रवण आदि के प्रमुख को शामिल करते हुए, बजट समीक्षा समिति (ब स स) होनी चाहिए जो रा का प्र स के प्रमुख को अपनी त्रैमासिक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करे। यह पाया गया कि उत्तराखण्ड में ब स स का गठन नहीं किया गया था और वा का यो तथा बजट रा का प्र स के वित्त विभाग द्वारा ही का सं से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर तैयार किये जा रहे थे जोकि रूपरेखा में निहित प्रावधानों के विपरीत था। सचिव, पेयजल

विभाग द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी में अवगत कराया गया कि ब स स का गठन सितम्बर 2017 में कर दिया गया है।

#### 1.2.6.3 क्रियाकलापों में समन्वय के लिए रूपरेखा

एन जी आर बी ए की रूपरेखा के अनुसार, रा स्व गं मि, रा का प्र स और सम्बन्धित श स्था नि के मध्य क्रियान्वयन, सं एवं म और स्थानीय निकाय को निवेश के अंततः स्थानांतरण के संबंध में भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम स्तर त्रिपक्षीय अनुबंध ज्ञापन (अ ज) निष्पादित किया जाना था। इसी तरह, रा का प्र स, का सं और सम्बन्धित श स्था नि के मध्य भी एक परियोजना स्तर त्रिपक्षीय अ ज निष्पादित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014 के बाद उक्त स ज विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (वि प प्र) के साथ संलग्न नहीं थे। इस संबंध में इंगित किये जाने पर रा का प्र स ने कहा कि रा स्व गं मि द्वारा सभी रा का प्र स को एक नया अ ज मसौदा का टैम्पलेट परिचालित किया गया था (मई, 2016)। सचिव, पेयजल विभाग, द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी में अवगत कराया गया कि रा स्व गं मि द्वारा अभी तक नए अ ज को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

#### 1.2.6.4 संचार और सार्वजनिक आवागमन

एन जी आर बी ए की रूपरेखा के अनुसार, संचार और सार्वजनिक आवागमन (सं सा आ) का उद्देश्य सामरिक संचार के माध्यम से गंगा नदी के प्रदूषण और संरक्षण के प्रभावी निवारण को सुनिश्चित करना एवं सार्वजनिक भागीदारी और आवागमन को बढ़ाना है। ये गतिविधियाँ प्रदूषण नियंत्रण संदेशों और सार्वजनिक संवेदनशीलता पर केन्द्रित हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-18 से पूर्व सं सा आ गतिविधियों के लिए कोई भी वा का यो नहीं बनाई गयी थी। तथापि, रा का प्र स द्वारा मई 2017 में सं सा आ गतिविधियों के लिए वा का यो को तैयार कर रा स्व गं मि को प्रस्तुत की गयी जिसे अभी तक (सितम्बर 2017) अनुमोदित होना शेष था। आगे, लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि रा का प्र स ने चारधाम यात्रा 2017 हेतु सूचना, शिक्षा और संचार (सू शि सं) गतिविधियों के लिए एक अलग प्रस्ताव पेश किया जिसे रा स्व गं मि द्वारा जून 2017 में अनुमोदित किया गया था। इस प्रकार, सार्वजनिक भागीदारी और आवागमन गतिविधियों को केवल आंशिक रूप से शुरू किया गया था।

#### 1.2.6.5 गंगा के लिए वानिकी घटक योजना में नियोजन की कमी

“गंगा के लिए वानिकी घटक (गं वा घ)” हेतु वि प प्र वन अनुसंधान संस्थान (व अ सं), देहरादून द्वारा तैयार किया गया था तथा इसे पाँच साल (2016-17 से 2020-21) तक लागू किया जाना है। इसमें चार घटक अर्थात् प्राकृतिक भूनिर्माण, कृषि भूनिर्माण, शहरी भूनिर्माण और संरक्षण गतिविधियाँ शामिल थीं। वि प प्र को दिनांक 22.03.2016 को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया तथा अंगीकृत किया गया था। परियोजना प्रबंधन इकाई (प प्र इ), गं वा घ, उत्तराखण्ड, संचालन की वार्षिक योजना (सं वा यो) के अनुसार राज्य के 21 वन प्रभागों के माध्यम से, जिसे सम्बन्धित प्रभागों द्वारा तैयार किया जाता है तथा प प्र ई द्वारा समेकित कर रा स्व गं मि को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है, के अनुसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायित्व था।

प प्र इ, गं वा घ, उत्तराखण्ड के अभिलेखों की जाँच में गं वा घ की योजना में कई कमियाँ पाई गईं जिनकी चर्चा नीचे की गयी है:

**i) वि प प्र के योजना आकार और 2016-17 की अनुमोदित संचालन की वार्षिक कार्ययोजना में अन्तर**

गं वा घ के वि प प्र में उल्लिखित लक्ष्यों को पाँच वा का यो के माध्यम से प्राप्त करना आवश्यक था। इसलिए प्रत्येक वा का यो के लिए वित्तीय आवंटन को वि प प्र में अनुमोदित वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप होना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रा स्व गं मि के निर्देशों के अनुसार वर्ष 2016-17 के लिए वि प प्र में ₹358.91 करोड़ की लागत से लक्षित 32,633 हेक्टर (हेक्ट) आच्छादित क्षेत्र के सापेक्ष वा का यो में, इसी अवधि के लिए, ₹84.47 करोड़ की लागत से 9,674 हेक्ट क्षेत्रफल<sup>13</sup> को आच्छादित करने हेतु प्रस्तावित किया गया था। तथापि, रा स्व गं मि ने प्राकृतिक भूनिर्माण में 92 प्रतिशत, कृषि भूनिर्माण और शहरी भूनिर्माण प्रत्येक में 98 प्रतिशत तथा संरक्षण घटकों के प्रकरण में 95 प्रतिशत कटौती के साथ प्रस्तावित योजना के आकार में और कटौती कर सिर्फ 1,521 हेक्ट क्षेत्रफल हेतु ₹15.93 करोड़ अनुमोदित किये जैसेकि नीचे तालिका-1.2.1 में देखा जा सकता है:

तालिका-1.2.1 वर्ष 2016-17 के लिए अनुमोदित वि प प्र तथा वा का यो के मध्य लक्ष्यों में कमी

घटक/गतिविधि	वि प प्र वर्ष 2016-17 के अनुसार लक्ष्य (हेक्ट)	अनुमोदित वा का यो वर्ष 2016-17 के अनुसार लक्ष्य (हेक्ट)	कमी हेक्ट में (प्रतिशत)
प्राकृतिक भूनिर्माण (उन्नत मृदा कार्य और पर्यावरण टास्क फोर्स)	12,149.50	1,000	11,149.50(92)
कृषि भूनिर्माण	15,100.00	300	14,800.00(98)
शहरी भूनिर्माण	1,079.58	21	1,058.58(98)
संरक्षण घटक	4,304.00	200	4,104.00(95)

अतः वर्ष 2016-17 की वा का यो में अनुमोदित कुल योजना आकार वि प प्र में वर्ष के लिए आच्छादित योजना का मात्र 4.66 प्रतिशत था। वि प प्र और अनुमोदित वा का यो के योजना आकार के बीच इतने बड़े अन्तर के परिणामस्वरूप क्रियान्वयन के पहले वर्ष (2016-17) के परिणाम के साथ ही अनुवर्ती गतिविधियाँ एवं परिणाम भी प्रभावित होंगे।

परियोजना निदेशक, प प्र इ, गं वा घ उत्तराखण्ड के द्वारा (मई 2017) वा का यो में अनुमोदित मामूली आकार के लिए रा स्व गं मि के पास पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता को जिम्मेदार ठहराया गया।

**ii) वार्षिक कार्य योजना का देरी से प्रस्तुतीकरण**

वर्ष 2016-17 के लिए वा का यो को 20 अप्रैल 2016 तक प्रस्तुत किया जाना था जिसे 10 मई 2016 तक बढ़ा दिया गया था। तथापि, राज्य वन विभाग इसे 10 जून 2016 को प्रस्तुत कर पाया एवं इसे रा स्व गं मि द्वारा 14 जुलाई 2016 को अनुमोदित किया गया। चूंकि, वा का यो तैयार करने की प्रक्रिया में देरी हुई थी, विभाग ने वा का यो में पौधे लगाने की गतिविधि शामिल नहीं की तथा इसके बजाय अगले वर्ष (जुलाई 2018) के लिए केवल उन्नत मृदा कार्य की योजना बनाई। राज्य में जुलाई-अगस्त के महीने में पौधरोपण किया जाता है तथा पौधरोपण से 3-4 महीने पहले ही

<sup>13</sup> प्राकृतिक भूनिर्माण के लिए 2,650 हेक्ट उन्नत मृदा कार्य, कृषि भूनिर्माण के लिए 5,280 हेक्ट, शहरी भूनिर्माण के लिए 170 हेक्ट एवं संरक्षण घटकों के लिए 1,574 हेक्ट।



अग्रिम मृदा कार्य किया जाता है। अतः उत्तराखण्ड राज्य को क्रियान्वयन की अवधि के पहले वर्ष (2016-17) के दौरान, स्वयं को केवल अग्रिम मृदा कार्य तक ही सीमित करना पड़ा और प्राकृतिक भूनिर्माण के घटक के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धि, अर्थात् पौधरोपण, निरंक था।

परियोजना निदेशक, प प्र ई, गं वा घ, उत्तराखण्ड द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि की गई (मई 2017)।

### iii) राज्य स्तरीय कार्यक्रम संचालन समिति का गठन न किया जाना (रा का सं स)

राज्य स्तरीय गं वा घ की सर्वोच्च संस्था यानि राज्य स्तरीय कार्यक्रम संचालन समिति (रा का सं स), जो वा का यो को स्वीकृति देने और परियोजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित प्रकरणों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार थी, राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वयन अवधि के पहले वर्ष के बाद भी स्थापित नहीं की गई थी। अतः कार्यक्रम की वा का यो को रा स्त सं स के अनुमोदन के बिना ही रा स्व गं मि को प्रस्तुत किया गया था तथा अन्य हितधारकों जैसे अन्य रेखीय विभाग, सिविल संस्थाएँ, गैर-सरकारी संगठनों आदि के प्रतिनिधियों, जो रा स्त सं स का एक अंश थे, से मूल्यवान सुझाव प्राप्त करने एवं उन्हें वा का यो में शामिल करने की कोई सम्भावना नहीं थी।

### iv) परियोजना प्रबंधन इकाई की कार्यपद्धति

वन विभाग में गंगा के लिए वानिकी घटक (गं वा घ) के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (प प्र ई) मात्र मुख्य वन संरक्षक (मु व सं)/परियोजना निदेशक (प नि) ही कार्य कर रहे थे। परियोजना संयोजक (वन संरक्षक) एवं परियोजना प्रबंधक के चार पद रिक्त थे। इन रिक्त पदों का प्रभाव वर्ष 2016-17 की वा का यो तैयारी में देरी, भौतिक लक्ष्य की कम प्राप्ति तथा निष्पादित कराये जा रहे कार्य के अनुश्रवण में कमी के रूप में प्रस्तर 1.2.6.5 (ii), 1.2.8.7 और 1.2.10.3 में वर्णित है।

### v) गं वा घ के अंतर्गत वृ प क्रि स एवं प्र क्रि स का गठन न किया जाना

वृत्तीय परियोजना क्रियान्वयन समिति (वृ प क्रि स) तथा प्रभाग स्तरीय क्रियान्वयन समिति (प्र क्रि स) का गठन किसी भी क्रियान्वयन वृत्त/प्रभाग में नहीं किया गया था। अतः वा का यो को तैयार करने का कार्य वृ प क्रि स के मार्गदर्शन एवं अन्य हितधारकों से निविष्टियाँ, जो कि वि प प्र के मापदण्डों के अनुसार आवश्यक थे, प्राप्त किये के बिना ही प्रभागीय वनाधिकारियों (प्र व अ) पर छोड़ दिया गया था।


## 1.2.7 वित्तीय प्रबंधन

एन जी आर बी ए के गठन (फरवरी 2009) के समय केन्द्रीय और सम्बन्धित राज्य सरकारों ने 70:30 के अनुपात में नदी संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपायों की लागत साझा की थी। नमामि गंगे कार्यक्रम के शुभारंभ (जुलाई 2014) के बाद राज्य द्वारा बनायी गयी संपत्तियों के पूरे जीवन चक्र हेतु प्रबंधन लागत तथा 15 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव (सं एवं र) हेतु केन्द्र सरकार से 100 प्रतिशत सहायता रा का प्र स को उपलब्ध कराई जा रही है।

एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन के अनुसार वर्ष 2014 के बाद, रा का प्र स को विभिन्न परियोजनाओं/ गतिविधियों की आवश्यकता के अनुसार मदर खाते में उपलब्ध निधियों का उपयोग करने की छूट दी गई थी। यह प्रत्येक परियोजना के लिए उप-परियोजना विशिष्ट शून्य शेष बैंक खाते (शिशु खाते),



उसी बैंक में जिसके साथ रा का प्र स ने अपने मदर खाते का रखरखाव किया है, के माध्यम से कार्यदायी संस्था को निधियां प्रेषित करता है। प्रत्येक का सं को उक्त उद्देश्य के लिए एक परियोजना विशेष शिशु खाते का रख रखाव करता है। मदर और शिशु खाते का संचालन निम्न फ्लो चार्ट में दिखाया गया है:



### 1.2.7.1 निधियों की उपलब्धता और उपयोग

अनुमोदित परियोजना के लिए रा स्व गं मि द्वारा रा का प्र स को एकमुश्त आधार पर निधियां अवमुक्त की जाती है। वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान, विभिन्न घटकों के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता और उपयोग की स्थिति नीचे तालिका-1.2.2 में दी गई है:

तालिका-1.2.2 निधियों की उपलब्धता और उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त निधियां					कुल उपलब्ध निधियां	निधियों का उपयोग	अव्ययित शेष	अनुपयोगित निधियों की प्रतिशतता
		केंद्रांश	राज्यांश	ब्याज	अन्य	कुल				
2012-13	0.02	12.85	2.40	0.06	0.10	15.41	15.43	9.63	5.80	37.59
2013-14	5.80	17.05	8.68	0.24	0	25.97	31.77	23.68	8.09	25.46
2014-15	8.09	4.25	13.92	0.22	4.25*	22.64	30.73	13.62	17.11	55.68
2015-16	17.11	30.26	0	1.15	0.01	31.42	48.53	20.04	28.49	58.71
2016-17	28.49	35.37	5.98	0.80	0.01	42.16	70.65	39.86	30.79	43.58
<b>योग</b>		<b>99.78</b>	<b>30.98</b>	<b>2.47</b>	<b>4.37</b>	<b>137.60</b>	<b>197.11</b>	<b>106.83</b>		

स्रोत: रा का प्र स, परियोजना प्रबंधन इकाई (स्वजल) और सी ई ओ नमामि गंगे।

नोट: तालिका में दर्शाई गई राशि में गैर-ई ए पी, ई ए पी, वि प प्र निधि, एन जी पी निधि, घाट सौंदर्यीकरण निधि, ग्रामीण स्वच्छता निधि और वनीकरण निधि शामिल हैं।

\* रा स्व गं मि द्वारा पेयजल निगम को सीधे अवमुक्त की गयी राशि में से बचत होने के कारण पेयजल निगम द्वारा रा का प्र स को ₹4.25 करोड़ की राशि वापस की गयी थी।

यह स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 25.46 से लेकर 58.71 प्रतिशत तक अव्ययित शेष था। रा का प्र स ने अवगत कराया कि का सं द्वारा निधियों का उपयोग न करने का कारण कार्य की धीमी प्रगति और सीमित स्रोत था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सचिव, पेजल विभाग द्वारा तथ्यों पर सहमति व्यक्त करते हुए अवगत कराया गया कि उक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

### 1.2.7.2 केंद्र और राज्य सरकार के मध्य अंशों की भागीदारी

एन जी आर बी ए की रूपरेखा के अंतर्गत, मार्च 2011 में, उत्तराखण्ड में रा का प्र स का गठन अनुमोदित कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए किया गया था। वर्ष 2012-13 से, रा स्व गं मि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (प एवं व मं) के बजट से एन जी आर बी ए निधियां प्राप्त करता है और उसे राज्य के रा का प्र स को अंतरित करता है। एन जी आर बी ए की रूपरेखा के अंतर्गत रा स्व गं मि से रा का प्रा स को निधियों की किश्त प्राप्त होने के दो माह के अंदर राज्य सरकार को अपने अंश की निधियों को भी अवमुक्त करना आवश्यक था। यह पाया गया कि राज्य अपने अंश को एकमुश्त आधार पर पूर्व वर्षों के अपने अंश सहित बिना यह बताये कि अंश किस अवधि से सम्बन्धित है अवमुक्त कर रहा था, जो एन जी आर बी ए के दिशानिर्देशों के विपरीत था। केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की स्थिति निम्न तालिका-1.2.3 में दिखाई गयी है:

तालिका-1.2.3: केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की स्थिति

(₹ लाख में)

वर्ष	ई ए पी <sup>14</sup> अवमुक्त				गैर-ई ए पी अवमुक्त			
	केन्द्रांश	दिनांक	राज्यांश	दिनांक	केन्द्रांश	दिनांक	राज्यांश	दिनांक
2012-13	60.00	02.05.2012	16.67	13.06.2012	820.00	14.11.2012	189.87	07.02.2013
	94.70	01.03.2013	9.04	09.11.2012	310.00	22.03.2013		
			24.29	08.01.2013				
2013-14	527.00	28.02.2014	-	-	313.00	30.04.2013	300.00	22.05.2013
			-	-	181.00	30.04.2013	568.00	25.03.2014
			-	-	174.00	26.09.2013		
			-	-	236.00	23.10.2013		
			-	-	59.00	23.10.2013		
			-	-	215.00	30.12.2013		
2014-15	25.35	03.07.2014	27.16	07.11.2014	300.00	18.06.2014	664.00	14.10.2014
			27.84	07.02.2015	100.22	30.01.2015	297.00	07.02.2015
			226.00	07.02.2015				
2015-16					211.00	21.01.2016		
					485.00	01.03.2016		
2016-17			56.77	21.09.2016	36.00	02.06.2016	318.72	02.09.2016
					518.90	28.07.2016	181.28	15.09.2016
					535.00	07.02.2017	41.11	22.12.2016

स्रोत: रा का प्र स।

राज्य सरकार द्वारा अंश के वर्णन/विभाजन के अभाव में विशिष्ट केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश को विश्लेषित नहीं किया जा सका। इंगित किये जाने पर, रा का प्र स ने अवगत कराया कि वित्तीय बाधाओं एवं सीमित संसाधनों के कारण, राज्यांश समय पर अवमुक्त नहीं किया जा सका। उसके द्वारा आगे यह भी अवगत कराया गया कि राज्यांश अवमुक्त न किये जाने के कारण कार्य बाधित हुए थे तथा लक्ष्य समय पर प्राप्त नहीं किये जा सके। सचिव, पेयजल विभाग ने, बहिर्गमन गोष्ठी दौरान, रा का प्र स को प्रकरण को राज्य सरकार के पास ले जाने हेतु निर्देशित किया।

<sup>14</sup> वाह्य सहायतित परियोजना।

### 1.2.7.3 खाते को तैयार करना

एन जी आर बी ए की रूपरेखा के अनुसार, रा स्व गं मि बाद में निधियों को किस्तों में तभी अवमुक्त कर सकेगा जब (i) रा का प्र स विगत वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को रा स्व गं मि को प्रस्तुत करेगा और (ii) रिपोर्टिंग वर्ष की पहली किश्त का उचित उपयोग करेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आंतरिक लेखापरीक्षक न होने के कारण रा का प्र स द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ समेकित वित्तीय विवरण तैयार नहीं किये जा रहे थे। इंगित किये जाने पर, रा का प्र स ने अवगत कराया कि बिना जाँच के तलपट, आय एवं व्यय तथा प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी रा स्व गं मि को जब भी आवश्यक हूये प्रस्तुत किये गये थे। अतः एन जी आर बी ए की रूपरेखा में निहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था चूंकि रा स्व गं मि द्वारा प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन किये बिना निधियां अवमुक्त की जा रही थी।

### 1.2.7.4 ब्याज का संचय

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को, भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों पर, बैंक खाते में जमा अर्जित ब्याज की धनराशि को सम्बन्धित लेखा शीर्ष<sup>15</sup> में जमा करना आवश्यक था। गं वा घ में शामिल 11 क्रियान्वयन प्रभागों में से नमूना जाँच के दौरान चयनित किये गये नौ वन प्रभागों में पाया गया कि प्रभागों द्वारा मुख्य वन संरक्षक/परियोजना निदेशक (मु व सं/प नि) नमामि गंगे के द्वारा उपलब्ध कराई गयी निधियों को सम्बन्धित बैंकों (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) में शिशु खाते (बचत खाते) में जमा कराया गया था जिस पर जुलाई 2017 तक ₹5.20 लाख ब्याज अर्जित हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि न तो रा स्व गं मि और न ही मु व सं/प नि नमामि गंगे द्वारा बैंक खाते में जमा ब्याज की धनराशि के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किये गये थे।

### 1.2.7.5 अन्य अनियमितता

- यह देखा गया कि रा स्व गं मि ने जून 2011 में रा का प्र स को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यू बी आई) में दो पृथक बैंक खाते (मदर खाता) एक ई ए पी और एक गैर-ई ए पी निधियों के लिए खोलने हेतु निर्देशित किया था, जिसको उसी बैंक में का सं के शून्य शेष शिशु खाते से लिंक करना था। जिसका उद्देश्य का सं के निर्माण कार्य के लिए निधियों के अंतरण में विलंब से बचना था। इसके अनुपालन में, रा का प्र स ने अगस्त 2011 में यू बी आई में दो बैंक खाते खोले थे। रा का प्र स द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को नवम्बर 2012 में शिशु खाते को मदर खाते से लिंक करने के लिए निर्देशित किया गया था लेकिन का सं द्वारा तीन वर्षों के विलंब के बाद जून 2014 में शिशु खाते खोले गये थे। तब तक, रा का प्र स निधि को चेक के माध्यम से का सं को धनराशि उपलब्ध कराता रहा, जिसने शून्य शेष शिशु खाते के उद्देश्य को निष्फल किया।
- वर्तमान में रा का प्र स द्वारा निम्नलिखित मदर खातों का रख-रखाव किया गया था।

<sup>15</sup> मुख्य शीर्ष 0049 (ब्याज प्राप्ति)-01 (राज्य सरकार से ब्याज)-800 (विविध प्राप्ति)।

तालिका-1.2.4: रा का प्र स द्वारा रखे गये मदर खातों का विवरण

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	बैंक का नाम	खाता खोलने की तिथि
1.	गैर-ई ए पी	पंजाब नेशनल बैंक	18.06.2014
2.	ई ए पी	बैंक ऑफ इंडिया	24.09.2013
3.	घाट सौंदर्यीकरण	एक्सिस बैंक	02.03.2016
4.	राष्ट्रीय गंगा योजना	एक्सिस बैंक	02.03.2016

यह पाया गया कि रा का प्र स द्वारा घाट सौंदर्यीकरण और राष्ट्रीय गंगा योजना के मदर खाते एक्सिस बैंक में खोले गये थे, जोकि एक निजी बैंक था। अधीक्षण अभियन्ता, सिचाई विभाग उत्तरकाशी (का सं) ने रा का प्र स को सूचित (मई 2017) किया कि उत्तरकाशी में एक्सिस बैंक की कोई भी शाखा न होने के कारण का सं द्वारा शिशु खाता खोला नहीं जा सका। इस प्रकार, निजी बैंक में मदर खाता खोलने से उसी बैंक में का सं का शिशु खाता खोलने में बाधा उत्पन्न हुई, परिणामस्वरूप, कार्यों के निष्पादन के लिए राशि अवमुक्ति में विलंब न होने का उद्देश्य निष्फल रहा।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि रा का प्र स के अभिलेख (गैर-ई ए पी) में दिखाये गये शेष और बैंक खाते (मदर खाते) में दिखाये गये शेष के मध्य ₹7.42 लाख का अन्तर था। इंगित किये जाने पर, रा का प्र स ने अवगत कराया कि का सं के साथ मिलान किया जाएगा और सुधारात्मक उपाय किये जाएंगे।
- यह देखा गया की का सं द्वारा भौतिक और वित्तीय प्रगति में दिखाये गये व्यय को कार्य सार/लेजर से मिलान नहीं किया था। इस ओर इंगित किये जाने पर, रा का प्र स ने अवगत कराया कि समीक्षा बैठकों और पत्राचार के माध्यम से आवश्यक निर्देश जारी किये गये थे।

सचिव, पेयजल विभाग ने बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, रा का प्र स को निर्देशित किया कि रा स्व गं मि के निर्देशानुसार बैंक खाते खोले। आगे, रा का प्र स ने अवगत कराया कि बैंक के साथ धनराशि में अन्तर का मिलान किया जाएगा।

### 1.2.8 कार्यक्रम का क्रियान्वयन

#### 1.2.8.1 ग्रामीण स्वच्छता

गंगा नदी के जीर्णोद्धार एवं विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के गंगा बेसिन में आने वाली ग्राम पंचायतों में पूर्ण स्वच्छता के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार को राज्य कार्य योजना (रा का यो) अग्रेषित (जुलाई 2014) की गयी थी। रा का यो के अनुसार गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के समीप स्थित सात जिलों में 132 ग्रा पं के 265 गाँवों को वर्ष 2019 तक खुले में शौच मुक्त (खु शौ मु) किया जाना था। रा का यो का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर को सुधारने के लिए समस्त 132 ग्रा पं में 10,010 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (व्य घ शौ), 132 सामुदायिक स्वच्छता परिक्षेत्र (सा स्व प) और 132 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन<sup>16</sup> (ठो त अ प्र) इकाईयों का निर्माण करने का था।

व्य घ शौ, सा स्व प और ठो त अ प्र के निर्माण का भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां नीचे तालिका-1.2.5 में दर्शायी गयी है:

<sup>16</sup> ठो त अ प्र में गड्डों का निर्माण, वर्मी कंपोस्ट पिट्स, नालियों, कूड़ेदान और बायोगैस संयंत्र की स्थापना और कचरा/खाद के उपचार शामिल हैं।

तालिका-1.2.5: व्य घ शौ, सा स्व प एवं ठो त अ प्र के निर्माण का भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण


क्रमांक	घटक का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि (प्रतिशत में)
1.	व्य घ शौ	10,010	10,010	100
2.	सा स्व प	132	10	08
3.	ठो त अ प्र	132	02	02

यह स्पष्ट है कि सा स्व प एवं ठो त अ प्र के निर्माण में प्रगति नगण्य थी। फिर भी विभाग ने गंगा नदी के समीप की 132 गा पं के समस्त 265 गाँवों को, इस तथ्य के बावजूद कि 1,143 व्य घ शौ में से 41 वास्तव में नहीं बने थे तथा 34 व्य घ शौ जिनके बारे में पूर्ण होने का दावा किया गया था अभी भी निर्माणाधीन थे, खु शौ मु घोषित (मई 2017) कर दिया। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशानिर्देशों के प्रस्तर 14.4 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता स्तर के अनुश्रवण के लिए एक स्वतन्त्र संस्था की आवश्यकता थी। तथापि, उत्तराखण्ड में स्वजल के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए निर्धारित भौतिक सत्यापन किया गया। सचिव, पेयजल विभाग, द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान अवगत कराया कि प्रारम्भ में व्य घ शौ के निर्माण पर ध्यान दिया गया था और अब सा स्व प एवं ठो त अ प्र के लिए वि प प्र तैयार कर दी गई है तथा बजट जारी कर दिया गया है।

### 1.2.8.1 (अ) भौतिक सत्यापन के परिणाम

लेखापरीक्षा ने भौतिक सत्यापन के लिए व्य घ शौ के 10,010 (19 मई 2017 के अनुसार) लाभार्थियों में से 1,362 लाभार्थियों का चयन किया था। तथापि, 44 लाभार्थियों (43 लाभार्थियों के नाम दो बार तथा एक लाभार्थी का नाम तीन बार दोहराया गया है) का नाम दोहराने तथा 174 लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन के समय उपलब्ध न होने के कारण प्रभावी नमूना आकार 1,143 तक घट गया। भौतिक सत्यापन में यह पाया गया कि 1,143 लाभार्थियों में से 41 लाभार्थियों (3.6 प्रतिशत) ने व्य घ शौ का अभी तक निर्माण प्रारम्भ ही नहीं किया था तथा 34 व्य घ शौ (तीन प्रतिशत) का निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हुआ था। अतः, व्य घ शौ के वास्तविक लाभार्थियों की संख्या केवल 1,068 थी। 1,068 लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन का परिणाम (परिशिष्ट-1.2.2 में दिये मापदण्डों के अनुसार) नीचे चार्ट-1.2.1 में दिया गया है:

चार्ट-1.2.1: भौतिक सत्यापन का परिणाम



जैसाकि उपर्युक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि 71 प्रतिशत<sup>17</sup> व्य घ शौ बिना तकनीकी सहायता के निर्मित किये गये थे, 70 प्रतिशत<sup>18</sup> व्य घ शौ आवासीय परिसर के बाहर निर्मित किये गये थे,

<sup>17</sup> 1,068 व्य घ शौ में से 763।

<sup>18</sup> 1,068 व्य घ शौ में से 752।

19 प्रतिशत<sup>19</sup> व्य घ शौ में पानी की सुविधा नहीं थी एवं नों प्रतिशत<sup>20</sup> व्य घ शौ मानकों से निम्न स्तर के थे।

### 1.2.8.2 नगरीय कचरे का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण न किया जाना

उत्तराखण्ड राज्य के लिए शहरी नगरपालिका कचरा प्रबंधन कार्ययोजना का प्रारूप 2015 में तैयार किया गया था। इस कार्ययोजना को ठोस कचरा प्रबंधन नियमावली 2016 के अनुसार पुनरीक्षित (अगस्त 2017) किया गया तथा इसे राज्य के 92 शहरी स्थानीय निकायों में लागू किया जाना था। अभिलेखों की जाँच और सात नगर पालिका परिषद के दस चयनित कस्बों में संयुक्त भौतिक निरीक्षण में पाया गया था कि गोपेश्वर और मुनि की रेती को छोड़कर अन्य कस्बों में नगरीय ठोस कचरे का निस्तारण निर्धारित वैज्ञानिक तरीके<sup>21</sup> से नहीं किया जा रहा था। न तो कूड़े को नष्ट होने योग्य और नष्ट न होने योग्य श्रेणियों में पृथक्कीकरण किया गया था और न ही नष्ट होने योग्य कूड़े से खाद बनाई जा रही थी। आगे, यह भी पाया गया था कि दस चयनित कस्बों में से तीन<sup>22</sup> में अपृथक्कृत नगरीय कूड़ा पहाड़ों की ढलान पर अंधाधुंध तरीके से डाला जा रहा था जो कि अंततः, विशेषकर बरसात के मौसम में, गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में गिर जाएगा।



बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी के किनारे कूड़ा डालने का स्थान



कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी के किनारे कूड़ा डालने का स्थान

### 1.2.8.3 अवरोधन एवं विपथन परियोजना और मल शोधन संयंत्र (म शो सं)

कच्चे मल का अवरोधन एवं विपथन (अ एवं वि) प्रदूषण में कमी का एक महत्वपूर्ण भाग है। म शो सं अवरोधित/विपथित मल को शुद्ध करके प्रदूषण फैलने से रोकता है। राज्य में, उत्तराखण्ड पेयजल निगम (उ पे ज नि) सीवेरेज नेटवर्क एवं म शो सं के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। उत्तराखण्ड जल संस्थान (उ ज सं) संस्थाओं और घरों को बिछाये गये सीवेरेज नेटवर्क को जोड़ता है और इसके संचालन और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। 31 मार्च 2017 को पाँच पूर्ण (पू) परियोजनाओं सहित 23 चयनित आधारभूत परियोजनायें नीचे दर्शायी गई हैं:

<sup>19</sup> 1,068 व्य घ शौ में से 208।

<sup>20</sup> 1,068 व्य घ शौ में से 95।

<sup>21</sup> संग्रह, पृथक्करण, प्रसंस्करण और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के निपटान जिसमें लैंडफिल और कंपोस्ट संयंत्र का निर्माण शामिल है।

<sup>22</sup> (1) न पा प, कर्णप्रयाग (2) न पं, बद्रीनाथ (3) न पा प, बड़कोट।



अ एवं वि	दोनों (अ एवं वि तथा म शो सं)	म शो सं
<ul style="list-style-type: none"> <li>अहबाबनगर हरिद्वार (पूर्ण)</li> <li>त्रिवेणीघाट, ऋषिकेश (पूर्ण)</li> <li>मरम्मत और पुनर्निर्माण देवप्रयाग (पूर्ण)</li> <li>देवप्रयाग</li> <li>सराय, हरिद्वार</li> <li>जगजीतपुर हरिद्वार</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>तपोवन (पूर्ण)</li> <li>गंगोत्री</li> <li>किर्तीनगर, टिहरी</li> <li>गोपेश्वर</li> <li>कर्णप्रयाग</li> <li>रुद्रप्रयाग</li> <li>मुनि की रेती, ढालवाला</li> <li>ऋषिकेश</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>देवप्रयाग (पूर्ण)</li> <li>उच्चीकरण, जानसु उत्तरकाशी</li> <li>उच्चीकरण, श्रीनगर</li> <li>जगजीतपुर, हरिद्वार</li> <li>सराय, हरिद्वार</li> </ul>

#### नदी तट विकास/घाट/शवदाहग्रह

- देवप्रयाग से उत्तरकाशी
- उत्तरकाशी से मनेरी
- रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग
- कर्णप्रयाग से विष्णुप्रयाग

निम्नलिखित कमियाँ पाई गई हैं :

#### (क) मल शोधन संयंत्र का कम उपयोग

- देवप्रयाग में तीन क्षेत्रों<sup>23</sup> के मल शोधन के लिए 1.4 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एम एल डी) शोधन क्षमता के मल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य एक ठेकेदार को (अक्टूबर 2011) ₹2.83 करोड़ की लागत में 12 महीने में पूर्ण करने के लिए दिया गया था। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि भूमि विवाद के कारण निर्माण कार्य फरवरी 2013 तक प्रारम्भ नहीं हो सका था। आगे, परियोजना के लिए भूमि विकास कार्य जो फरवरी 2013 में आरम्भ किया गया था, जून 2013 में आपदा (बाढ़) के कारण कार्य रोक दिया गया तथा नवम्बर 2013 में पुनः प्रारम्भ किया गया। अंततः, परियोजना मई 2016 में पूर्ण हुई थी। यह भी पाया गया कि तीन क्षेत्रों में से केवल एक क्षेत्र<sup>24</sup> का सीवेज लोड म शो सं द्वारा शोधित किया जा रहा था क्योंकि दो अन्य म शो सं (75 के एल डी और 150 के एल डी) प्रस्तावित (2014) और 2015 में स्वीकृत किये गये थे। परिणामस्वरूप, 1.4 एम एल डी कुल क्षमता के सापेक्ष केवल 0.05 एम एल डी (3.57 प्रतिशत) मल का शोधन किया जा रहा था। आगे, उ पे ज नि (गंगा)

<sup>23</sup> शांति बाजार, संगम बाजार और बाह बाजार।

<sup>24</sup> बाह बाजार (0.05 एम एल डी)।



और उ ज सं के अधिकारियों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जुलाई 2016) में पाया गया कि कम मल आने के कारण म शो सं के संचालन का परीक्षण भी नहीं किया जा सका।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर, विभाग ने अवगत कराया कि शांति बाजार और संगम बाजार सीवर नेटवर्क प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के कारण जोड़े नहीं जा सके थे। आगे यह भी अवगत कराया गया कि कार्य आरम्भ होने के पश्चात देवप्रयाग म शो सं की क्षमता कम करना तकनीकी रूप से व्यवहारिक नहीं था। उ ज सं को सीवर नेटवर्क हस्तांतरण किये जाने के पश्चात बाह बाजार क्षेत्र में केवल 10 घर जोड़े गये थे (मई 2017), विभाग को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि क्षेत्र के सभी सीवर कनेक्शन म शो सं से जुड़े हों ताकि पूरे मल का शोधन किया जा सके।

(ii) ऋषिकेश के तपोवन में 3.5 एम एल डी शोधन क्षमता का एक म शो सं बनाया गया था जिसे मई 2016 से संचालित किया गया। अभिलेखों की जाँच से पाया गया कि म शो सं जून 2017 तक उ पे ज नि द्वारा उ ज सं को संचालन एवं रखरखाव के लिए हस्तगत नहीं किया गया था। आगे यह भी पाया गया कि परियोजना क्षेत्र के समस्त संस्थान/घर म शो सं से नहीं जुड़े थे। परिणामस्वरूप, 3.5 एम एल डी की कुल क्षमता के सापेक्ष केवल 0.29 एम एल डी सीवेज शोधित किया जा रहा था। इस बारे में इंगित किये जाने पर परियोजना प्रबंधक (प प्र), निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई (गंगा) ने अवगत कराया कि संयोजन उ ज सं द्वारा किया जाना था।

सचिव, पेयजल विभाग द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान अवगत कराया कि उ पे ज नि एवं उ ज सं दोनों के प्रशासनिक प्रमुखों को संयोजन बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गये थे।

#### **(ख) परियोजना के पूर्ण होने में असामान्य विलंब**

उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री धाम के लिए सीवेरेज प्रणाली और एक एम एल डी शोधन क्षमता के म शो सं की योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य 30 अप्रैल 2014 था जो वास्तव में अक्टूबर 2017 में पूर्ण हुई थी। प प्र, उत्तरकाशी के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कस्बे में उत्पन्न होने वाले सीवेज का वर्तमान दैनिक भार 0.75 एम एल डी था। परियोजना के पूर्ण होने में अप्रत्याशित विलंब के कारण अतिरिक्त तीन वर्षों की अवधि में प्रतिदिन 0.75 एम एल डी अशोधित मल भागीरथी नदी, जिसे गंगा नदी का स्रोत माना जाता है, में जा रहा था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, विभाग ने अवगत कराया कि पहाड़ की विषम परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदा के कारण विलंब हुआ। विभाग को किसी भी परियोजना को पूरा करने की तिथि निर्धारित करने से पहले क्षेत्र के कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सचिव, पेयजल विभाग द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान इस तर्क को स्वीकार किया गया।

#### **(ग) अर्थदण्ड की वसूली न होना**

उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में सीवेरेज प्रणाली और म शो सं की योजना का कार्य एक ठेकेदार को ₹ 6.92 करोड़ (₹ 4.74 करोड़ निर्माण कार्य एवं ₹ 2.18 करोड़ संचालन एवं रखरखाव के लिए) में दिया (जुलाई 2011) गया। ठेकेदार ने अनुबंध पत्र के सापेक्ष पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल द्वारा जारी किया गया ₹ 69.21 लाख का सावधि जमा पावती (सा ज पा)



प्रतिभूति निधि के रूप में जमा किया जिसे संभाग ने सम्बन्धित बैंक से सत्यापित कराया। अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि जुलाई 2011 व कार्य समाप्ति की तिथि जुलाई 2012 थी। ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय में कार्य पूर्ण नहीं किया गया और उसे अंतिम रूप से सितंबर 2015 तक कार्य पूर्ण करने हेतु अनेक बार समय वृद्धि दी गयी थी। यह पाया गया कि ठेकेदार द्वारा विस्तारित तिथि तक भी कार्य पूर्ण नहीं किया और महाप्रबंधक (म प्र), निर्माण खण्ड (गंगा), हरिद्वार ने 17 नवम्बर 2015 को अनुबंध रद्द कर दिया। प प्र, उ पे ज नि, उत्तरकाशी ने ₹69.21 लाख<sup>25</sup> का अर्थदण्ड लगाया। ठेकेदार द्वारा प्रतिभूति निधि के रूप में जमा की गयी सा ज पा प्रस्तुति के समय जाली पायी (अगस्त 2015) गयी। इस संबंध में इंगित करने पर, प प्र, उ पे ज नि, उत्तरकाशी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि जाली सा ज पा के कारण अर्थदण्ड की वसूल नहीं की जा सकी है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य राजकोष को ₹69.21 लाख की हानि हुई। म प्र, निर्माण खण्ड (गंगा) द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान अवगत कराया गया कि विभागीय स्तर पर जाँच चल रही है।

**(घ) ब्याज मुक्त मोबलाइजेशन अग्रिम दिया जाना**

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 48 का प्रावधान शासन की स्वीकृति के बिना ठेकेदारों को मोबलाइजेशन अग्रिम (मो अ) दिये जाने को प्रतिबंधित करता है। तथापि, यह पाया गया कि तपोवन ऋषिकेश में 3.5 एम एल डी के म शो सं के निर्माण के लिए ठेकेदार को ₹40.14 लाख की राशि का ब्याज रहित मो अ दिया गया था। इस संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि अनुबंध के अनुसार ठेकेदार को अग्रिम दिया गया था। आगे, अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अनुबंध में ब्याज के घटक का उल्लेख नहीं था। अनुबंध में किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव एवं ऊपर दिये गये नियम के विरुद्ध ठेकेदार को ब्याज रहित मो अ का भुगतान किया जाना अनियमित था, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को अनुचित लाभ मिला।

**(ड.) त्रुटिपूर्ण वि प प्र के कारण राज्य के राजकोष पर अतिरिक्त भार**

भारत सरकार द्वारा ऋषिकेश के तपोवन क्षेत्र में 3.5 एम एल डी म शो सं के निर्माण हेतु ₹23.02 करोड़ (70:30 के अनुपात में) की परियोजना लागत से प्रशासकीय अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान (मार्च 2011) की गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि का सं द्वारा निर्माण स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण किये बिना ही वि प प्र तैयार किया गया था। बाद में किये (नवम्बर 2011) गये भूगर्भीय सर्वेक्षण में म शो सं को भू-क्षरण से बचाने के लिए आर सी सी सुरक्षा दीवार बनाने की संस्तुति की गई। राज्य सरकार द्वारा ₹29.75 लाख की लागत से आर सी सी दीवार का निर्माण कराया गया। जिसके फलस्वरूप राज्य के खजाने पर ₹20.82 लाख<sup>26</sup> का अतिरिक्त भार पड़ा। सचिव, पेयजल विभाग द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया।

<sup>25</sup> ठेका लागत (₹ 692.08 लाख) का 0.50% प्रति सप्ताह की दर से अथवा ठेका लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत जो भी कम हो।

<sup>26</sup> ₹ 29.75 लाख x 70 प्रतिशत = ₹ 20.82 लाख।

#### 1.2.8.4 गंगा एवं उसकी सहायक नदियों में सीवेज का बहाव एवं नालों का खुलना

गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण का प्रमुख घटक नदी में खुलने वाले नालें हैं। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

अ) उ पे ज नि द्वारा प्राथमिकता वाले कस्बों<sup>27</sup> में 112 नालों, जो गंगा एवं इसकी सहायक नदियों<sup>28</sup> में 56.871 एम एल डी सीवेज छोड़ रहे थे, को चिन्हित (2015) किया। रा का प्र स के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि (जून 2017) तक 30.579 एम एल डी प्रवाह वाले 47 नालों को टैप किया गया था। इस प्रकार शेष 65 नालों द्वारा 26.292 एम एल डी सीवेज का प्रवाह अभी भी गंगा और इसकी सहायक नदियों में किया जा रहा था।

हरिद्वार में 22 नालों में से 17 नाले टैप करके जल संस्थान, हरिद्वार को हस्तगत किये गये थे। शेष पाँच नालों<sup>29</sup> के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि पाँच नालों में से तीन<sup>30</sup> आंशिक रूप से टैप थे और मल ऊपर से बहकर बिना किसी शोधन के गंग नहर में जा रहा था। दो नाले (रामराखा और मातृ सदन) टैप नहीं किये गये थे और उनका अशोधित जल गंग नहर और गंगा नदी में प्रवाहित हो रहा था।



हरिद्वार में मातृ सदन नाला गंगा नदी में गिरता हुआ



हरिद्वार में पांडेवाला नाला गंग नहर में गिरता हुआ

सहायक अभियन्ता (स अ), उ पे ज नि, हरिद्वार ने सूचित किया कि गंग नहर का पानी सिंचाई कार्य में प्रयोग किया जा रहा था और इसकी सहायक नदियां कानपुर और आगरा के पास क्रमशः गंगा नदी और यमुना नदी में मिल जाती हैं। इसके अतिरिक्त गंग नहर का पानी मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली को पीने के लिए भी सप्लाई किया जाता है।

म प्र, निर्माण खण्ड (गंगा), ने बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान अवगत कराया कि 60 नालों की वि प प्र स्वीकृत हो गई है और पाँच नालों की वि प प्र, रा स्व गं मि स्तर पर विचाराधीन है।

<sup>27</sup> हरिद्वार (बी एच ई एल रानीपुर को सम्मिलित करते हुए), ऋषिकेश, गोपेश्वर, टिहरी (तपोवन-ऋषिकेश), श्रीनगर, जोशीमठ, उत्तरकाशी (बड़कोट) मुनि की रेती-ढालवाला, गौचर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कीर्तिनगर, नंदप्रयाग, बद्दीनाथ, देवप्रयाग।

<sup>28</sup> अलकनन्दा एवं भागीरथी।

<sup>29</sup> (1) कसावन नाला (2) रामरखा नाला (3) पांडे वाला नाला (4) मातृ सदन नाला (5) लाल मंदिर नाला।

<sup>30</sup> (1) कसावन नाला (2) पांडे वाला नाला (3) लाल मंदिर नाला।

ब) उ ज सं, अनुरक्षण खण्ड (गंगा), हरिद्वार के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 18.0 एम एल डी तथा 27.0 एम एल डी के दो म शो सं जगजीतपुर, हरिद्वार में अप्रैल 2011 में उ ज सं को हस्तगत किये गये थे। इन म शो सं में 80 एम एल डी सीवेज प्रवाहित किया जा रहा था जिसमें से केवल 45 एम एल डी सीवेज का शोधन किया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप, 35 एम एल डी अशोधित सीवेज नदी में प्रवाहित हो रहा था जैसाकि स्थल के भौतिक सत्यापन में पाया गया। परियोजना प्रबंधक, निर्माण एवं मरम्मत खण्ड, उ पे ज नि (गंगा) ने अवगत कराया कि 18 एम एल डी एवं 27 एम एल डी के म शो सं जगजीतपुर की वि प प्र 1981 एवं 2001 के जनसंख्या के आधार पर क्रमशः 1989 और 2005 में बनाई गई थी। आगे, यह भी अवगत कराया गया कि स्थायी निवासियों की आबादी में काफी अधिक वृद्धि होने से एवं परियोजना आगणन से अत्यधिक वृद्धि होने तथा पर्यटकों एवं आगंतुकों की अस्थायी वृद्धि होने से काफी मात्रा में अशोधित जल उत्सर्जित हो जाने के कारण म शो सं की क्षमता अपर्याप्त हो गई थी।



जगजीतपुर, हरिद्वार में अनुपचारित सीवेज उपचारित सीवेज में मिलते हुए



सराय हरिद्वार के उपचारित पानी में सिडकुल के औद्योगिक कचरे का मिलना

इसी प्रकार, ऋषिकेश में लगभग 16 एम एल डी सीवेज लकड़घाट ऑक्सीकरण तालाब में जा रहा था जबकि ऑक्सीकरण तालाब की क्षमता केवल छः एम एल डी थी। परिणामस्वरूप, 16 एम एल डी सीवेज, जो कि आंशिक रूप से शोधित हुआ था, खुली नालियों, जो गंगा की एक सहायक सोंग नदी में बहती है, में प्रवाहित हो रहा था। प प्र, अनुरक्षण खण्ड (गंगा), हरिद्वार, द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान तथ्यों को स्वीकार किया एवं अवगत कराया कि हरिद्वार में 68 एम एल डी और ऋषिकेश में 26 एम एल डी के म शो सं स्वीकृत हो गये हैं तथा म शो सं हरिद्वार का कार्य आवंटित कर (अक्टूबर 2017) दिया गया था एवं ऋषिकेश म शो सं के लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति में है।

स) उ ज सं, हरिद्वार के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सराय के म शो सं में 18.0 एम एल डी सीवेज शोधित किया जा रहा था तथा शोधित सीवेज सूखी नदी, जो कि गंगा नदी में समाहित होने से पहले लगभग आठ किलोमीटर बहती है, में प्रवाहित किया जा रहा था। शोधित मल के प्रवाह मार्ग के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल) हरिद्वार के औद्योगिक अपशिष्ट को भी इस शोधित जल को ले जाने वाले चैनल में छोड़ा जा रहा था, इस प्रकार से शोधित पानी प्रदूषित हो रहा था। इस स्थान पर बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बी ओ डी) स्तर की जाँच की गई और इसे 22 मि ग्रा/लीटर पाया गया जो कि स्वीकार्य मापदण्ड 10 मि ग्रा/लीटर से काफी अधिक था।

तथापि, मुख्य अभियन्ता, पेयजल निगम ने बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान अवगत कराया कि पुनरीक्षित मापदण्डों के अनुसार बी ओ डी का स्तर 20 मि ग्रा/लीटर तक मान्य है। इसके अतिरिक्त, रा का प्र स ने अवगत कराया कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन जी टी) के निर्देशानुसार, सिडकुल को नोटिस जारी कर दिया गया है।

द) उ ज सं (अनुरक्षण खण्ड-गंगा) हरिद्वार के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि हरिद्वार की पाँच बसावटों का मल सीवेज पंपिंग स्टेशन (सी पं स्टे) ब्रह्मपुरी में एकत्रित किया जा रहा था। एकत्रित मल ब्रह्मपुरी सी पं स्टे से राइसिंग मेन, जिसकी लंबाई 1,100 मीटर है, के द्वारा डैमकोठी के पास मेनहोल लाईन में पहुँचाया जा रहा था।

यह पाया गया कि उक्त राइसिंग मेन नियमित रूप से फट रहा था तथा फटने की अवधि में सी पं स्टे बन्द करना पड़ता था जिससे सीवेज ऊपर से बहता था। वर्ष 2011-12 से 2016-17 के मध्य राइसिंग मेन 53 से 60 बार फटा था तथा प्रत्येक बार मरम्मत में लगभग 24 से 36 घंटे लगते थे। सी पं स्टे की पंपिंग क्षमता तथा फटने की संख्या एवं मरम्मत में लगने वाले औसत समय को देखते हुए खण्ड द्वारा सूचित किया गया कि लगभग 260 मिलियन-लीटर अशोधित सीवेज वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक लालतारो नदी में प्रवाहित हो चुका था जो कि अंततः गंगा नदी में मिलती है।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियन्ता (अ अ), उ ज सं, हरिद्वार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि राइसिंग मेन बहुत पुराना होने के कारण क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना रहती है तथा इसे बदला जा रहा था।

#### 1.2.8.5 मीथेन गैस का फैलाव

उ पे ज नि ने गंगा एकशन प्लान (गैप-1) के अंतर्गत जगजीतपुर हरिद्वार में 18.0 एम एल डी क्षमता के एक म शो सं का निर्माण किया गया था। म शो सं को वर्ष 2011 में उ ज सं को हस्तगत किया गया था। अ अ, अनुरक्षण इकाई (गंगा), उ ज सं, हरिद्वार के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2011 से 350 से 400 घन मीटर मीथेन गैस प्रतिदिन निकल कर म शो सं के परिसर की खुली हवा में फैल रही थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार, म शो सं को संचालित करने के लिए उ प नि प्र नि बो से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जल संस्थान ने उ प नि प्र नि बो से, वर्ष 2011 में अधिग्रहण तिथि से, न तो म शो सं संचालित करने हेतु सहमति प्राप्त की थी और न ही अनापत्ति प्रमाणपत्र (अ प्र) प्राप्त किया था। इस संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि अ प्र के लिए उ प नि प्र नि बो को मई 2016 में आवेदन किया गया था। क्षेत्रीय अधिकारी, उ प नि प्र नि बो, रुड़की के अभिलेखों के क्रॉस सत्यापन में पाया गया कि ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (मई 2016) कर लिया गया था तथा विभाग को शुल्क जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था जो कि अभी तक नहीं किया गया था।

इस प्रकार संयंत्र विगत पाँच वर्षों से संचालन की सहमति के बिना चल रहा था और विद्यमान वायु प्रदूषण नियंत्रण मापदण्डों का अनुपालन किये बिना मीथेन गैस का नियमित फैलाव हो रहा था।

सचिव, पेयजल विभाग ने बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया।

### 1.2.8.6 शोधित पानी एवं मल का पुनः उपयोग

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यान्त्रिकी संगठन के मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यावन्धन संस्थाओं को म शो सं से निकलने वाले शोधित पानी एवं मल का कृषि, बागवानी आदि में पुनः उपयोग हेतु प्रावधान करना चाहिए।



सराय हरिद्वार में जमा मल अवशिष्ट

उ पे ज नि ऋषिकेश एवं उ ज सं हरिद्वार के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ऋषिकेश के 3.5 एम एल डी म शो सं और हरिद्वार के 18 एम एल डी म शो सं से शोधित पानी का पुनः उपयोग नहीं किया जा रहा था तथा इसे गंगा और इसकी सहायक नदियों में प्रवाहित किया जा रहा था। साथ ही यह भी पाया गया कि दोनों इकाईयों में मल अवशिष्ट के पुनः उपयोग का प्रावधान नहीं किया गया था तथा इसे म शो सं के पास ही जमा किया जा रहा था जिससे पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो रहा था। सचिव, पेयजल विभाग ने बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान अवगत कराया कि शोधित पानी अब किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, यह भी अवगत कराया गया कि निजी भागीदारों से मल अवशिष्ट की बिक्री हेतु परामर्श किया गया था।

### 1.2.8.7 गंगा के लिए वानिकी घटकों के अंतर्गत भौतिक प्रगति

रा स्व गं मि द्वारा वर्ष 2016-17 की वा का यो के अंतर्गत 1,521 हेक्ट क्षेत्र में वानिकी घटकों के क्रियान्वयन को अनुमोदित किया। घटकों की प्रगति को निम्न तालिका-1.2.6 में दिया गया है:

तालिका-1.2.6: लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

भूनिर्माण/गतिविधियाँ	वा का यो के अनुसार लक्ष्य	उपलब्धियाँ	कमी की प्रतिशतता
प्राकृतिक भूनिर्माण			
उन्नत मृदा कार्य (हेक्ट)	1,000.00	965.00	3.50
पौधशाला में पौधों की संख्या (लाख)	27.45	19.55	29.00
कृषि भूनिर्माण (हेक्ट)	300.00	304.00	-
शहरी भूनिर्माण (हेक्ट)	21.00	2.75	87.00
संरक्षण घटक (हेक्ट)	200.00	171.14	14.00

विभाग वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारित किये गये चार वानिकी घटकों में से तीन में, उन्नत मृदा कार्य के प्रकरण में 3.50 प्रतिशत से लेकर शहरी भूनिर्माण के प्रकरण में 87 प्रतिशत तक, निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा।

शहरी भूनिर्माण को चार जिलों टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून और हरिद्वार में किया जाना था। लेखापरीक्षा द्वारा उत्तरकाशी एवं देहरादून में भौतिक सत्यापन किया गया। यद्यपि उत्तरकाशी में वि प प्र में प्रावधानों के अनुसार पौधरोपण किया गया था फिर भी लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों में कमी थी। उत्तरकाशी प्रभाग के लिए पाँच हेक्टेयर (मार्ग पर छायादार पौधरोपण के लिए तीन हेक्टेयर और इको-पार्क के लिए दो हेक्टेयर) का लक्ष्य था। इसके सापेक्ष, निधियों को देरी से अवमुक्त करने के कारण, मार्च 2017 तक केवल दो हेक्टेयर मार्ग को छायादार पौधरोपण के अंतर्गत लाया गया था

तथा इको-पार्क के विकास के लिए कोई भी गतिविधि शुरू नहीं की गयी थी। देहरादून में मार्ग पर छायादार पौधरोपण शुरू नहीं किया गया था। इको-पार्क के विकास के लिए लक्षित तीन हेक्टेयर में से केवल 0.75 हेक्टेयर विकसित हुआ था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर परियोजना निदेशक, प प्र ई, गं वा घ, उत्तराखण्ड ने अवगत (मई 2017) कराया कि कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना, कर्मचारियों की व्यवस्था तथा तकनीकी दिशानिर्देशों को जारी करने में विलंब के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके।

### 1.2.8.8 गंगा के लिए वानिकी घटकों के अंतर्गत पौधरोपण प्रकरण

(i) रा स्व गं मि द्वारा अनुमोदित वि प प्र खण्ड-1 के प्रस्तर 5.5.2 के अनुसार, पौधरोपण के कार्यों में पौधरोपण से काफी पहले गड्डे को पौधरोपण क्षेत्र में मानक पद्धति के अनुसार खोदा जाना चाहिए तथा गड्डे की खुदाई और निर्धारित पौधरोपण समय के मध्य चार माह से अधिक की अवधि नहीं होनी चाहिए जिससे हवा और मिट्टी का कटान कम किया जा सके। उत्तराखण्ड में, नियमित पौधरोपण कार्यक्रम मानसून के दौरान जुलाई-अगस्त में किया जाता है और इसलिए गड्डे खोदने का आदर्श समय अप्रैल या बाद का होना चाहिए।

नमूना जाँच किये गये नौ वन प्रभागों की लेखापरीक्षा के दौरान, सात वन प्रभागों ने जनवरी-मार्च, 2017 के दौरान गड्डे की खुदाई की सूचना दी। इस प्रकार, प्राकृतिक पौधरोपण के लिए गड्डे अनुशंसित समय के 1-3 माह पूर्व खोदे गये थे जो कि कार्यक्रम दिशानिर्देश का उल्लंघन था।

(ii) वि प प्र (खण्ड-1 के प्रस्तर 5.5.2) के अनुसार जैविक खाद के प्रयोग से नर्सरी एवं पौधरोपण में पौधों के विकास में बढ़ावा मिलता है। कृत्रिम रसायनों के उपयोग का सहारा लिए बिना पर्यावरण के अनुकूल उपायों को अपनाया जाना था।

नमूना जाँच किये गये नौ प्रभागों में से चार<sup>31</sup> वन प्रभागों ने सूचित किया कि पौधरोपण के लिए जैविक खाद तथा कृत्रिम रसायनों का मिश्रण प्रयुक्त किया गया था। प्रभागों द्वारा कृत्रिम रसायनों का उपयोग वि प प्र के प्रावधानों का उल्लंघन था।

(iii) जैव उपचार एवं जैव निस्पंदन, औद्योगिक पौधरोपण, तटवर्ती वन्यजीव प्रबंधन, आद्र भूमि प्रबंधन तथा नदी के मुहाने का विकास आदि गतिविधियों, जो कि शहरी भूनिर्माण और संरक्षण घटक का अंश थे, का इस तथ्य के बावजूद कि ये गतिविधियाँ औद्योगिक समूहों तथा शहरी एवं पेरी-शहर से निकलने वाले दूषित पदार्थों के कारण प्रदूषण के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण थे, बिल्कुल प्रयास नहीं किया गया।

(iv) वर्ष 2016-17 में हरिद्वार वन प्रभाग में पाँच हेक्ट में मार्ग पर छायादार पौधरोपण<sup>32</sup> का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके लिए फरवरी 2017 में ₹12 लाख की राशि आवंटित की गयी थी। तथापि, प्रभाग द्वारा कोई पौधरोपण नहीं किया गया एवं मई 2017 में आवंटित धनराशि समर्पित कर दी गई थी। इंगित किये जाने पर, प्रभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए

<sup>31</sup> उत्तरकाशी, भूमि संरक्षण उत्तरकाशी, टिहरी डैम II और हरिद्वार का चिड़ियापुर क्षेत्र।

<sup>32</sup> सड़क के किनारे पर वृक्षारोपण।

अवगत कराया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने जगह देने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य पिछले कई वर्षों से हो रहा था तथा वा का यो को तैयार करने से पूर्व इलाके की उपलब्धता की पुष्टि होनी चाहिए थी।

#### 1.2.8.9 वानिकी घटकों के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक रीति से मजदूरी का भुगतान

भारत सरकार ने निर्देश जारी (नवम्बर 2016) किये कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं ठेकेदारों को कार्यरत कर्मचारियों हेतु बैंक खाते खोलने चाहिए तथा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डी बी टी)/ इलेक्ट्रानिक रीति के माध्यम से भुगतान करें। श्रमिकों के बैंक खाते खोलने हेतु कैम्प लगाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। परियोजना निदेशक, प प्र ई, गं वा घ, द्वारा प्रभागों को कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देश (दिसम्बर 2016) जारी किया गया।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच किये नों में से सात<sup>33</sup> प्रभागों में पाया गया कि ठेकेदारों के माध्यम से कार्य संपादित किये गये तथा श्रमिक लागत के रूप में ₹5.27 करोड़ का भुगतान किया गया। दो प्रभागों<sup>34</sup> ने सभी कार्य विभागीय मजदूरी के आधार पर संपादित किये थे। तथापि, प्रभागों ने ₹82.43 लाख का नगद भुगतान इस आधार पर किया कि श्रमिकों के बैंक खाते नहीं खुले थे। इस प्रकार डी बी टी के माध्यम से मजदूरी के भुगतान के संबंध में जारी निर्देशों का उल्लंघन हुआ।

प्रभागीय वनाधिकारियों (प्र व अ) ने उत्तर में अवगत कराया कि ठेकेदारों को इलेक्ट्रानिक रीति से भुगतान किया गया था। तथापि, किसी भी प्रभाग ने ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध में यह शर्त नहीं लगाई कि श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान डी बी टी के माध्यम से किया जायेगा। इस प्रकार, श्रमिकों द्वारा डी बी टी के माध्यम से उनकी मजदूरी मिली या नहीं का आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सका।

#### 1.2.9 माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड के निर्देशों का अनुपालन

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड ने गंगा नदी की सफाई से संबंधित एक रिट याचिका पर आदेश पारित (02.12.2016) किया, जिसमें गंगा और इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए निर्देश जारी किये गये थे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ, ऋषिकेश और हरिद्वार में म शो सं, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड और हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं द्वारा म शो सं की स्थापना, दोषी उद्योगों, जिनको बंदी आदेश निर्गत किये गये थे, के संचालन की स्थिति; उद्योग/होटल/वाणिज्यिक संस्थान/आश्रम द्वारा अशोधित सीवेज का प्रवाह, गंगा नदी में नालो का खोलना; प्लास्टिक थैलों का संग्रह, उपयोग, विक्रय और जानवरों के गंगा नदी में नहाने पर प्रतिबंध से सम्बन्धित निर्देश शामिल थे। इनके संबंध में निष्कर्षों का विवरण परिशिष्ट-1.2.3 में दिया गया है।

<sup>33</sup> उत्तरकाशी, भूमि संरक्षण उत्तरकाशी, टिहरी डैम -II, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून एवं हरिद्वार।

<sup>34</sup> नरेंद्र नगर वन प्रभाग, टिहरी डैम I वन प्रभाग।



### 1.2.10 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी अनुश्रवण और प्रतिवेदन एक महत्वपूर्ण घटक है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

#### 1.2.10.1 गंगा नदी की जल गुणवत्ता अनुश्रवण

उ प नि प्र नि बो, जो कि एक सांविधिक संगठन है, जल अधिनियम (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) 1974 की धारा-4 के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य में पर्यावरणीय विधि एवं नियमों को लागू करने के लिए स्थापित किया गया था, जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण कर रहा था। उ प नि प्र नि बो के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि अनुश्रवण केन्द्रों पर जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण एक विशेष कस्बे के प्रवेश और निकास बिन्दुओं पर नहीं किया जा रहा था। इसलिए, एक कस्बे के प्रवेश और निकास बिन्दुओं पर जल की गुणवत्ता की तुलना करना कठिन था। यह कमी इन कस्बों से निकलने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में म शो सं और अ एवं वि परियोजनाओं की प्रभावशीलता को मापने से रोकती है। उ प नि प्र नि बो की जल गुणवत्ता अनुश्रवण प्रतिवेदन के अनुसार जल गुणवत्ता की स्थिति निम्नानुसार थी:

- गंगोत्री से ऋषिकेश तक का फैलाव : 'अ' श्रेणी
- ऋषिकेश से हरिद्वार : 'ब' श्रेणी
- हरिद्वार से निचली धारा : 'स' श्रेणी

प्रतिवेदन इस तथ्य की पुष्टि करता है कि नदी में निचली धारा की ओर जल गुणवत्ता खराब हो गई थी। चूंकि अधिकांश क्रियाशील म शो सं ऋषिकेश एवं हरिद्वार में हैं फिर भी यह इंगित किया कि म शो सं के संचालन के बावजूद ऋषिकेश-हरिद्वार विस्तार में नदी में प्रदूषण निरंतर जारी रहा जैसाकि विभिन्न कार्यान्वयन मुद्दों पर पूर्व में चर्चा की गई है।

इसके अतिरिक्त, उ प नि प्र नि बो के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दस चयनित कस्बों<sup>35</sup> में से केवल तीन केन्द्रों<sup>36</sup> पर जल गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र स्थापित किये गये थे। सचिव, पेयजल विभाग, द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान अवगत कराया कि रा स्व गं मि ने अनुश्रवण कार्यक्रम को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंप दिया है।

#### 1.2.10.2 बजटीय अनुश्रवण

एन जी आर बी ए की रूपरेखा के अनुसार, रा का प्र स को आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता के आंकलन एवं आंतरिक नियंत्रण की उपयुक्तता सुनिश्चित करने हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट की निजी फ़र्म की सेवाएँ आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में लेनी थी।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि रा का प्र स द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी (जून 2017) थी। इंगित किये जाने पर रा का प्र स द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि सितंबर 2012 एवं मई 2015 में आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये थे परन्तु चयन को स्थगित कर दिया गया था क्योंकि रा स्व गं मि ने सूचित किया था

<sup>35</sup> 1. बड़कोट (उत्तरकाशी) 2. गोपेश्वर 3. बद्दीनाथ (पुरी) 4. कर्णप्रयाग 5. हरिद्वार बी एच ई एल तथा रानीपुर सहित 6. ऋषिकेश 7. टिहरी तपोवन, ऋषिकेश 8. मुनि की रेती, ढालवाला 9. देवप्रयाग 10. जोशोमठ।

<sup>36</sup> ऋषिकेश, हरिद्वार एवं देवप्रयाग।



कि वह अपना आंतरिक लेखापरीक्षा दल नियुक्त करेगी। सचिव, पेयजल विभाग ने बहिर्गमन गोष्ठी में अवगत कराया कि आंतरिक लेखापरीक्षक का पद नवम्बर 2017 में भर दिया गया था। अतः नवम्बर 2017 तक आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता को आंकलित करने का तन्त्र स्थापित नहीं था।

आगे, यह भी पाया गया कि का सं द्वारा किये गये व्यय का रा का प्र स के अभिलेखों से नियमित रूप से मिलान नहीं किया जा रहा था। इस संबंध में इंगित किये जाने पर, रा का प्र स ने अवगत कराया कि नियमित आधार पर लेखों के मिलान हेतु का सं को आवश्यक निर्देश जारी किये जा रहे थे।

### 1.2.10.3 गंगा कार्यो हेतु वानिकी घटकों का अनुश्रवण

वि प प्र खण्ड-1 के प्रस्तर 6.6 में निर्धारित किया गया है कि प प्र ई द्वारा राज्य परियोजना संचालन समिति (रा प सं स) के परामर्श से एक समग्र 25 प्रतिशत आंतरिक अनुश्रवण हेतु विस्तृत तन्त्र को अंतिम रूप दिया जायेगा। तथापि, रा प सं स की स्थापना न होने से आंतरिक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु कोई प्रणाली राज्य में विद्यमान नहीं थी। समवर्ती अनुश्रवण पद्धतियों के पाँच प्रकारों अर्थात् आई टी युक्त अनुश्रवण, सुदूर संवेदन आधारित अनुश्रवण, डाटा रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनुश्रवण, धरातल पर अनुश्रवण एवं सहभागिता अनुश्रवण में से प प्र ई के साथ-साथ प्रभागों द्वारा कोई भी पद्धति नहीं अपनाई जा सकी थी। किसी भी प्रकार के अनुश्रवण की अनुपस्थिति में, किये गये कार्यो की गुणवत्ता एवं सफलतापूर्वक उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में कोई भी आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सकता।

इंगित किये जाने पर, परियोजना निदेशक, प प्र ई, गं वा घ, उत्तराखण्ड ने अवगत कराया (मई 2017) कि रा प सं स का गठन न होने के कारण अनुश्रवण का आंतरिक तन्त्र स्थापित नहीं किया जा सका था।

### 1.2.11 क्षमता निर्माण

शहरी विकास विभाग में क्षमता निर्माण की महत्ता को ध्यान में रखकर, यह पाया गया कि 24 शहरों में दो प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो केंद्रीय कार्यक्रम का भाग थे, आयोजित (नवम्बर 2016 और अप्रैल 2017) किये गये। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय फ़र्म [इयूश जीसेल शाफ्ट फर इंटरनेशनले जूसम्मनेनाबॉट (जी आई जेड)] के साथ एक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी स्वच्छता योजना<sup>37</sup> (श स्व यो) को बनाने के लिए सुविधा प्रदान करना था। तथापि, यह पाया गया कि उक्त श स्व यो को अभी तक अंतिम रूप दिया जाना बाकी था। इंगित किये जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि श स्व यो दिसंबर 2017 तक तैयार हो जाएगी। यह भी पाया गया कि 15 प्राथमिक कस्बों में से 12 को ही इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु आच्छादित किया गया था। सचिव, पेयजल विभाग द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सूचित किया गया कि शहरी स्वच्छता योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

<sup>37</sup> उचित स्वच्छता के संबन्ध में जागरूकता पैदा करने के लिए मौजूदा स्वच्छता कार्य का सुदृढीकरण और मजबूत करने की योजना तथा शहर को साफ और कूड़ा मुक्त रखने के अंतिम उद्देश्य के लिए कर्मचारियों, चुने हुए प्रतिनिधियों और समस्त हितधारकों को प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण कार्यक्रम प्रदान करना।

- वि प प्र के अनुच्छेद 5.5.4.2 [डी(बी)] खण्ड-1 के अनुसार, वनीकरण घटकों के लिए, समुदाय के लिए स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण, वन विभाग के कर्मचारियों के लिए प्रभाग स्तरीय प्रशिक्षण, राज्य और राज्य के बाहर राज्य स्तर की कार्यशाला की शुरुआत तथा एक्सपोजर यात्रा शुरू की जानी थी। यह पाया गया कि राज्य में वर्ष 2016-17 में लक्षित 50 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सापेक्ष मात्र पाँच स्थानीय स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। इसके अतिरिक्त, 11 कार्यान्वयन प्रभागों में से केवल चार प्रभागों के कर्मियों के लिए ही प्रभाग स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। अतः विभागीय कर्मियों के साथ-साथ सामान्य नागरिक के मध्य जागरूकता प्रसार का स्तर कम रहा। इंगित किये जाने पर, विभाग ने अवगत कराया कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आकस्मिकता मद से आयोजित किये गये थे क्योंकि क्षमता निर्माण के लिए कोई बजट उपलब्ध नहीं था।

### 1.2.12 मानव संसाधन विकास

#### संस्वीकृत पद के सापेक्ष कार्मिकों की स्थिति

31 मार्च 2017 को, रा का प्र स में स्वीकृत पद के साथ-साथ तैनाती की स्थिति नीचे तालिका-1.2.7 में दर्शायी गयी है:

तालिका-1.2.7: संस्वीकृत पद और कार्मिकों की स्थिति का विवरण

संस्वीकृत पद		कार्मिकों की स्थिति		आधिक्य (+)/कमी (-)	
तकनीकी	गैर-तकनीकी	तकनीकी	गैर-तकनीकी	तकनीकी	गैर-तकनीकी
8	11	4	9	(-) 4	(-) 2

यह पाया गया कि चार महत्वपूर्ण पदों अर्थात् नदी तट विकास विशेषज्ञ, सामाजिक प्रबंधन विशेषज्ञ, सहायक प्रबंधक (सिविल) और सहायक प्रबंधक तकनीकी को लेखापरीक्षा तिथि (सितम्बर 2017) तक नहीं भरा गया था। सचिव, पेयजल विभाग ने बर्हिगमन गोष्ठी के दौरान अवगत कराया कि अब पद भर दिये गये थे।

विभिन्न पर्यावरण सम्बन्धित अधिनियमों एवं नियमों का पालन करने के लिए उ प नि प्र नि बो में भी पर्याप्त मानव संसाधनों की कमी थी। प्रत्येक संवर्ग में कर्मचारियों की अत्यधिक कमी थी। वैज्ञानिक और तकनीकी संवर्ग में कमी 71 और 56 प्रतिशत के मध्य होने के कारण उ प नि प्र नि बो को गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियमों और नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में कठिनाई थी।

### 1.2.13 सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति

सतत विकास लक्ष्य (स वि ल) का उद्देश्य सार्वभौमिक रूप से लागू लक्ष्यों का एक समूह बनाना है जो सतत विकास के तीन आयामों पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक को संतुलित करता है। कुल मिलाकर 17 लक्ष्य स वि ल के रूप में निर्धारित किये गये हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना है।

स वि ल का छठवाँ लक्ष्य साफ जल और स्वच्छता की अवधारणा पर आधारित है। इसका उद्देश्य सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और निरंतरता का प्रबंधन सुनिश्चित करना है। फिर भी गंगा नदी के जलग्रह क्षेत्र में अवैज्ञानिक तरीके से कचरे के निस्तारण की घटनाएँ, स्वच्छता सम्बन्धित आधारभूत परियोजनाओं को पूर्ण करने में विलंब और नालों की टैपिंग न होने के कारण गंगा और इसकी सहायक नदियों में अशोधित सीवेज का बहाव, जैसाकि पूर्व के प्रस्तरों में दिया गया है, यह दर्शाता है कि साफ जल और स्वच्छता के लिए और प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

### 1.2.14 निष्कर्ष

एन जी आर बी ए की रूपरेखा में निर्धारित समय सारणी के अनुसार वार्षिक योजना प्रस्तुत नहीं की जा रही थी। वर्ष 2017-18 से पूर्व संचार और सार्वजनिक पहुँच गतिविधियों के लिए वार्षिक योजना नहीं बनाई गयी थी। सं वा यो में, गंगा के लिए वानिकी घटकों हेतु अनुमोदित कुल योजना आकार, वर्ष 2016-17 के लिए वि प प्र में नियोजित क्षेत्र का मात्र 4.66 प्रतिशत थी। राज्यांश एकमुश्त अवमुक्त किया जा रहा था जो कि एन जी आर बी ए की रूपरेखा के विपरीत था। सात जिलों की 132 गा पं के सभी 265 गाँव को खु शौ मु करने का विभाग का दावा गलत पाया गया। का सं के मध्य समन्वय की कमी के कारण म शो सं का उचित उपयोग नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप गंगा नदी में अशोधित मल प्रवाहित हुआ। चिन्हित 112 नालों में से, 65 नालों को टैप न करने के कारण 26.292 एम एल डी अशोधित मल गंगा और इसकी सहायक नदियों में प्रवाहित हुआ। म शो सं को विलंब से चालू करने और मल शोधन हेतु मौजूदा म शो सं की अपर्याप्त क्षमता के कारण अशोधित मल गंगा और इसकी सहायक नदियों में प्रवाहित हुआ। नगरपालिका का कचरा एवं संचालित म शो सं का मल अवशिष्ट क्रमशः पहाड़ी ढलानों एवं म शो सं क्षेत्र में जमा किया जा रहा था। जल गुणवत्ता अनुश्रवण स्टेशनों को आधिकांश प्राथमिकता वाले कस्बों में स्थापित किया जाना बाकी था जिससे सम्पूर्ण गंगा नदी के क्षेत्र में जल गुणवत्ता का पता लगाना संभव नहीं था। मानव संसाधनों की निरंतर कमी थी तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तन्त्र प्रभावी नहीं था।

### 1.2.15 संस्तुतियाँ

**सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि:**

- i. कार्यदायी संस्थाओं से प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत हों ताकि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को वार्षिक कार्ययोजना समय पर प्रस्तुत की जा सके;
- ii. राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह, कार्यदायी संस्था और सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय के मध्य परियोजना स्तरीय अनुबंध ज्ञापन के क्रियान्वयन के लिए राज्य में समन्वय व्यवस्था स्थापित हो;
- iii. वनीकरण घटकों हेतु वि प प्र में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप वार्षिक योजना का बेहतर नियोजन, कार्यान्वयन और अनुश्रवण हो;
- iv. लक्षित सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन संरचनाओं का निर्माण। यह 100 प्रतिशत व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित कर सकती है। खुले में शौच मुक्त की घोषणा स्वतन्त्र अनुश्रवण अभिकरण के भौतिक सत्यापन पर आधारित होनी चाहिए;
- v. उचित पृथक्करण के पश्चात नगरपालिका कचरे का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण हो;
- vi. मल शोधन संयंत्रों की क्षमता का उन्नयन किया जाय ताकि अशोधित मल नदी में प्रवाहित न हो; और
- vii. प्राथमिकता वाले कस्बों में चिन्हित किये गये सभी नालों को बन्द किया जाय तथा गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में मल प्रवाहित होने से रोका जाय।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (सितम्बर 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

### 1.3 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

अप्रैल 2009 में, भारत सरकार (भा स) द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (रा गा पे का) की शुरुआत की गई, जिसमें विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण रखते हुए पंचायती राज संस्थानों (पं रा सं) और सामुदायिक संगठनों को शामिल करते हुए पेयता, पर्याप्तता, सुविधा, समर्थता एवं निष्पक्षता के अनुसार जल उपलब्धता कायम करना सुनिश्चित किया गया। पेयजल और स्वच्छता विभाग (पेयजल विभाग) क्रियान्वयन संस्था है। उत्तराखण्ड राज्य में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में कार्यक्रम के नियोजन, संस्थागत तन्त्र, क्रियान्वयन, वित्त प्रबंधन एवं अनुश्रवण में कमियों को प्रकट किया गया। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्न प्रकार थे:

#### मुख्यांश

- ग्राम और जिला जल सुरक्षा योजनाएँ जिसमें जन सांख्यिकीय, भौतिक विशेषताएँ, जल स्रोतों, उपलब्ध पेयजल के बुनियादी ढाँचे इत्यादि सम्मिलित होते हैं, नहीं बनाए गये थे। आगे, कार्यक्रम को एक निश्चित दिशा देने हेतु विस्तृत जल सुरक्षा योजना तैयार नहीं की गई थी।  
[प्रस्तर 1.3.6.1 (अ) एवं (ब)]
- राज्य में आवश्यक संस्थागत तन्त्र में कमी पायी गयी जैसे राज्य जल और स्वच्छता मिशन को पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित नहीं किया गया था, महत्वपूर्ण समितियाँ जैसे ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ एवं स्रोत खोजी समिति का गठन नहीं किया गया था।  
[प्रस्तर 1.3.6.2 (अ) से (य)]
- वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में, राज्य सरकार ने अपना राज्यांश क्रमशः ₹62.84 करोड़ एवं ₹57.85 करोड़ अवमुक्त नहीं किये। सकल वित्तीय प्रबंधन में भी कमियाँ पायी गयीं जैसे 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान, कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के लिए निधियों का आवंटन कार्यक्रम के मापदण्डों के अनुरूप नहीं था।  
[प्रस्तर 1.3.7.2]
- वर्ष 2017 तक पाइप द्वारा जलापूर्ति एवं घरेलू संयोजन प्रदान करने के लक्ष्य की उपलब्धि में कमी थी। राज्य 50 प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 14.71 प्रतिशत बसावटों को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल उपलब्ध कराने में सक्षम था।  
[प्रस्तर 1.3.8.2]
- पाइप जलापूर्ति योजनाओं के पूर्ण होने की दर न्यून दर से प्रभावित हुयी तथा ₹185.45 करोड़ लागत की 20 योजनाओं को पूर्ण होने में 5 से 12 वर्ष का विलंब हुआ।  
[प्रस्तर 1.3.8.3]
- उत्तराखण्ड जल निगम स्थायित्व घटक हेतु अपर्याप्त निधियों के आवंटन/व्यय के औचित्य को प्रदान करने में असफल रहा। स्थायित्व घटक के अंतर्गत व्यय मापदण्डों के अनुसार नहीं किया गया जैसे टिहरी जिले में लघु पेयजल योजनाओं एवं पानी की टंकियों के निर्माण में ₹42.01 लाख व्यय किया गया, जो कि कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे।  
[प्रस्तर 1.3.8.5]

- अनुश्रवण तन्त्र में कमियाँ थीं जैसे इस कार्य का निष्पादन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया गया था, जबकि यह कार्य राज्य जल और स्वच्छता मिशन द्वारा किया जाना था, जो कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नामित संस्था थी। इसके अतिरिक्त, आँकड़ों की अपेक्षित जाँच एवं सत्यापन के अभाव में एकीकृत प्रबंधन सूचना तन्त्र के आँकड़ों में विश्वसनीयता का अभाव था।

[प्रस्तर 1.3.9.3 से 1.3.9.5]

### 1.3.1 परिचय

वर्ष 2009 में, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (रा गा पे का) के रूप में संशोधित किया गया। यह कार्यक्रम इसके छः घटकों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है अर्थात् (i) आच्छादन (अनाच्छादित, आंशिक आच्छादित तथा पुनः अनाच्छादित बसावटों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराना), (ii) स्थायित्व (स्थानीय स्तर पर पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य को प्रोत्साहित करना), (iii) जल गुणवत्ता (जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के लिए पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना), (iv) संचालन और अनुरक्षण (पेयजल आपूर्ति परियोजना के संचालन, मरम्मत और प्रतिस्थापन पर व्यय), (v) जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी (क्षेत्रीय स्तर पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने के साथ-साथ राज्य में जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं संचालन) और (vi) समर्थित (विभिन्न गतिविधियाँ, जो ग्रामीण समुदायों को पीने योग्य जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों, हेतु सहायता प्रदान करना)। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, जल के कई स्रोतों का उपयोग करके, प्रणाली तथा स्रोत की स्थिरता सुनिश्चित कर, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल गुणवत्ता कार्यक्रम को संस्थागत बनाकर, सामुदायिक जागरूकता पैदा करना, लोगों को प्रशिक्षण देकर एवं एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई एम आई एस) के माध्यम से कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करके, प्रत्येक ग्रामीण हेतु पेयजल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

#### कार्यक्रम कार्यान्वयन की कार्यनीति

बारहवीं योजना अवधि (2012-17) हेतु, भारत सरकार द्वारा संस्तुति की गयी (i) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सेवा को 40 ली प्र व्य प्र दि<sup>38</sup> से 55 ली प्र व्य प्र दि तक बढ़ाने की आवश्यकता; (ii) पाइप जल आपूर्ति (पा ज आ) पर ध्यान केन्द्रित करना एवं (iii) पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर संयुक्त<sup>39</sup> दृष्टिकोण। मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पेयजल क्षेत्र के लिए निम्नलिखित सामयिकता के साथ एक नीतिगत योजना बनाई गयी:

यह सुनिश्चित करने के लिए कि (वर्ष 2017 तक)

- कम से कम 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पाइप जल आपूर्ति प्रदान की जाय;
- कम से कम 35 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को घरेलू संयोजन के साथ पाइप द्वारा जल आपूर्ति पहुँचाना; 20 प्रतिशत से कम सार्वजनिक नल का प्रयोग करें तथा 45 प्रतिशत से कम हैंडपम्प या अन्य सुरक्षित व उचित निजी जल स्रोतों का प्रयोग करें;

<sup>38</sup> लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन।

<sup>39</sup> पेयजल एवं स्वच्छता दोनों से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए किये जाने वाले कार्यों के लिए सम्मिलित दृष्टिकोण।

- सभी सेवाएँ गुणवत्ता एवं प्रतिदिन आपूर्ति के घण्टों की संख्या सम्बन्धित निर्धारित मानकों को पूर्ण करें;
- ग्रामीण भारत के सभी परिवारों, विद्यालयों व आँगनवाड़ियों तक पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल की पहुँच हो एवं प्रयोग करें;
- पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय समुदायों को कम से कम 60 प्रतिशत ग्रामीण पेयजल स्रोतों और प्रणालियों के प्रबंधन के लिए सक्षम बनाने हेतु उन्हें सहायता एवं वातावरण प्रदान करना।

### 1.3.2 संगठनात्मक व्यवस्थाएँ

उत्तराखण्ड में, राज्य सरकार द्वारा पेयजल मंत्रालय के अधीन राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (रा ज स्व मि) के माध्यम से कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य में तीन कार्यदायी संस्थाएँ (का सं) जैसे उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम (उ पे नि) आच्छादन व स्थायित्व घटक के कार्य कर रहा है, उत्तराखण्ड जल संस्थान (उ ज सं) संचालन व अनुरक्षण एवं जल गुणवत्ता अनुश्रवण व निगरानी घटक के कार्य कर रहा है तथा स्वजल आच्छादन एवं समर्थन घटक के कार्य कर रहा है। उत्तराखण्ड में, किसी भी क्षेत्र की पहचान जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र के रूप में नहीं की गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने हेतु उ पे नि को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

### 1.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए की गई कि क्या:

- कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त योजना व आवश्यक संस्थागत तन्त्र विद्यमान था;
- वित्त प्रबंधन मित्तव्ययी व प्रभावी था;
- कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रभावी व दक्ष था; तथा
- कार्यक्रम की अनुश्रवण व मूल्यांकन हेतु पर्याप्त एवं प्रभावी तन्त्र विद्यमान था।

### 1.3.4 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

कार्यक्रम की निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 के मध्य निष्पादित की गई जिसमें 2012-13 से 2016-17 की अवधि को आच्छादित किया गया। राज्य के 13 जिलों में से, चार जिले<sup>40</sup> लेखापरीक्षा हेतु चयनित किये गये थे।

राज्य में कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा रा ज स्व मि, उत्तराखण्ड तथा उपरोक्त चयनित चार जिलों<sup>41</sup> से प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज विदाउट रिपलेसमेंट (पी पी एस डब्लू ओ आर) प्रद्वति के आधार पर चयनित उ पे नि के आठ खण्डों (प्रत्येक चयनित जिले से दो) के अभिलेखों की नमूना जाँच द्वारा की गई थी। लाभार्थी सर्वेक्षण सम्पादित करने के लिए आकार की माप हेतु पेयजल आपूर्ति योजनाओं की संख्या को लेते हुए, पी पी एस डब्लू ओ आर विधि से चार चयनित जिलों के 10 खण्डों से 20 ग्राम पंचायतों (ग्रा पं) से 70 बसावटों का चयन किया गया। सिम्पल रैनडम सैंपलिंग विदाउट रिपलेसमेंट (एस आर एस डब्लू ओ आर) विधि से प्रत्येक खण्ड से दो ग्राम पंचायतों

<sup>40</sup> प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज विदाउट रिपलेसमेंट विधि के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र (कूमाँ एवं गढ़वाल) से (कम से कम दो जिले) 25 प्रतिशत जिलों का चयन व्यय के आधार पर किया गया। अल्मोड़ा व नैनीताल कुमाँ क्षेत्र से एवं पौड़ी व टिहरी गढ़वाल क्षेत्र से चयनित किये गये।

<sup>41</sup> अल्मोड़ा (चार खण्ड), टिहरी (चार खण्ड), नैनीताल (तीन खण्ड) एवं पौड़ी (पाँच खण्ड)।

का चयन किया गया। एस आर एस डब्लू ओ आर विधि से 15 ग्राम पंचायतों से 60 बसावटों (प्रत्येक ग्राम पंचायत से चार बसावट) का चयन किया गया तथा पाँच ग्राम पंचायतों की 10 बसावटों में चार से कम बसावटें थीं। इसके अतिरिक्त, चयनित जिलों से सम्बन्धित उ ज सं एवं स्वजल के प्रभागों के अभिलेखों की भी जाँच की गयी।

सचिव, पेयजल विभाग के साथ 20 अप्रैल 2017 को आयोजित प्रवेश गोष्ठी में निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदण्ड एवं कार्यक्षेत्र/कार्यविधि की चर्चा की गई। 29 नवम्बर 2017 को आयोजित बहिर्गमन गोष्ठी में सचिव, पेयजल विभाग एवं विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। सरकार/कार्यदायी संस्थाओं के प्रत्युत्तरों को प्रतिवेदन में उचित स्थानों पर सम्मिलित कर लिया गया है।

### 1.3.5 लेखापरीक्षा मानदण्ड

- लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गये:
- 2009 व 2013 में जारी रा ग्रा पे का के दिशानिर्देश, नीतिगत योजनाएँ, अधिसूचनाएँ, आदेश तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र;
- रा ग्रा पे का के क्रियान्वयन से सम्बन्धित राज्य सरकार के आदेश;
- कार्यक्रम की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) के अंतर्गत प्रतिवेदित की गई भौतिक और वित्तीय प्रगति आख्या ([indiawater.gov.in](http://indiawater.gov.in))।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 1.3.6 नियोजन

##### 1.3.6.1 व्यापक जल सुरक्षा योजना तैयार करना

(अ) ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के नियोजन, क्रियान्वयन, संचालन एवं अनुश्रवण में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के क्रम में, कार्यक्रम दिशानिर्देश ग्राम जल सुरक्षा योजनाओं (ग्रा ज सु यो) को बनाए जाने का प्रावधान करते हैं, जो अन्य बातों के साथ ग्राम की जनसांख्यिकीय, भौतिक विशेषताओं, जल स्रोतों, उपलब्ध पेयजल संरचना व अन्य विवरण को समाहित करें। जिले की ग्रा ज सु यो को जिले स्तर पर संकलित किया जाना था जो जिला जल सुरक्षा योजनाओं (जि ज सु यो) को तैयार करने का आधार बनता।

यह पाया गया कि राज्य में ग्रा ज सु यो नहीं बनाये जा रहे थे जिसके फलस्वरूप, जि ज सु यो भी तैयार नहीं की गई थी। ग्रा ज सु यो एवं जि ज सु यो न बनाए जाने से विकेंद्रीकृत नियोजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विफल हो गया था।

(ब) कार्यक्रम दिशानिर्देशों में कार्यक्रम को निश्चित दिशा प्रदान करने एवं प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पेयजल सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य की दिशा में की गई प्रगति की नियमित अनुश्रवण भी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जल सुरक्षा योजना (व्य ज सु यो) तैयार करने की परिकल्पना भी की गई है। राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक राज्य विशिष्ट नीति बनाने की आवश्यकता थी तथा इस नीति एवं राज्य द्वारा निर्धारित व्यापक लक्ष्य के आधार पर, एक पंचवर्षीय व्य ज सु यो तैयार किया जाना था। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान, केंद्र के साथ आपसी परामर्श के आधार पर उप-लक्ष्य और प्राथमिकताओं को भी तय करना आवश्यक था।



यह पाया गया कि जैसा कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में उपबंधित था, विभाग द्वारा न तो कोई राज्य क्षेत्र नीति और न ही कोई पंचवर्षीय व्यज सु यो बनाई गई। इस प्रकार, विभाग कार्यक्रम को एक दीर्घकालिक निश्चित दिशा प्रदान करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, विभाग राज्य द्वारा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पेयजल सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति में की गई प्रगति का नियमित अनुश्रवण भी सुनिश्चित नहीं कर पाया। तथापि, कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए उ पे नि द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य योजना (व का यो) तैयार किया जा रहा था। यह पाया गया कि वर्ष 2012-13 से 2016-17 के अवधि के दौरान राज्य स्तरीय योजना अनुमोदन समिति द्वारा स्वीकृत योजनाओं में से मात्र 16 प्रतिशत<sup>42</sup> योजनाओं को कार्यान्वयन हेतु लिया गया।

प्रबंध निदेशक (प्र नि), उ पे नि ने अवगत कराया कि गैर-सरकारी संगठनों की मदद से ग्राम जल स्वच्छता समितियों (ग्रा ज स्व स) द्वारा तैयार की जाने वाली ग्राम जल सुरक्षा योजना (ग्रा ज सु यो) तैयार नहीं की जा सकी क्योंकि समुदाय ग्रा ज सु यो की तैयारी के लिए आवश्यक आँकड़े एकत्र करने के लिए सुसज्जित नहीं था और निधियों की कमी के कारण गैर-सरकारी संगठनों को नहीं लगाया जा सका। परिणामस्वरूप, ग्रा ज सु यो, जि ज सु यो और सा ज सु यो तैयार नहीं हो सकी।

### 1.3.6.2 कार्यक्रम के प्रतिपादन हेतु संस्थागत तन्त्र

ग्रामीण पेयजल एक राज्य विषय है तथा भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के विषयों जो राज्यों द्वारा पंचायतों को सौंपा जाना था, में सम्मिलित था। भारत सरकार देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल के प्रावधान हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति करती है। कार्यक्रम के प्रतिपादन हेतु संस्थागत तन्त्र के सापेक्ष विद्यमान संस्थागत ढाँचे को नीचे तालिका-1.3.1 में दिया गया है:

तालिका-1.3.1: कार्यक्रम के प्रतिपादन हेतु आवश्यक संस्थागत तन्त्र

क्र सं	संस्था का नाम	स्तर	वर्तमान स्थिति
1.	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (रा ज स्व मि)	राज्य	अस्तित्व में
2.	राज्य स्तरीय योजना अनुमोदन समिति (रा स्त यो अ स)	राज्य	अस्तित्व में
3.	स्रोत खोजी समिति (स्रो खो स)	राज्य	अस्तित्व में नहीं
4.	राज्य तकनीकी संस्था (रा त सं)	राज्य	अस्तित्व में नहीं
5.	जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन (ज स्व स सं)	राज्य	अस्तित्व में नहीं
6.	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (जि ज स्व मि)	जिला	अस्तित्व में
7.	ब्लॉक संसाधन केन्द्र (ब्ला सं के)	ब्लॉक	अस्तित्व में नहीं
8.	ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (ग्रा ज एवं स्व स)	ग्राम	अस्तित्व में

#### (अ) राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

कार्यक्रम के दिशानिर्देश प्रावधान करते हैं कि राज्य स्तर रा ज स्व मि की स्थापना एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में ग्रामीण जल आपूर्ति करने वाले विभाग के अधीन की जाए जो जलपूर्ति योजनाओं के भौतिक व वित्तीय निष्पादन एवं प्रबंधन के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के अतिरिक्त, नीति निर्देशन प्रदान करें, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के समन्वय के साथ जलापूर्ति गतिविधियों का अभिसरण करें। राज्य में, रा ज स्व मि का गठन फरवरी 2010 में किया गया था जिसमें दो

<sup>42</sup> वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक रा स्त यो अ स द्वारा 4,787 योजनाओं का अनुमोदन किया गया एवं 2,668 योजनाओं को राज्य के वार्षिक कार्य योजना (वा का यो) में शामिल किया गया जिसमें से मात्र 772 योजनाओं को क्रियान्वयन हेतु लिया गया।



समितियाँ नामतः आठ सदस्य वाली शीर्ष समिति एवं विभिन्न<sup>43</sup> क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पाँच नामित सदस्यों सहित 16 सदस्यों वाली कार्यकारी समिति, सम्मिलित थीं।

यह पाया गया कि राजस्व मि एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित नहीं थी। राजस्व मि बिना किसी कानूनी दर्जा प्राप्त किये, कार्यक्रम के वित्तीय प्रकरणों का संचालन कर रही थी जो कि अनियमित था। इसके अतिरिक्त, मिशन न तो क्रियान्वयन का अनुश्रवण और न ही कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का मूल्यांकन कर रहा था। इसके बजाय, उ पे नि को कार्यक्रम के अनुश्रवण का कार्य सौंपा गया। उ पे नि एक नोडल संस्था के साथ-साथ उसने कार्यक्रम को क्रियान्वित भी किया। इस प्रकार, उ पे नि को सौंपे गये उत्तरदायित्व में हितों का टकराव था एवं इस कमी के कारण आँकड़ों की पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा जिसका उल्लेख **प्रस्तर 1.3.9.3 से 1.3.9.5** में किया गया है।

बहिर्गमन गोष्ठी में, प्र नि, उ पे नि और अधिशासी अभियन्ता (अ अ) राजस्व मि ने अवगत कराया कि दोनों का सं द्वारा कार्यक्रम का सामूहिक रूप से अनुश्रवण किया जा रहा था। तथापि, उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राजस्व मि वास्तव में कार्यक्रम की अनुश्रवण में शामिल नहीं था जो दिशानिर्देशों के प्रावधानों के विरुद्ध था।

#### **(ब) स्रोत खोजी समिति एवं राज्य स्तरीय योजना अनुमोदन समिति**

कार्यक्रम के दिशानिर्देश दो समितियाँ नामतः स्रोत खोजी समिति (स्रो खो स) एवं राज्य स्तरीय योजना अनुमोदन समिति (रा स्त यो अ स) स्थापित करने का प्रावधान करते हैं। स्रो खो स द्वारा राज्य की ग्रामीण बसावटों में विद्यमान जल आपूर्ति योजनाओं हेतु पर्याप्त पीने योग्य जल की मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्यपद्धति/निष्पादन की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता थी एवं स्रो खो स के अनुमोदन के पश्चात कार्यक्रम के अंतर्गत सभी ग्रामीण जल आपूर्ति (ग्रा ज आ) परियोजनायें/योजनायें और समर्थन गतिविधियाँ राज्य स्तरीय योजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित की जानी थी। इसके अतिरिक्त, अनुमोदित योजनाओं की प्रगति, पूर्णता एवं प्रवर्तन में लाने की समीक्षा भी राजस्व यो अ स द्वारा की जानी थी। सौंपे गये कार्य को करने के लिए, राजस्व यो अ स की बैठक को वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित करना आवश्यक था। यह पाया गया कि न तो स्रो खो स को स्थापित किया गया था और न ही स्रो खो स के कार्य को किसी अन्य अभिकरण को सौंपा गया था। राजस्व यो अ स द्वारा ₹1,676.40 करोड़ की 4,787 योजनाओं को स्रो खो स से बिना इनपुट प्राप्त किये अनुमोदित की गई थी जो कि कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सहायक मानी गई थी। राजस्व यो अ स, जिसे फरवरी 2010 में गठित किया गया था, इसने 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान अपेक्षित 10 बैठकों के बजाय सात बैठकों का ही आयोजन किया। इसके प्रत्युत्तर में, राजस्व मि द्वारा अवगत कराया गया कि सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण निर्धारित बैठकें आयोजित नहीं हो सकीं।

#### **(स) जिला जल एवं स्वच्छता मिशन**

कार्यक्रम के दिशानिर्देश प्रावधान करते हैं कि ग्रा ज सु यो का विश्लेषण करने और समेकित करने, जि ज सु यो बनाने, सम्बन्धित कार्यक्रम के अभिसरण करने तथा त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से

<sup>43</sup> सूचना, शिक्षा एवं संचार (सू शि सं), मानव संसाधन विकास (मा सं वि), एम आई एस, मीडिया एवं गैर-सरकारी संगठन (गैर-स सं)।

कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए जिला स्तर<sup>44</sup> पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (जि ज स्व मि) का गठन किया जाएगा। जि ज स्व मि का गठन राज्य के सभी 13 जिलों में मई 2005 में किया गया।

यह पाया गया कि जि ज स्व मि कार्यक्रम में वर्णित अनुश्रवण कार्य का निष्पादन नहीं कर रहे थे तथा समस्त कार्यक्रम का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण उ पे नि द्वारा किया जा रहा है जो कि कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए नोडल संस्था है। आगे, ग्रा ज सु यों के अभाव में, उनका विश्लेषण, संकलन व जि ज सु यों को तैयार करने का कार्य जि ज स्व मि द्वारा नहीं किये जा रहे थे।

#### (द) ब्लॉक संसाधन केन्द्र

कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए संचालन नम्यता तथा जल स्वच्छता के मुद्दों पर ग्रा पं को समर्थन प्रदान करने हेतु प्रत्येक ब्लॉक में ब्लॉक संसाधन केन्द्र (ब्लॉ सं के) की स्थापना की आवश्यकता थी। तथापि, उत्तराखण्ड में कोई भी ब्लॉ सं के स्थापित (दिसम्बर 2017) नहीं किया गया था एवं अन्य कोई अभिकरण भी ब्लॉ सं के के स्थान पर नहीं लगाया गया था।

बहिर्गमन सम्मेलन में प्र नि, उ पे नि द्वारा अवगत कराया गया कि समर्थित क्रियाकलापों के लिए अपर्याप्त निधियां होने के कारण ब्लॉ सं के स्थापित नहीं किये जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में निधियां अनुपयोगी रहीं जैसाकि प्रस्तर 1.3.7.2 में इंगित किया गया है।

#### (य) ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति

ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ग्रा पं में नियोजन, अनुश्रवण, प्रतिपादन और जल आपूर्ति योजना के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए एक स्थायी समिति/उपसमिति के रूप में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (ग्रा ज स्व स)<sup>45</sup> के गठन की आवश्यकता थी। यह पाया गया कि राज्य में 7,971 ग्रा पं में से 1,291 (16 प्रतिशत) में ग्रा ज स्व स का गठन नहीं गया था।

बहिर्गमन गोष्ठी में, प्र नि, उ पे नि ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया एवं ग्रा ज स्व स शेष ग्रा पं में स्थापित किये जाने का आश्वासन दिया।

प्रतिपादन तन्त्र में विभिन्न कमियों एवं रा ज स्व मि तथा जि ज स्व मि के स्तर पर अनुश्रवण में कमी से वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिसका उल्लेख अनुवर्ती प्रस्तरों में किया गया है।

<sup>44</sup> जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद (जि प) के अध्यक्ष करेंगे एवं जिले के सभी एम पी/एम एल ए एवं एम एल सी, जि प की स्थायी समिति के अध्यक्ष, जिलाधिकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, समाज कल्याण, आइ सी डी एस, पी एच ई डी, जल संसाधन, कृषि, सूचना व जन संपर्क के जिला स्तरीय अधिकारी जि ज स्व मि के सदस्य होंगे।

<sup>45</sup> पंचायत सदस्य, अनु जा, अनु जन व गाँव का पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित करते हुये छः से 12 (जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं हों) सदस्य हों।

### 1.3.7 वित्तीय प्रबंधन

#### 1.3.7.1 परिचय

रा गा पे का एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है तथा 2015-16 से पूर्व, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण कार्यक्रम निधि (आच्छादन, जल गुणवत्ता एवं संचालन व अनुक्षण) के लिए 50:50 अनुपात में विभाजित किया गया था, स्थायित्व घटक (कार्यक्रम निधि के अंतर्गत), समर्थित एवं जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी (ज गु अ एवं नि) (समर्थित निधि के अंतर्गत) के लिए भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत निधि प्रदान की गई थी। अप्रैल 2015 से, वित्तपोषण केंद्र और राज्य के मध्य 90:10 के अनुपात में विभाजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली क्षतिग्रस्त ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणाली की पुनर्स्थापना के लिए भारत सरकार अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। प्राकृतिक आपदाओं/आपदा के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिकताओं के लिए निर्धारित कुल केंद्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति परिव्यय के दो प्रतिशत से सहायता प्रदान की जाती है।

#### 1.3.7.2 निधि प्रवाह एवं वित्तीय निष्पादन

योजना की वित्तपोषण पद्धति के अनुसार, भा स अपना अंश राज्य को जारी करती है जोकि राज्य अपने राज्यांश सहित इस निधि को रा ज स्व मि को अवमुक्त करता है। रा ज स्व मि द्वारा दो अलग अलग लेखे, एक कार्यक्रम<sup>46</sup> के लिए और दूसरा समर्थित<sup>47</sup> गतिविधियों के लिए बनाए गये हैं। बाद में निधियां कार्यदायी संस्थाओ (का सं) को उनकी माँग के अनुसार अवमुक्त की जाती थीं।

2012-17 की अवधि के दौरान, भा स व राज्य सरकार द्वारा रा ज स्व मि को अवमुक्त की गयी निधियों का विवरण निम्न तालिका-1.3.2 में दिया गया है:

तालिका-1.3.2: रा गा पे का के अंतर्गत निधियों की प्राप्ति एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति		विविध (बैंक ब्याज एवं अन्य प्राप्तियाँ)	योग	व्यय		कुल व्यय	अंतिम अवशेष (प्रतिशतता)
		केन्द्र	राज्य			केन्द्र	राज्य		
2012-13	239.26	74.28 <sup>48</sup>	0.00	8.72	322.26	147.99	0.00	147.99	174.27 (54)
2013-14	174.27	79.83 <sup>49</sup>	0.00	8.88	262.98	138.71	0.00	138.71	124.27 (47)
2014-15	124.27	111.48 <sup>50</sup>	99.76	6.99	342.50	145.00	24.16	169.16	173.34 (51)
2015-16	173.34	60.06 <sup>51</sup>	41.65	5.73	280.78	99.79	68.95	168.74	112.04 (40)
2016-17	112.04	88.19 <sup>52</sup>	9.78	10.97	220.98	103.16	40.76	143.92	77.06 (35)
<b>योग</b>		<b>413.84</b>	<b>151.19</b>	<b>41.29</b>		<b>634.65</b>	<b>133.87</b>		

स्रोत: रा गा पे का के लेखा।

<sup>46</sup> कार्यक्रम निधि में आच्छादन, जल गुणवत्ता, संचालन व अनुक्षण एवं स्थायित्व घटक शामिल हैं।

<sup>47</sup> समर्थित निधि में समर्थित एवं जल गुणवत्ता अनुक्षण एवं निगरानी शामिल हैं।

<sup>48</sup> कार्यक्रम निधि: ₹ 62.84 करोड़ (स्थायित्व के लिए ₹ 7.66 करोड़ को छोड़ कर), समर्थित निधि: ₹ 3.78 करोड़ एवं स्थायित्व: ₹ 7.66 करोड़।

<sup>49</sup> कार्यक्रम निधि: ₹ 57.85 करोड़ (स्थायित्व के लिए ₹ 7.90 करोड़ को छोड़ते हुये), प्राकृतिक आपदा: ₹ 14.08 करोड़ एवं स्थायित्व: ₹ 7.90 करोड़।

<sup>50</sup> कार्यक्रम निधि: ₹ 95.75 करोड़ (स्थायित्व के लिए ₹ 10.64 करोड़ के को छोड़ते हुये), समर्थित निधि: ₹ 2.54 करोड़, स्थायित्व: ₹ 10.64 करोड़ एवं ज गु अ एवं नि निधि: ₹ 2.55 करोड़।

<sup>51</sup> कार्यक्रम निधि: ₹ 50.94 करोड़ (स्थायित्व के लिए ₹ 5.66 करोड़ के को छोड़ते हुये), समर्थित निधि: ₹ 2.16 करोड़, स्थायित्व: ₹ 5.66 करोड़ एवं ज गु अ एवं नि निधि: ₹ 1.30 करोड़।


<sup>52</sup> कार्यक्रम निधि: ₹ 60.03 करोड़ (स्थायित्व के लिए ₹ 6.67 करोड़ के को छोड़ते हुये), समर्थित निधि: ₹ 2.45 करोड़ एवं स्थायित्व: ₹ 6.67 करोड़, ज गु अ एवं नि निधि: ₹ 2.72 करोड़ एवं प्राकृतिक आपदा: ₹ 16.32 करोड़।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि;

- वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में, राज्य सरकार ने कार्यक्रम निधि के घटकों के लिए अपना अंश क्रमशः ₹62.84 करोड़ व ₹57.85 करोड़ अवमुक्त नहीं किया। वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान, ₹77 करोड़ (कुल उपलब्ध निधि का 35 प्रतिशत) से लेकर ₹174 करोड़ (कुल उपलब्ध निधि का 54 प्रतिशत) अव्ययित शेष थी।

राज्य स्तर पर कार्यक्रम निधि का घटक-वार आवंटन किया जाना था जैसाकि निम्न चार्ट-1.3.1 में दर्शाया गया है;

चार्ट-1.3.1: राज्य स्तर पर कार्यक्रम निधि का घटक-वार आवंटन का विवरण



कार्यक्रम के विभिन्न घटकों को निधियों का आवंटन कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था, जैसाकि निम्न तालिका-1.3.3 में दिया गया है:

तालिका-1.3.3 : घटकवार निधि का आवंटन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल निधि	आच्छादन, जल गुणवत्ता		सं व अ		स्थायित्व		ज गु अ एवं नि		समर्थित	
		वास्तविक अवमुक्त	प्रतिशतता	वास्तविक अवमुक्त	प्रतिशतता	वास्तविक अवमुक्त	प्रतिशतता	वास्तविक अवमुक्त	प्रतिशतता	वास्तविक अवमुक्त	प्रतिशतता
2012-13	83.00	57.10	69	12.23	15	8.28	10	2.07	2	2.30	3
2013-14	88.71	52.73	59	12.94	15	8.62	10	0.46	0.5	-0.12 <sup>@</sup>	0
2014-15	218.23	191.56	88	34.16	16	-12.94*	00	2.62	1	2.83	1
2015-16	107.44	90.68	84	17.20	16	-4.15 <sup>#</sup>	00	1.39	1	2.32	2
2016-17	108.94	62.22	57	13.87	13	7.43	7	3.03	3	2.89	3

स्रोत: राजस्व मि से एकत्रित सूचना।

<sup>@</sup> वर्ष 2013-14 में, समर्थित घटक से ₹ 0.44 करोड़ ज गु अ एवं नि घटक में अंतरित हुए व समर्थित घटक में ₹ 0.32 करोड़ विविध प्राप्त के रूप में प्राप्त हुए।

\* वर्ष 2014-15 में, स्थायित्व घटक के लिए ₹ 10.64 करोड़ अवमुक्त हुए जबकि आच्छादन घटक को ₹ 23.58 करोड़ अंतरित हुए।

<sup>#</sup> वर्ष 2015-16 में, स्थायित्व घटक के लिए ₹ 5.66 करोड़ अवमुक्त हुए जबकि आच्छादन घटक को ₹ 9.81 करोड़ अंतरित हुए।

यह पाया गया कि:

- कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार आवंटन 67 प्रतिशत रखने के बजाय, आच्छादन व जल गुणवत्ता घटक में 57 प्रतिशत से लेकर 88 प्रतिशत तक आवंटन किया गया;
- सं व अ घटक में 15 प्रतिशत के मापदण्ड के सापेक्ष 13 प्रतिशत से लेकर 16 प्रतिशत तक आवंटन किया गया;

- ज गु अ एवं नि घटक में तीन प्रतिशत के मानक के सापेक्ष 0.5 प्रतिशत से लेकर तीन प्रतिशत तक आवंटन किया गया; तथा
- समर्थित घटक में हमेशा पाँच प्रतिशत के मानक से कम आवंटन किया गया और वर्ष 2013-14 में कोई धन आवंटन नहीं किया गया।

अ अ, रा ज स्व मि ने बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया कि दिशानिर्देशों के अनुसार, निधि का आवंटन राज्य स्तर पर नहीं किया जा सकता क्योंकि निधि का घटक वार विनियमन केंद्र सरकार के दायरे में आता है। सरकार का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि दिशा-निर्देशों के अनुसार घटक-वार निधियों को राज्य स्तर पर निर्धारित प्रतिशत जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, में आवंटित किया जाना चाहिए था।

### 1.3.7.3 भा स द्वारा समर्थित निधि का कम अवमुक्त किया जाना

वित्तीय वर्ष 2016-17 में, भा स ने कार्यक्रम के अंतर्गत समर्थित निधि के लिए राज्य सरकार को ₹4.89 करोड़ आवंटित किये। जिसमें से ₹2.45 करोड़ अवमुक्त (मई 2016) किये गये। लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि भा स ने शेष राशि राज्य को अवमुक्त नहीं की क्योंकि इस घटक के लिए राज्य सरकार अपने अंश का योगदान करने में असफल रही। इस प्रकार, समर्थित निधि में अपने अंश को अवमुक्त करने में असफल रहने के फलस्वरूप राज्य ₹2.44 करोड़ रुपए की राशि के केंद्रीय अनुदान से वंचित रहा।

निदेशक, जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन (ज स्व स सं) ने बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान तथ्यों को स्वीकार किया।

### 1.3.7.4 राज्य सरकार द्वारा रा ज स्व मि को निधियां अवमुक्त करने में विलंब

भा स के नियमों एवं शर्तानुसार, राज्य सरकार को केन्द्रांश प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर राज्यांश के साथ केन्द्रांश रा ज स्व मि को अवमुक्त करना चाहिए था। केन्द्रांश को रा ज स्व मि को अंतरित करने में देरी की स्थिति में, राज्य सरकार को 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दायित्व ब्याज तथा ब्याज की राशि मूल राशि सहित रा ज स्व मि को अंतरित करनी थी। 2014-17 के दौरान, भा स ने ₹150.15 करोड़ (जैसा परिशिष्ट-1.3.1 में वर्णित है) अवमुक्त किये, जिसे राज्य ने आठ से 267 (प्रथम 15 दिनों को छोड़कर) दिनों की देरी से रा ज स्व मि को अंतरित किया। विलंब से निधियों को अंतरण करने के कारण राज्य, रा ज स्व मि को ₹2.45 करोड़ के ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी था। तथापि, अभी तक (दिसम्बर 2017) राज्य द्वारा रा ज स्व मि को कोई भी ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, सचिव, पेयजल विभाग ने तथ्यों से सहमत होते हुये अवगत कराया कि आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

### 1.3.7.5 रा ज स्व मि के लेखे

कार्यक्रम के दिशा-निर्देश प्रावधान करते हैं कि रा ज स्व मि के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित पैनल से चुने गये चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ही की जानी चाहिए तथा लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्रों को ऐसे प्रारूप में दिया जाना चाहिए, जिसमें लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, प्राप्ति

तथा भुगतान लेखे, आय और व्यय लेखे, तुलन-पत्र, लेखे पर टिप्पणी तथा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ शामिल हों। रा ज स्व मि के लेखों की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि राज्य से अनुदान के रूप में प्राप्त राज्यांश को किसी भी प्रारूप में अलग से नहीं दर्शाया गया था। इसके बदले, बाह्य सहायता प्राप्त कार्यक्रम, राज्य एवं जिला योजना के अंतर्गत ग्रामीण जल क्षेत्र में सभी अवमुक्त निधियों को रा ज स्व मि के प्राप्ति तथा भुगतान लेखे एवं आय और व्यय लेखे में राज्यांश के रूप में दिखाये गये थे। अतः लेखे में राज्यांश के रूप में दर्शाए गये आँकड़े विविध निधियों से सम्बन्धित हैं। इस प्रकार, रा ज स्व मि के तुलन पत्र से वास्तविक राज्यांश का आंकलन नहीं किया जा सका।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, अ अ ने आश्वासन दिया कि आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

### 1.3.7.6 प्राकृतिक आपदा हेतु निर्धारित निधि का उपयोग न होना

2012-17 की अवधि के दौरान, केन्द्र और राज्य द्वारा अवमुक्त की गई निधियों का विवरण निम्न तालिका-1.3.4 में दिया गया है:

तालिका-1.3.4: प्राकृतिक आपदा हेतु प्रदान कि गई निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति		विविध प्राप्ति (बैंक ब्याज एवं अन्य प्राप्ति)	कुल उपलब्ध निधि (कु उ नि)	व्यय		अंतिम अवशेष (कु उ नि की प्रतिशतता)
		केन्द्र	राज्य			केन्द्र	राज्य	
2012-13	41.05	0.00	0.00	1.02	42.07	30.68	0.00	11.39 (27)
2013-14	11.39	14.08	0.00	0.00	25.47	9.12	0.00	16.35 (64)
2014-15	16.35	0.00	0.00	0.00	16.35	11.06	0.00	5.29 (32)
2015-16	5.29	0.00	0.00	0.00	5.29	1.61	0.00	3.68 (70)
2016-17	3.68	16.32	1.81	1.37	23.18	2.01	0.00	21.17 (91)

स्रोत : उ पे नि से सूचना एकत्र की गई।

यह पाया गया है कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा न तो इन निधियों का उपयोग किया गया और न ही इनको सरकार को वापस किया गया जिससे 27 प्रतिशत से लेकर 91 प्रतिशत तक की निधियां अप्रयुक्त पड़ी रहीं।

रा ज स्व मि ने कहा कि वर्ष 2016-17 में भा स ने फरवरी 2017 में ₹ 16.32 करोड़ अवमुक्त किये और इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जा सका। तथापि, वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक बड़ी अप्रयुक्त धनराशियों का न तो उपयोग किया गया और न ही उन्हें अभ्यर्पित किया गया।

### 1.3.7.7 अन्य विविध अनियमिततायें

निर्माण खण्ड (नि ख), उ पे नि, अल्मोड़ा ने ₹ 40 लाख की राशि नि शा, उ पे नि, भिकियासैण को ऋण स्वरूप अंतरित (सितम्बर 2015) की थी। दो महीने की अवधि के उपरांत ऋण प्राप्त करने वाले खण्ड ने मात्र ₹ 30 लाख की राशि नि ख, उ पे नि, अल्मोड़ा को वापस लौटाई। यह पाया गया है कि दो वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी, ऋण प्राप्त करने वाले खण्ड के पास इसकी उपयोगिता की सूचना दिये बिना शेष राशि ₹ 10 लाख पड़ी रही। प्रत्युत्तर में, खण्ड ने अवगत कराया (जून 2017) कि यह प्रकरण सम्बन्धित खण्ड के समक्ष उठाया गया था। किसी विशिष्ट उत्तर के अभाव में लेखापरीक्षा इस राशि के उपयोग को अभिनिश्चित नहीं कर सका।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान सचिव, पेयजल विभाग, ने सम्बन्धित अधिकारियों को प्राथमिकता से प्रकरण के समाधान एवं सुलझाने हेतु निर्देश दिया।

### 1.3.8 क्रियान्वयन

#### 1.3.8.1 बसावटों का आच्छादन

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को घर से 100 मीटर के दायरे में एक सार्वजनिक अथवा सामुदायिक स्रोत के माध्यम से अपूरित, आंशिक रूप से पूरित और स्लिपड बैक<sup>53</sup> बसावटों को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति प्रदान करना था।

वर्ष 2012-17 के दौरान राज्य में पेयजल सुविधाओं के साथ बसावटों के आच्छादन (40 ली प्र व्य प्र दि के अनुसार) की स्थिति निम्न तालिका-1.3.5 में दी गई है:

तालिका-1.3.5: राज्य में पेयजल सुविधाओं के साथ बसावटों के आच्छादन की स्थिति

वर्ष	कुल बसावटों की संख्या	पूर्ण आच्छादित बसावटों की संख्या (40 ली प्र व्य प्र दि के अनुसार)	पूर्ण आच्छादित बसावटों की प्रतिशतता	आंशिक रूप से आच्छादित बसावटों की संख्या	आंशिक रूप से आच्छादित बसावटों की प्रतिशतता
2012-13	39,142	26,997	69	12,145	31
2013-14	39,142	2,483	6	36,659	94
2014-15	39,142	24,195	62	14,947	38
2015-16	39,209	21,323	54	17,986	46
2016-17	39,209	21,345	54	17,864	46

स्रोत: उ पे नि से एकत्रित सूचना।

वर्ष 2012-17 की अवधि के दौरान, कार्यदायी संस्थाओं (का सं) द्वारा 'आच्छादन मद' में ₹537.90 करोड़<sup>54</sup> का व्यय किया जबकि पूर्ण आच्छादित बसावटों का आच्छादन 2012-13 में कुल बसावटों के 69 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में कुल बसावटों का 54 प्रतिशत हो गया।

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान, पूर्ण आच्छादित और आंशिक रूप से आच्छादित बसावटों की संख्या में असामान्य रूप से भिन्नता थी। 2016-17 में कुल बसावटों की संख्या में भी गिरावट दिखाई गई है। ये इंगित करते हैं कि आँकड़ों की विश्वसनीयता संदेह से परे नहीं थी। अनाच्छादित बसावटों की संख्या के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

बहिर्गमन गोष्ठी में प्र नि, उ पे नि ने तथ्यों को स्वीकार किया कि वर्ष 2012-13 से 2014-15 की अवधि से संबन्धित आँकड़े त्रुटिपूर्ण हैं और अवगत कराया कि सॉफ्टवेयर में समस्या के कारण इनमें सुधार नहीं किया जा सका। तथापि, इस स्वीकारोक्ति के बावजूद, उ पे नि ने आँकड़ों के एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

#### 1.3.8.2 लक्ष्य और उपलब्धियां

नीतिगत योजना के अनुसार, भा स द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, जिन्हें राज्य द्वारा दिसंबर 2017 तक प्राप्त किया जाना था।

➤ कम से कम 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पाइप जल आपूर्ति (पा ज आ) प्रदान की जाय;

<sup>53</sup> बसावटें जो पूर्ण आच्छादित से आंशिक आच्छादित हो जाती हैं तथा जो पूर्ण आच्छादित व आंशिक आच्छादित से अनाच्छादित हो जाती हैं।

<sup>54</sup> 2012-13: ₹97.00 करोड़, 2013-14: ₹97.48 करोड़, 2014-15: ₹109.11 करोड़, 2015-16: ₹134.76 करोड़ एवं 2016-17: ₹99.55 करोड़।

- कम से कम 35 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को घरेलू संयोजन के साथ पाइप द्वारा जल आपूर्ति पहुंचाना; तथा
- ग्रामीण भारत के सभी परिवारों, विद्यालयों व आँगनवाड़ियों तक पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल की पहुँच हो;

आगे, 12 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, 50 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को 55 ली प्र व्य प्र दि पाइप द्वारा जल आपूर्ति प्रदान की जानी चाहिए।

यह पाया गया कि 50 प्रतिशत परिवारों को पाइप द्वारा जल आपूर्ति (पा ज आ) करने के लक्ष्य के सापेक्ष कार्यदायी संस्था उ पे नि द्वारा घरों की बजाय बसावटों एवं राज्य की ग्रामीण आबादी की संख्या से प्रगति प्रदर्शित की जा रही थी। 31 मार्च 2017 को लक्ष्यों/उद्देश्यों के सापेक्ष उपलब्धियां नीचे वर्णित हैं:

लक्ष्य	उपलब्धियां
कम से कम 50 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जल आपूर्ति प्रदान की जाय।	बसावटों व ग्रामीण जनसंख्या के संबंध में क्रमशः 95 प्रतिशत व 74 प्रतिशत
कम से कम 35 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को घरेलू संयोजन के साथ पाइप द्वारा जल आपूर्ति पहुंचाना।	13.80 प्रतिशत
सभी ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों तक पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल की पहुँच हो।	95 प्रतिशत
सभी ग्रामीण क्षेत्रों के आँगनवाड़ियों तक पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल की पहुँच हो।	69 प्रतिशत
12 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, 50 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को 55 ली प्र व्य प्र दि पाइप द्वारा जल आपूर्ति प्रदान की जानी चाहिए।	14.71 प्रतिशत बसावटें 55 ली प्र व्य प्र दि प्राप्त कर रहे थे।

55 ली प्र व्य प्र दि पेयजल प्रदान करने के संबंध में प्र नि, उ पे नि द्वारा बहिर्गमन गोष्ठी में अवगत कराया गया कि प्रत्येक बसावट को 40 ली प्र व्य प्र दि पेयजल उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी गयी तथा 55 ली प्र व्य प्र दि पर बाद में विचार किया जाएगा।

### 1.3.8.3 बहु और एकल ग्राम योजनाओं के पूरा होने की निम्न दर

2012-17 की अवधि के दौरान, कार्यक्रम के अंतर्गत 243 पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाएँ शुरू की गईं, जैसाकि निम्न तालिका-1.3.6 में वर्णित किया गया है:



तालिका-1.3.6: रा ज़ा पे का के अंतर्गत 2012-17 के दौरान पे ज़ा आ योजनाओं की स्थिति

योजनाओं का प्रकार	योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	पूरा होने का प्रतिशतता
बहु ग्राम योजना (एम वी एस)	89	22	25
एकल ग्राम योजना (एस वी एस)	154	72	47
<b>योग</b>	<b>243</b>	<b>94</b>	<b>39</b>

स्रोत: रा ज़ा स्व मि से एकत्रित सूचना।

वर्ष 2012-17 के दौरान, विभिन्न योजनाओं को पूर्ण करने का कुल प्रतिशत मात्र 39 था। इसके अतिरिक्त, ₹185.45 करोड़ लागत की 20 योजनायें<sup>55</sup> विगत पाँच से 12 वर्ष तक पूर्ण होने के लिए लम्बित थी। बहु ग्राम योजना का निष्पादन निम्न था एवं दर्ज की गयी पूर्णता प्रतिशत मात्र 25 थी। उ पे नि द्वारा अवगत कराया कि निधियों की कमी (34 प्रतिशत योजनाओं में), स्रोत एवं भूमि विवाद (20 प्रतिशत योजनाओं में), वन विभाग द्वारा भूमि हस्तांतरण में देरी (10 प्रतिशत योजनाओं में) एवं पं रा सं द्वारा वितरण लाईनों के कार्यों का निष्पादन न करना (36 प्रतिशत योजनाओं में) विलंब के कारण थे।

बहिर्गमन गोष्ठी में इंगित किये जाने पर सचिव, पेयजल विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि निधियों की कमी के कारण योजनायें निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं की जा सकीं। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि वर्ष 2012-17 की अवधि के दौरान रा ज़ा स्व मि के पास प्रत्येक वित्त वर्ष में अव्ययित अवशेष था, जैसाकि तालिका-1.3.2 में दर्शाया गया है।

एम वी एस की निम्न पूर्णता दर के लिए खराब नियोजन और समन्वय की कमी के कारण हो सकती है, क्योंकि इसमें वन विभाग, निजी भूस्वामि और पं रा सं आदि जैसी कई संस्थाएँ शामिल हैं।

निर्धारित समय में उपर्युक्त योजनाओं को पूरा न करने पर निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और राज्य निर्धारित समय के भीतर निर्धारित मानकों के अनुसार पानी की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करने में विफल रहा।

#### 1.3.8.4 विद्यालय और आँगनवाड़ी

कार्यक्रम क्रियान्वयन की कार्यनीति के अंतर्गत, सभी ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों एवं आँगनवाड़ियों को वर्ष 2017 तक पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी। रा ज़ा स्व मि एवं कार्यदायी संस्थाओं के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि यह मुद्दा प्राथमिकता पर नहीं लिया गया था। दिसंबर 2017 को ग्रामीण इलाकों के 16,985 सरकारी विद्यालयों<sup>56</sup> के सापेक्ष 888 विद्यालय पानी की सुविधा के बिना चल रहे थे। इसी प्रकार, 17,069 आँगनवाड़ियों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता के सापेक्ष उ ज़ा सं मात्र 11,857 आँगनवाड़ियों<sup>57</sup> (69 प्रतिशत) को जल सुविधाएँ प्रदान करने में सक्षम था।

इस प्रकार, 888 सरकारी विद्यालयों एवं 5,212 आँगनवाड़ियों को अभी भी पानी की सुविधा प्रदान किया जाना शेष था। रा ज़ा स्व मि/उ पे नि द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण वार्षिक कार्य योजनाओं में शामिल नहीं था।

बहिर्गमन गोष्ठी में, सचिव, पेयजल विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं आश्वस्त किया कि उचित कार्यवाही की जाएगी।

<sup>55</sup> ₹181.52 करोड़ लागत की 18 एम वी एस, ₹3.93 करोड़ लागत की 2 एस वी एस, कुल लागत ₹185.45 करोड़।

<sup>56</sup> शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार।

<sup>57</sup> महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदान की गयी सूचना के अनुसार।

### 1.3.8.5 स्थायित्व

स्थायित्व का तात्पर्य अनुकूल लागत के साथ पूरे वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। पानी के स्रोतों एवं योजनाओं का स्थायित्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मौजूदा/नई पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, संकट अवधि के दौरान, भूजल, सतह के पानी और छत के पानी के संचयन द्वारा जल की आपूर्ति हो सके। कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में प्रावधानित हैं कि उपलब्ध रा गा पे का की निधि का 10 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष स्थायित्व घटक के लिए प्रयुक्त किया जाना था। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों में इस बात का भी प्रावधान है कि जिन राज्यों ने स्थायित्व घटक के सापेक्ष 10 प्रतिशत से कम निधि का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा था, वे भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को औचित्य प्रस्तुत करें। वर्ष 2012-17 की अवधि के दौरान स्थायित्व घटक पर किये गये व्यय का ब्यौरा नीचे तालिका-1.3.7 में दिया गया है:

तालिका-1.3.7: स्थायित्व के संबंध में केंद्र/राज्य से प्राप्त कुल निधि, आवंटन और उपयोगिता का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स्थायित्व घटक का प्रारम्भिक अवशेष	कुल उपलब्ध निधि (केंद्र+राज्य) समस्त घटक हेतु	उपलब्ध कुल निधि में से स्थायित्व के लिए अवमुक्त करायी गयी निधि	स्थायित्व के लिए उपलब्ध निधि की प्रतिशतता	वास्तविक व्यय	अंतिम अवशेष
1	2	3	4	5 (4 *100/3)	6	7=(2+4)-6
2012-13	42.77	83.00	8.28	10	3.09	47.96
2013-14	47.96	88.71	8.62	10	7.87	48.71
2014-15	48.71	218.23	-12.94*	00	16.29	19.48
2015-16	19.48	107.44	-4.15*	00	6.03	9.30
2016-17	9.30	108.94	7.43	07	5.76	10.97
<b>योग</b>		<b>606.32</b>	<b>7.24</b>		<b>39.04</b>	

स्रोत: रा ज स्व मि से एकत्रित सूचना।

\* वर्ष 2014-15 व 2015-16 में, स्थायित्व घटक के लिए ₹ 10.64 करोड़ एवं ₹ 5.66 करोड़ अवमुक्त किये गये थे। तथापि, क्रमशः ₹ 23.58 करोड़ एवं ₹ 9.81 करोड़ इस घटक से आच्छादन घटक को अंतरित किये गये थे।

यह पाया गया कि;

- वर्ष 2016-17 में यह आवंटन 10 प्रतिशत के मानक से कम था। इसके अतिरिक्त, वास्तविक व्यय वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2016-17 में आवंटन से भी कम था। 2013-14 व 2014-15 के दौरान, निधि इस घटक से आच्छादन घटक में व्यवर्तित की गई। वर्ष 2012-17 की अवधि के दौरान स्थायित्व पर ₹ 39.04 करोड़ खर्च किये गये जो कुल उपलब्ध निधि का छः प्रतिशत था। इसप्रकार, कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू, जिसका उद्देश्य पूरे वर्ष पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल प्रदान करना था, पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। उ पे नि स्थायित्व के लिए निधियों के अपर्याप्त आवंटन/व्यय के लिए औचित्य बताने में विफल रहा। यह पाया गया कि, चयनित जिलों में पाँच मौजूदा जल आपूर्ति योजनायें स्रोतों के सूखने के कारण अक्रियाशील हो गईं। स्थायित्व घटक पर अपर्याप्त फोकस पूरे वर्ष में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता को लम्बे समय तक प्रभावित कर सकता है।

पुनः, लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि स्थायित्व घटक पर मानक के अनुसार व्यय नहीं किया गया जैसाकि टिहरी जिले में, स्थायित्व घटक की निधि से ₹ 42.01 लाख (2012-17 के दौरान) लघु जल योजनाओं एवं पानी की टंकियों के निर्माण पर व्यय किया गया जो कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था।

### 1.3.8.6 जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी और प्रयोगशालाओं की आधारभूत संरचना

भारत सरकार राज्य को बसावटों में जल की गुणवत्ता हेतु अनुश्रवण और निगरानी के लिए एवं राज्य, जिला और उप-जिला स्तर पर पानी की गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला स्थापित करने और उनके उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस प्रयोजन के लिए, रा ग्रा पे का की निधि का तीन प्रतिशत आवंटित किया जाना था। प्राप्त और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा नीचे तालिका-1.3.8 दिया गया है:

तालिका-1.3.8: केंद्र/राज्य से प्राप्त कुल निधि का विवरण, ज गु अ एवं नि के संबंध में आवंटन व आवंटन की प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उपलब्ध निधि (केंद्र+राज्य)	ज गु अ एवं नि हेतु आवंटन	आवंटित निधि की प्रतिशतता
2012-13	83.00	2.07	2
2013-14	88.71	0.46	0.5
2014-15	218.23	2.62	1
2015-16	107.44	1.39	1
2016-17	108.94	3.03	3

स्रोत: रा ज स्व मि से एकत्रित सूचना।

स्पष्ट है कि कुल रा ग्रा पे का की निधि से ज गु अ एवं नि के लिए आवंटन तीन प्रतिशत के मानक (2016-17 को छोड़कर) से कम था। इस घटक के अंतर्गत धन के अल्प आवंटन से पानी की अनुश्रवण पर सीधा प्रभाव पड़ा क्योंकि राज्य स्तरीय अभिनिर्देशित प्रयोगशाला अभी भी निर्माणाधीन थी (निर्माण कार्य प्रारम्भ की तिथि: दिसम्बर 2016, पूर्ण करने की निर्धारित तिथि: दिसंबर 2018), सभी 13 जिला प्रयोगशालाएं 34 की आवश्यकता के सापेक्ष केवल 19 मापदण्डों पर पानी परीक्षण करने के लिए सक्षम थीं और महत्वपूर्ण मापदण्ड जैसेकि जैविक ऑक्सीजन की माँग (बी ओ डी), केमिकल ऑक्सीजन की माँग (सी ओ डी), सीसा, निकल, जिंक, ऑयल एंड ग्रीस, आदि का परीक्षण नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक स्रोत पर रसायनों का पता लगाने के लिए प्रत्येक वर्ष में एक बार और जीवाणु संक्रमण का पता लगाने के लिए वर्ष में दो बार मानसून से पूर्व व बाद में परीक्षण किया जाना चाहिए। तथापि, प्रत्येक स्रोत के पानी के नमूनों के परीक्षण की आवश्यकता का पालन चार चयनित जिलों में नहीं किया गया (जैसा परिशिष्ट-1.3.2 में वर्णित है)। वर्ष 2012-17 के दौरान अल्मोड़ा में पानी के परीक्षण में 95 प्रतिशत, नैनीताल में 92 प्रतिशत, पौड़ी में 91 प्रतिशत और टिहरी में 93 प्रतिशत कमी थी। इसके अतिरिक्त, यह प्रयोगशालाएं परीक्षण और जाँच प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं थी।

बहिर्गमन गोष्ठी में, मुख्य महाप्रबंधक, उ ज सं ने अवगत कराया कि जिला स्तर की प्रयोगशालाओं को 19 मापदण्डों पर जल परीक्षण करने की आवश्यकता थी। उ ज सं का यह विवाद अनिवार्य आवश्यकता पर जागरूकता की कमी का संकेत करता है। 19 मापदण्डों पर जल परीक्षण वास्तव में उप-जिला स्तर प्रयोगशालाओं द्वारा किये जाने की आवश्यकता है और जिला स्तर प्रयोगशालाओं को रा ग्रा पे का के दिशानिर्देशों के अनुसार पालन किये जाने वाले समरूप पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण प्रोटोकॉल द्वारा निर्धारित 34 मानकों पर पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करना अनिवार्य है।

### 1.3.8.7 कार्य निष्पादन

#### अप्रमाणित व्यय

सितंबर 2012 में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अंतर्गत ₹ 21.81 करोड़ की अनुमानित लागत पर लक्ष्मोली हदीम की धार जल आपूर्ति योजना (एम वी एस के अंतर्गत) का कार्य नि ख, उ पे नि, मुनी की रेती, ऋषिकेश को आवंटित किया गया। फलस्वरूप, ₹ 1.35 करोड़ को नि ख, मुनी की रेती के लिए जारी किया गया था (मई 2011) और इकाई द्वारा ₹ 26.23 लाख<sup>58</sup> का कुल व्यय किया गया। 2013 में, यह कार्य नि ख, देवप्रयाग को हस्तांतरित किया गया था (अगस्त 2013)। नि ख, उ पे नि, देवप्रयाग ने कार्य हस्तगत करते समय पाया कि वास्तव में पिछली इकाई द्वारा कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया था और उसके द्वारा व्यय के रूप में दिखायी गयी राशि की वापसी की माँग (अप्रैल 2014) की गई। तथापि, तीन वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी प्रकरण पर आगे कोई भी प्रगति नहीं हुई है। इंगित किये जाने पर, नि ख, देवप्रयाग ने अवगत कराया कि यह प्रकरण आगे पत्राचार के माध्यम से नि ख, उ पे नि, मुनी की रेती, ऋषिकेश के साथ उठाया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तीन साल के बाद भी विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की।

बहिर्गमन गोष्ठी में, सचिव, पेयजल विभाग एवं प्र नि, उ पे नि ने आश्वासन दिया कि लेखापरीक्षा को अवगत कराते हुए सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

### 1.3.9 आंतरिक नियंत्रण तन्त्र

कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी अनुश्रवण और कार्यक्रम की रिपोर्टिंग एक प्रमुख घटक है। लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित कमियाँ पाई गयी हैं।

#### 1.3.9.1 परियोजना अनुश्रवण और मूल्यांकन

कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को प्रतिष्ठित संगठनों/संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण जल आपूर्ति (ग्रा ज आ) कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन और अनुश्रवण के अध्ययन की आवश्यकता थी एवं इन अध्ययनों के प्रतिवेदन के आधार पर सुधारात्मक उपाय किये जाने की आवश्यकता थी। यह पाया गया है कि इस प्रकार का अध्ययन करने के लिए विभाग द्वारा कोई स्वतन्त्र संस्था नियुक्त नहीं की गई। परिणामस्वरूप, शीर्ष स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा नहीं की जा सकी और राज्य सरकार को कोई भी सुधारात्मक कार्यवाही का सुझाव नहीं दिया जा सका। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया तन्त्र से वंचित रहा और राज्य के समग्र कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ जैसा की प्रस्तर 1.3.8.1 से 1.3.8.7 में चर्चा की गयी है।

#### 1.3.9.2 अन्य कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ अभिसरण

कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में राज्य द्वारा कार्यान्वित अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं<sup>59</sup> और जिला स्तर पर सभी सम्बन्धित कार्यक्रमों के साथ अभिसरण प्रावधानित है। तथापि, यह देखा गया कि दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार राज्य द्वारा कार्यान्वित किसी भी अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के

<sup>58</sup> भाड़ा: ₹ 1.33 लाख, आकस्मिकता: ₹ 8.06 लाख, वर्क चार्ज: ₹ 3.93 लाख व सेंटेज: ₹ 12.91 लाख।

<sup>59</sup> मनरेगा, भूमि संसाधन विभाग की एकीकृत जलाशय प्रबंध परियोजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग निधि, एन आर एच एम, कृषि मंत्रालय के विभिन्न जलाशय एवं सिंचाई योजनाएँ, जल संसाधन मंत्रालय की विभिन्न योजनाएँ इत्यादि।

साथ, एन आर एच एम के अंतर्गत पी एच सी में पानी का परीक्षण या मनरेगा के अंतर्गत योजनाओं के निष्पादन हेतु लगे श्रमिकों की सेवाओं का उपयोग आदि करके का सं को समर्थकारी बनाकर, कोई अभिसरण नहीं किया गया था।

### 1.3.9.3 एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली

भारत सरकार द्वारा प्रभावी अनुश्रवण और यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है "एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली" (आई एम आई एस) के नाम से एक ऑनलाइन अनुश्रवण प्रणाली विकसित की गयी। राज्य में, कार्यक्रम की रूपरेखा, क्रियान्वयन और अनुश्रवण हेतु उ पे नि को नोडल संस्था के रूप में नामित किया गया था तथा कार्यक्रम के भौतिक और वित्तीय प्रगति सम्बन्धित सभी आँकड़े उ पे नि द्वारा प्रभागीय और राज्य स्तर पर ऑनलाइन अपलोड किये जा रहे थे। आई एम आई एस में अपलोड किये गये डाटा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई थीं:

### 1.3.9.4 रा ज स्व मि के वित्तीय आँकड़ों की तुलना आई एम आई एस आँकड़ों के साथ

यह पाया गया कि आई एम आई एस में दर्शाए गये तथा रा ज स्व मि के अनुसार वित्तीय आँकड़ों में असमानता थी जिनको समाधान की आवश्यकता थी। आई एम आई एस के अनुसार, केंद्र और राज्य से प्राप्त धनराशियों एवं उनसे किये गये व्यय का विवरण निम्न तालिका-1.3.9 में दिया गया है:

तालिका-1.3.9: आई एम आई एस के अनुसार अनमुक्त राशि और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटन		विविध	कुल	व्यय		कुल व्यय	अंतिम अवशेष
		केंद्र	राज्य			केंद्र	राज्य		
2012-13	239.27	74.28	40.74	8.72	363.01	147.99	114.80	262.79	174.27
2013-14	174.27	87.61	77.18	1.03	340.09	138.59	52.71	191.30	124.32
2014-15	124.32	111.48	131.34	0.00	367.14	138.05	72.32	210.37	97.76
2015-16	97.76	60.06	45.21	5.73	208.76	99.79	82.14	181.93	63.75
2016-17	63.75	88.19	9.98	0.68	162.60	99.95	106.30	206.25	52.66
<b>योग</b>		<b>421.62</b>	<b>304.45</b>			<b>624.37</b>	<b>428.27</b>	<b>1,052.64</b>	

स्रोत: [indiawater.gov.in](http://indiawater.gov.in) (आई एम आई एस आँकड़े)।

उपर्युक्त आँकड़ों की तुलना रा ज स्व मि के वित्तीय लेखों के आँकड़ों के साथ, जैसाकि तालिका-1.3.2 में दर्शाया गया है, करने पर यह पाया गया कि, लगभग सभी वर्षों में, केन्द्र से अवमुक्त, राज्य से अवमुक्त एवं व्यय के आँकड़ों में भिन्नता थी। इसके अतिरिक्त, आई एम आई एस आँकड़ों में निम्नलिखित कमियाँ भी पाई गईं:

- वर्ष 2012-17 के दौरान, आई एम आई एस के प्रारम्भिक और अंतिम अवशेष में राज्यांश को शामिल नहीं किया गया था।
- रा ज स्व मि के लेखों के अनुसार, वर्ष-वार अवमुक्त (वर्ष 2013-14 के लिए केन्द्र से अवमुक्त) और राज्यांश से संबन्धित व्यय, रा ज स्व मि के लेखों के अनुसार अवमुक्त राशि और व्यय से मेल नहीं रखते थे।
- वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2016-17 में केन्द्रांश से किये गये व्यय तथा कार्यक्रम की विविध प्राप्तियाँ रा ज स्व मि के लेखों से मेल नहीं खा रहे थे।

अतः, आई एम आई एस के आँकड़े केंद्र तथा राज्य द्वारा अवमुक्त अनुदान के लेखों की सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत नहीं करते थे। इस संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकारते हुए प्र नि, उ पे नि एवं अ अ, रा ज स्व मि द्वारा यह अवगत कराया गया कि आवश्यक सुधार किये जाएंगे।

### 1.3.9.5 आई एम आई एस के वास्तविक आँकड़ों का विश्लेषण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अन्य संस्थाओं/लेखापरीक्षा द्वारा संपादित भौतिक सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़े आई एम आई एस के आँकड़ों से मेल नहीं खा रहे थे जैसाकि नीचे बताया गया है:

- आई एम आई एस के आँकड़ों में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की कुल संख्या 6,545 दर्शायी गयी थी जबकि शिक्षा विभाग के अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों की कुल संख्या 16,985 थी।
- आई एम आई एस में जल सुविधा से वंचित विद्यालयों की संख्या 1,239 दर्शायी गयी थी, जबकि शिक्षा विभाग के अभिलेखों के अनुसार संख्या 888 थी।
- आई एम आई एस के आँकड़ों के अनुसार, 10 में से पाँच आँगनवाड़ियों में पानी की सुविधा थी। तथापि, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड के अनुसार राज्य में 17,069 आँगनवाड़ी अस्तित्व में थीं, जिनमें से 5,212 आँगनवाड़ियों में जल सुविधा नहीं थी।
- लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, यह पाया गया है कि 66 बसावटों में परिवारों की संख्या आई एम आई एस के आँकड़ों से भिन्न थी। यद्यपि आई एम आई एस में दिखायी गई संख्या से, 54 बसावटों में वास्तविक परिवारों की संख्या (एक से 67 तक) अधिक थी तथा 12 बसावटों में (एक से 49 तक) कम थी। पौड़ी जिले में, पाबो ब्लॉक के दो ग्रा पं की पाँच बसावट<sup>60</sup> अनाच्छादित बसावटों (एन सी) के रूप में पिछड़ गई क्योंकि मौजूदा जल आपूर्ति योजना उचित देखरेख के अभाव में असक्रिय थी, जबकि उपर्युक्त बसावटों को आई एम आई एस में आंशिक रूप से आच्छादित (पी सी) दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त, आई एम आई एस में दिखाये गये चार बसावटों<sup>61</sup> का नाम सम्बन्धित ग्रा पं में नहीं दर्शाया गया था।

यह भी पाया गया कि यद्यपि उ पे नि कार्यक्रम का नियोजन, क्रियान्वयन और अनुश्रवण कर रहा था और आई एम आई एस में आँकड़ों को अद्यतन कर रहा था, जबकि क्षेत्रीय इकाईयों द्वारा दर्ज आँकड़ों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए पुनः जाँच नहीं हो रही थी। काउंटर जाँच तथा सत्यापन के अभाव में आँकड़ों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने हेतु कोई तन्त्र नहीं था। बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, प्रबंध निदेशक, उ पे नि एवं अ अ, रा ज स्व मि ने अवगत कराया कि आवश्यक सुधार किये जाएंगे।

### 1.3.10 सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि

सतत विकास लक्ष्यों (स वि ल) का उद्देश्य सार्वभौमिक रूप से लागू लक्ष्यों का एक समूह तैयार करना है जो सतत विकास के तीन यथा पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक आयामों को संतुलित करता है। कुल मिलाकर, 17 लक्ष्य स वि ल के रूप में स्थापित किये गये हैं, जो 2030 तक प्राप्त किये जाने हैं।

स वि ल का 6 वां लक्ष्य 'स्वच्छ जल और स्वच्छता' की अवधारणा से सम्बन्धित है। इसका उद्देश्य सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। तथापि, रा ग्रा पे का के क्रियान्वयन के लिए उचित संस्थागत तन्त्र की अनुपलब्धता, लक्ष्य की उपलब्धि में कमी, परियोजनाओं की निम्न पूर्णता दर, जैसाकि पूर्व के प्रस्तरों में वर्णित है, इंगित करते हैं कि

<sup>60</sup> बसावट बरसूड़ी, गायरे, राजीबाटा और रिखोट (ग्रा पं चौफिंडा) तथा बसावट मोलठा (ग्रा पं बरसूड़ी)।

<sup>61</sup> ग्रा पं दसीली से कपरखली (जिला अल्मोडा), ग्रा पं कंडोली से कंडोली तल्ली तथा ग्रा पं गजेली से निसजात (जिला पौड़ी), ग्रा पं चचखिंडा से ख्यालधार (जिला टिहरी)।

ग्रामीण समुदायों हेतु साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

### 1.3.11 निष्कर्ष

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम नियोजन एवं संस्थागत वितरण तंत्र में कमियों से ग्रस्त था। वर्ष 2012-17 की अवधि के दौरान ग्राम और जिला जल सुरक्षा योजना, जिसमें जनसांख्यिकीय, भौतिक विशेषताओं, जल स्रोतों, पीने के पानी की उपलब्ध अवसंरचना और गाँव के अन्य वितरण शामिल थे एवं पंचवर्षीय व्यापक जल सुरक्षा योजना तैयार नहीं किये गये थे और न ही राज्य द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित किया गया था। वित्तीय प्रबंधन प्रभावी नहीं था क्योंकि निधि अवमुक्त करने में देरी और कार्यक्रम के घटकों के बीच निधियों के वितरण के प्रकरणों में दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया था। पाँच प्रतिशत ग्रामीण विद्यालय एवं 31 प्रतिशत आँगनवाड़ियाँ अभी भी पेयजल की सुविधा से वंचित थीं और राज्य वर्ष 2017 तक 50 प्रतिशत ग्रामवासियों को 55 ली प्र व्य प्र दि उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत पीछे था। पानी की गुणवत्ता का परीक्षण अपर्याप्त था क्योंकि राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएं के अभी भी निर्माणाधीन होने तथा जिलों में जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक 34 मानकों के लिए जल का परीक्षण करने हेतु सक्षम नहीं थीं। चयनित जिलों में पेयजल स्रोतों के जीवाणु-संक्रमण एवं रासायनिक संदूषण की जाँच हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धियाँ नगण्य थीं। प्रतिष्ठित संगठनों/संस्थानों द्वारा मूल्यांकन एवं अनुश्रवण अध्ययन कराने को सम्मिलित करते हुये आंतरिक नियंत्रण तन्त्र विद्यमान नहीं थे। कार्यक्रम के वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के संदर्भ में एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के आँकड़े विश्वसनीय नहीं थे।

### 1.3.12 संस्तुतियाँ

राज्य सरकार/विभाग विचार कर सकते हैं:

- जैसाकि कार्यक्रम दिशानिर्देशों में परिकल्पित है संस्थागत तन्त्र को मजबूत बनाया जाए। विकेंद्रीयकृत योजना एवं व्यापक जल सुरक्षा योजना में विशिष्ट सामयिकता के साथ वर्णित प्रदेय के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु ग्राम एवं जिला जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करना सुनिश्चित कर सकती है;
- योजना की प्रगति की आवधिक समीक्षा किये जाने हेतु राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की सीमा के अंतर्गत अनुश्रवण और मूल्यांकन तन्त्र को सुदृढ़ बनाया जाए;
- कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार जल गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित किये जाने हेतु पर्याप्त मात्रा में जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाए तथा प्रत्येक स्तर पर मौजूदा प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया जाये; तथा
- आई एम आई एस आँकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कार्यदायी संस्था के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था/प्राधिकरण से सत्यापन/जाँच कराई जाय।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (सितम्बर 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।



## अनुपालन लेखापरीक्षा

### पेयजल विभाग

#### 1.4 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण

राज्य द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु किया गया नियोजन और क्रियान्वयन अपर्याप्त था क्योंकि मार्च 2017 तक 546 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और 4,485 ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन संरचनाओं के लक्ष्य के सापेक्ष क्रमशः केवल 63 और 50 का ही निर्माण किया गया था। मई 2017 में राज्य को खुले में शौच मुक्त के रूप में राज्य की घोषणा सही नहीं थी। भारत सरकार के पोर्टल पर लाभार्थी आँकड़ों को अद्यतन करने में विफलता के परिणामस्वरूप एक लाख से अधिक लाभार्थियों को शामिल नहीं किया गया। वित्तीय प्रबंधन भी अपर्याप्त पाया क्योंकि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान ₹10.58 करोड़ का अपना अंश जारी नहीं किया था।

##### 1.4.1 परिचय

नवीकृत कार्यनीतियों के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को अधिक व्यापक रूप से आच्छादित करने और एक संतृप्ति दृष्टिकोण<sup>62</sup> को अपनाने के उद्देश्य से भारत सरकार (भा स) द्वारा पूर्व से जारी सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (स स्व अ) कार्यक्रम के बदले वर्ष 2012 “निर्मल भारत अभियान” (नि भा अ) शुरू किया गया था। तत्पश्चात, सार्वभौमिक स्वच्छता आच्छादन को प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और ग्रामीण स्वच्छता पर अधिक ध्यान देने हेतु भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [स्व भा मि (ग्रा)] की शुरुआत की गई थी। स्व भा मि (ग्रा) का उद्देश्य ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (ठो त अ प्र) की गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता के स्तर में सुधार कर और ग्राम पंचायतों (ग्रा पं) को खुले में शौच से मुक्त (खु शौ मु) कर वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत की स्थिति को प्राप्त करना है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 31 मई 2017 को घोषित किया गया था कि उसने खुले में शौच से मुक्त की स्थिति प्राप्त कर ली। उत्तराखण्ड में मिशन की गतिविधियों के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान राज्य की उपलब्धियों का आकलन करने के लिए एक अनुपालन लेखापरीक्षा अप्रैल 2017 से जून 2017 की अवधि में संपादित की गई थी। कुल 13 जिलों में से दो जिले; कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र<sup>63</sup> प्रत्येक में एक जिला, अधिकतम उपलब्धि<sup>64</sup> वाले और दो जिले, इन्हीं क्षेत्रों<sup>65</sup> से प्रत्येक में एक जिला, न्यूनतम उपलब्धि वाला नमूने के रूप में लेखापरीक्षा जाँच हेतु चयनित किये

<sup>62</sup> जागरूकता पैदा करने हेतु घरों, विद्यालयों, आँगनवाड़ी, सामुदायिक समूह के स्थानों और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के लिए स्वच्छता की सुविधा के लिए माँग उत्पत्ति, समुदाय आधारित और सामुदायिक संतृप्ति को अपनाने के लिए दृष्टिकोण।

<sup>63</sup> कुमाऊं क्षेत्र: अल्मोड़ा, गढ़वाल क्षेत्र: टिहरी।

<sup>64</sup> लक्ष्य के सापेक्ष व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (व्य घ शौ) के निर्माण के संबंध में उपलब्धि।

<sup>65</sup> कुमाऊं क्षेत्र: उधम सिंह नगर, गढ़वाल क्षेत्र: हरिद्वार।



गये। इसके अतिरिक्त, इसी प्रकार के मानदण्ड का उपयोग करते हुए, प्रत्येक चयनित जिले में, दो ब्लॉक और प्रत्येक ब्लॉक में, पाँच ग्रा पं का चयन किया गया था। भौतिक सत्यापन के लिए, चयनित जिलों के आठ ब्लॉकों<sup>66</sup> की 40 ग्रा पं में से 400 लाभार्थियों को क्रमरहित ढंग से चयनित किया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (रा प प्र ई), देहरादून के अभिलेखों की भी जाँच की गयी थी।

#### 1.4.2 नियोजन

राज्य में स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं की स्थिति का आकलन करने के लिए, 2013-14 में आधार भूत सर्वेक्षण (आ भू स) किया गया था। आ भू स के आधार पर, एक परियोजना कार्यान्वयन योजना (प का यो) को भारत सरकार को भेजा (जून 2016) गया था जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि मिशन अवधि के दौरान राज्य में 4,89,108 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (व्य घ शौ), 831 सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सा स्व प) और 7,900 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (ठो त अ प्र) सुविधाओं का निर्माण करने की आवश्यकता थी। भारत सरकार, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने 30 जून 2015 तक आधारभूत सर्वेक्षण के आँकड़ों को अद्यतन करने के लिए सभी राज्यों को निर्देशित (मई 2015) किया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रा प प्र ई ने 1,79,868 परिवारों की एक सूची, जो कि जून 2015 से अगस्त 2015 के मध्य किये गये पुनरीक्षित सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित किये गये थे, को पूर्व चिन्हित किये गये लाभार्थियों की सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार को अग्रेषित किया था। भारत सरकार को निर्धारित समय सीमा (30 जून 2015) के बाद संशोधित आंकड़े प्रेषित करने के कारण भारत सरकार द्वारा इन अतिरिक्त लाभार्थियों को प का यो में शामिल नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, स्व भा मि (ग्रा) के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों को प्रत्येक वर्ष अप्रैल में लाभार्थियों के आँकड़ों को अद्यतन किया जाना था। रा प प्र ई समय पर आँकड़ों का वार्षिक अद्यतन करने में विफल रही, जिसके कारण इन 1,79,868 अतिरिक्त परिवारों को शामिल नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, मिशन का लक्ष्य निर्धारण आवश्यकता से कम निर्धारित किया गया। इस संबंध में इंगित किये जाने पर रा प प्र ई ने कहा कि भारत सरकार से आ भू स के आँकड़ों को अद्यतन करने के लिए एक पत्र भेजा गया था तथा भारत सरकार स्तर से कार्यवाही प्रतीक्षित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि रा प प्र ई ने अतिरिक्त लाभार्थियों की सूची निर्धारित समय सीमा के बाद भारत सरकार को प्रेषित की थी।

#### 1.4.3 वित्तीय पद्धति

स्व भा मि (ग्रा) के अंतर्गत, सा स्व प को छोड़कर, सभी घटकों को 90:10 के अनुपात में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। सा स्व प के प्रकरण में यह अनुपात 81:9 है, और शेष दस प्रतिशत को ग्रा पं द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। व्य घ शौ और सा स्व प के निर्माण के लिए प्रोत्साहनों का प्रावधान क्रमशः ₹12,000 और ₹दो लाख था।

<sup>66</sup> उधम सिंह नगर: सितारगंज और बाजपुर, हरिद्वार: नारसन और बहादुराबाद, अल्मोड़ा: हवालबाग और लामगढ़, टिहरी: नरेंद्र नगर और भिलंगना।

स्व भा मि (ग्रा) के अंतर्गत मुख्य घटक के साथ-साथ कुल आवंटन के प्रत्येक उप-घटक के लिए वित्तीय पद्धति एवं उनकी प्रतिशतता नीचे तालिका-1.4.1 में दी गई है:

तालिका-1.4.1: वित्तीय पद्धति

संघटक	स्व भा मि (ग्रा) परियोजना के प्रतिशत के रूप में चिन्हित धनराशि	योगदान अंश (प्रतिशत में)		
		भारत सरकार	राज्य सरकार	व्यक्तिगत/समुदायिक लाभार्थी
सू शि सं, प्रारम्भिक क्रियाकलाप एवं क्षमता निर्माण	कुल परियोजना लागत का 5 % तक	90	10	00
व्य घ शौ	₹ 12,000	90	10	00
सा स्व प	अधिकतम इकाई लागत ₹ दो लाख	81	09	10
ठो त अ प्र	150 परिवारों वाली ग्रा पं हेतु: ₹ 7 लाख, 300 परिवारों वाली ग्रा पं हेतु: ₹ 12 लाख, 500 परिवारों वाली ग्रा पं हेतु: ₹ 15 लाख, 500 से अधिक परिवारों वाली ग्रा पं हेतु: ₹ 20 लाख।	90	10	00
प्रशासनिक प्रभार	परियोजना लागत का दो प्रतिशत	90	10	00

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार, रा प प्र ई ने निर्देश जारी किया कि व्य घ शौ इकाईयों के निर्माण के बाद प्रोत्साहन राशि (प्रो रा) का भुगतान किया जाएगा तथा आर्थिक रूप से अति कमजोर वर्ग के परिवारों के प्रकरण में प्रो रा को ग्रा पं को एकमुस्त अग्रिम के रूप में प्रदान किया जाएगा।

#### 1.4.3.1 निधि की उपलब्धता एवं उपयोगिता

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान मिशन के अंतर्गत धन की उपलब्धता एवं उपयोग का वर्षवार विवरण तालिका-1.4.2 में नीचे दिया गया है:

तालिका-1.4.2: निधि की उपलब्धता एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति					व्यय (प्रतिशत में)	शेष (प्रतिशत में)
		भारत सरकार	राज्य	ब्याज	अन्य	कुल		
2014-15	13.08*	40.52	7.17	0.40	0.04	61.21	55.24 (90.25)	5.97 (9.75)
2015-16	5.97	49.37	5.49	0.49	0.01	61.33	51.18 (83.45)	10.15 (16.55)
2016-17	10.15	216.69	10.82	0.97	(-) 0.01 <sup>67</sup>	238.62	183.46 (76.88)	55.16 (23.12)

\* स्व भा मि (ग्रा) कार्यक्रम अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था। वर्ष 2014-15 के लिए शेष राशि और आवंटन में पहले चल रहे कार्यक्रम (नि भा अ) की राशि शामिल है।

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है वर्ष 2014-15 में अव्ययित राशि नौ प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 23 प्रतिशत हो गई। विभाग ने अपने उत्तर में अव्ययित अवशेष का कारण वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों का प्राप्त होना बताया। विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सा स्व प और ठो त अ प्र की अपेक्षा व्य घ शौ के निर्माण को प्राथमिकता दी गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, भले ही वित्तीय वर्ष के अंत में निधियां प्राप्त हुई हों, ये अगले वर्ष उपयोग की जा सकती थी।

<sup>67</sup> वर्ष 2016-17 में ऋणात्मक आँकड़े हैं, क्योंकि रा प प्र ई ने वर्ष 2014-15 और 2015-16 में एकत्र किये गये गैर सरकारी संगठन के पंजीकरण शुल्क को आंशिक रूप से वापस लौटाया था।

तथापि, ऐसा नहीं किया गया जैसाकि उपरोक्त तालिका में अव्ययित अवशेष में वृद्धि से देखा गया है। इसके अतिरिक्त, विभाग 2,02,953 लाभार्थियों, जो कुल व्य घ शौ के निर्माण का 45 प्रतिशत था, को प्रोत्साहन राशि की प्रतिपूर्ति करने में विफल रहा। केवल चयनित चार जिलों में 1,36,910 लाभार्थियों को ₹159.85 करोड़ की प्रोत्साहन राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी।

#### 1.4.3.2 राज्यांश जारी करने में विलंब/अवमुक्त न किया जाना

स्व भा मि (ग्रा) के दिशानिर्देशों के प्रस्तर 13.1.1 के अनुसार, राज्य को केन्द्रांश जारी करने के 15 दिनों के भीतर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अपने 10 प्रतिशत अंश को जारी करना था। यह पाया गया कि 2014-17 की अवधि के दौरान, भारत सरकार ने ₹306.58 करोड़ अवमुक्त किये थे जिसके सापेक्ष राज्य सरकार को ₹34.06 करोड़ जारी करने थे। राज्य सरकार ने अप्रैल 2017 तक राज्यांश के सापेक्ष केवल ₹23.48 करोड़ रुपये अवमुक्त किये थे तथा वर्ष 2016-17 के लिए अभी तक ₹10.58 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016-17 में, राज्य द्वारा 10 दिनों से लेकर 110 दिनों तक के विलंब से अपना अंश अवमुक्त किया गया।

#### 1.4.3.3 उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रस्तुत न करना

स्व भा मि (ग्रा) के दिशानिर्देशों के प्रस्तर 5.4.3 के अनुसार व्य घ शौ के निर्माण में तेजी लाने के लिए ग्रा पं को निधियां अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी जानी थी। जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (जि प प्र ई) और ग्रा पं के बीच गठित किये गये समझौता ज्ञापन (स ज्ञा) के अनुसार, ग्रा पं को व्य घ शौ का निर्माण हेतु निधियों की प्राप्ति के 15 से 30 दिनों के अंदर करना था और तदनुसार ही सम्बन्धित जि प प्र ई को उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ प्र) भी प्रस्तुत करना था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि चयनित जिलों में ₹9.96 करोड़ की राशि के उ प्र पत्र जून 2017 तक लंबित थे। इंगित किये जाने पर, सम्बन्धित जि प प्र ई ने तथ्यों की पुष्टि की और अवगत कराया कि सम्बन्धित ग्रा पं से उ प्र प्राप्त किये जाएंगे।

#### 1.4.4 मिशन के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

स्व भा मि (ग्रा) के अंतर्गत गतिविधियों के मुख्य रूप से चार घटक हैं; (i) व्य पा शौ (ii) सा स्व प (iii) ठो त अ प्र संरचनाएं और (iv) सूचना, शिक्षा और संचार (सू शि सं)।

##### 1.4.4.1 वैयक्तिक घरेलू शौचालय

ग्रा पं को स्वच्छ बनाने के लिए व्य घ शौ घटक के अंतर्गत वार्षिक लक्ष्य तैयार किये गये थे। प्रोत्साहन राशि @ ₹12,000 प्रति व्य घ शौ की दर से उपलब्ध करायी:

- गरीबी रेखा के नीचे (बी पी एल) सभी परिवार
- गरीबी रेखा से ऊपर (ए पी एल) परिवारों, जो निम्न तक सीमित था
  - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति,
  - छोटे और सीमांत किसान,
  - घरों के साथ भूमि रहित मजदूर,
  - शारीरिक रूप से विकलांग मुखिया वाले परिवार और

- महिला प्रमुख वाले परिवार।

अनुमोदित प का यो के अनुसार, राज्य में 4,89,108 व्य घ शौ का निर्माण किया जाना था, जिसमें से 4,50,804 शौचालय (92 प्रतिशत) मार्च 2017 तक बनाए जा चुके थे। मई 2017 में राज्य को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था। तथापि, जैसा ऊपर वर्णित है, 1,79,868 लाभार्थियों को प का यो में शामिल नहीं किया गया था एवं इसलिए वास्तविक आच्छादन केवल 67.39 प्रतिशत ही था। व्य घ शौ के निर्माण के संबंध में आँकड़ों की विश्वसनीयता भी संदिग्ध थी क्योंकि जाँच में यह पाया गया कि जिला अल्मोड़ा को 22 दिसंबर 2016 को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था जबकि 26 दिसंबर 2016 से 3 जनवरी 2017 के बीच 241 ग्रा पं को 5,672 शौचालयों के निर्माण हेतु ₹ दो करोड़ की राशि अवमुक्त की गई थी, जिन्हें जून 2017 तक पूरा नहीं किया गया था। इससे यह पता चलता है कि जिला अल्मोड़ा दिसम्बर 2016 में खुले में शौच से मुक्त नहीं हुआ था।

#### 1.4.4.1 (अ) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के भौतिक सत्यापन का परिणाम

चालीस ग्रा पं के भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि 400 में से 253 व्य घ शौ<sup>68</sup> (63.25 प्रतिशत) में पानी की सुविधा नहीं थी और 27 परिवार<sup>69</sup> विभिन्न गलत धारणाओं के कारण आंशिक रूप से अपने शौचालयों का उपयोग कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, भौतिक रूप से सत्यापित 40 ग्रा पं में ग्राम प्रधानों से प्राप्त जानकारी से पता चला कि गाँवों में रह रहे 41,150 परिवारों में से 1,694 परिवारों<sup>70</sup> (4.12 प्रतिशत) में शौचालय नहीं थे और ये मिशन के अंतर्गत शामिल नहीं थे। यह दर्शाता है कि खुले में शौच मुक्त की स्थिति पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुई थी।

#### 1.4.4.2 सामुदायिक स्वच्छता परिसर

सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सा स्व प) स्व भा मि (ग्रा) का अभिन्न अंग हैं। सा स्व प, जिसमें एक उचित संख्या में शौचालय सीटें, घनाकार स्नानागार, वॉशिंग प्लेटफार्म, वॉशबेसिन इत्यादि शामिल होती हैं, को गाँव में सभी को स्वीकार्य एवं सुलभ स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। सामान्यतः, ऐसे परिसरों का निर्माण केवल तभी किया जाएगा जब व्य घ शौ के निर्माण के लिए जगह की कमी हो और समुदाय/ग्रा पं एक विशिष्ट माँग करता है और उसके संचालन एवं अनुश्रवण की जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। प का यो के अनुसार, वर्ष 2019 तक 831 सा स्व प बनाए जाने थे, जिनमें से वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए वार्षिक कार्यान्वयन योजना (वा का यो) के अनुसार मार्च 2017 के अंत तक 546 सा स्व प बनाए जाने थे। यह पाया गया कि मार्च 2017 तक केवल 63 सा स्व प का निर्माण किया गया, जो कुल लक्ष्य का केवल 11.54 प्रतिशत था। चयनित जिलों में 213 सा स्व प में से केवल 42 (19.72 प्रतिशत) का निर्माण किया गया। इस प्रकार, सा स्व प का निर्माण और उनका उपयोग सुनिश्चित किये बिना स्व भा मि (ग्रा) की मूल भावना और लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया था। इंगित किये जाने पर, रा प प्र ई ने अवगत कराया कि राज्य में व्य घ शौ के निर्माण पर जोर दिया गया था, और व्यक्तिगत शौचालय सुविधाओं के साथ अधिक से अधिक घरों को आच्छादित करने के प्रयास किये गये जिसके परिणामस्वरूप सा स्व प घटक के अंतर्गत कम भौतिक

<sup>68</sup> हरिद्वार-55, नई टिहरी-56, उधम सिंह नगर-87 और अल्मोड़ा-55।

<sup>69</sup> हरिद्वार-11, नई टिहरी-04, उधम सिंह नगर-11 और अल्मोड़ा-01।

<sup>70</sup> हरिद्वार-857, टिहरी-170, उधम सिंह नगर-504 और अल्मोड़ा-163।

प्रगति हुई। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 831 सा स्व प उन ग्रा पं में बनाये जाने थे जहां लाभार्थियों के पास व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं थी।

#### 1.4.4.2 (अ) सा स्व प के भौतिक सर्वेक्षण का परिणाम

तीन चयनित जनपदों<sup>71</sup> के सात सा स्व प का भौतिक सत्यापन किया गया था जिसमें तीन सा स्व प में कोई कमी नहीं पायी गयी। अन्य चार सा स्व प में मिली कमियों को नीचे दर्शाया गया है:-

- जिला हरिद्वार में दो सा स्व प, एक नारसन ब्लॉक के मकदूमपुर गाँव में दो सीटों का शौचालय हैं और दूसरा बहादुराबाद ब्लॉक के जसवावाला गाँव में छः सीटों का शौचालय क्रमशः वर्ष 2014-2015 और 2015-16 में बनाए गये थे जो जनता के लिए सुलभ नहीं थे और बिना पानी की आपूर्ति एवं बिजली के कनेक्शन के थे।
- जिला उधम सिंह नगर में गदरपुर ब्लॉक के ढिमरी गाँव में वर्ष 2014-15 में एक छः सीटों का सा स्व प का निर्माण किया गया था। इसमें पानी की आपूर्ति और बिजली कनेक्शन नहीं था तथा इसका उपयोग भी नहीं किया जा रहा था।
- जिला अल्मोड़ा में हवालबाग ब्लॉक के मॉल ग्राम पंचायत में वर्ष 2016-17 में दो सीटों के सा स्व प का निर्माण किया गया था जिसका प्रयोग भंडारण के रूप में किया जा रहा था।

#### 1.4.4.3 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन

स्व भा मि (ग्रा) के दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ठो त अ प्र मुख्य घटकों में से एक था। ठो त अ प्र प्रत्येक ग्रा पं में प्रोजेक्ट मोड में किया जाना था। इस घटक के अंतर्गत खाद गड्डों, कम लागत वाली जल निकासी एवं सोक चैनल/गड्डों का निर्माण तथा अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करना और घरेलू कचरे का संग्रह, पृथक्करण और निपटान के लिए व्यवस्था बनाने जैसी गतिविधियाँ शुरू होनी थीं।

प का यो के अनुसार वर्ष 2019 तक 7,900 ठो त अ प्र संरचनाएं तैयार की जानी थीं, जिनमें से वर्ष 2014-15 से 2016-17 की वा का यो के अनुसार मार्च 2017 के अंत तक 4,485 ठो त अ प्र संरचनाओं का निर्माण किया जाना था। यह पाया गया कि मार्च 2017 के अन्त तक केवल 50 ठो त अ प्र संरचनाओं, जो कि केवल 1.11 प्रतिशत होता है, का निर्माण किया गया था। चयनित जिलों में 1,512 में से केवल 27 (1.79 प्रतिशत) ठो त अ प्र संरचनाओं<sup>72</sup> का निर्माण किया गया था। यह इंगित किये जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा व्य घ शौ के निर्माण को प्राथमिकता दी गई थी। विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ठो त अ प्र घरेलू कचरा संग्रह, पृथक्करण और सुरक्षित निपटान के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है और घरेलू कम्पोस्टिंग एवं बायोगैस संयंत्र जैसी विकेन्द्रीकृत प्रणाली स्थापित करने के लिए स्व भा मि के अंतर्गत इनका अन्य घटकों के साथ सीधा संबंध था। अतः ठो त अ प्र को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

<sup>71</sup> हरिद्वार, उधम सिंह नगर एवं अल्मोड़ा।

<sup>72</sup> वरमी कम्पोस्ट पिट्स, गारबेज पिट्स, सोक पिट्स एवं आउटलेट ड्रेन्स।

#### 1.4.4.4 खुले में शौच मुक्त की स्थिति

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार ने यह परिभाषित किया है कि खुले में शौच मुक्त (खु शौ मु) स्थिति केवल तब ही प्राप्त की जा सकती है जब पर्यावरण/गाँव में कोई दृश्यमान मल न हो और मल के निपटान के लिए प्रत्येक घर के साथ-साथ सार्वजनिक/सामुदायिक संस्था सुरक्षित प्रौद्योगिकी विकल्प का उपयोग करें।

उत्तराखण्ड सरकार ने 31 मई 2017 को राज्य को खुले में शौच मुक्त घोषित किया। तथापि, 1,79,868 घरों में व्य घ शौ के निर्माण के लक्ष्य में शामिल नहीं किया गया था और सा स्व प और ठो त अ प्र के निर्माण में महत्वपूर्ण कमी थी जैसाकि उपरोक्त प्रस्तर 1.4.2, 1.4.4.2 एवं 1.4.4.3 में वर्णित किया गया है। अतः राज्य को खुले में शौच मुक्त की घोषणा की स्थिति सही नहीं थी।

#### 1.4.4.5 सूचना, शिक्षा और संचार

सूचना, शिक्षा और संचार (सू शि सं) की गतिविधियाँ कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के लिए स्वच्छता सुविधाओं की माँग को गति देने हेतु सूचना और जागरूकता पैदा करने के माध्यम से समुदाय-व्यापी व्यवहार में परिवर्तन लाने की परिकल्पना करता है। इस घटक के अंतर्गत, ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए प्रत्येक गाँव में स्वच्छता दूत<sup>73</sup> की नियुक्ति और ग्रामीण एवं जल स्वच्छता समिति के गठन के अतिरिक्त जि प प्र ई द्वारा विभिन्न गतिविधियों जैसे गाने और नाटक, कठपुतली शो, बैनर एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से जन जागरूकता पैदा कर एक निरंतर तरीके से शौचालयों के निर्माण और उपयोग पर जोर दिया जाना था। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि चयनित जिलों में सू शि सं की गतिविधियाँ पूर्ण रूप से संचालित नहीं थी। वर्ष 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान कुल ₹5.67 करोड़ के आवंटन के सापेक्ष निर्धारित निधि के ₹1.40 करोड़ (24.69 प्रतिशत) का उपयोग सू शि सं गतिविधियों जैसे जागरूकता बैठकों, होर्डिंग्स, सू शि सं सामग्री, गाने और नाटक आदि के वितरण के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि चयनित जिलों में न तो स्वच्छता दूत नियुक्त किये गये थे और न ही ग्रामीण एवं जल स्वच्छता समिति का गठन किया गया था। भौतिक सर्वेक्षण के दौरान अपर्याप्त सू शि सं गतिविधियों का प्रभाव देखा गया क्योंकि 400 घरों में से 27 घर (6.75 प्रतिशत) विभिन्न मिथ्या धारणाओं के कारण शौचालय का उपयोग नहीं कर रहे थे।

#### 1.4.5 सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धियाँ

सतत विकास लक्ष्य (स वि ल) का उद्देश्य सार्वभौमिक रूप से लागू लक्ष्यों का एक समूह बनाना है जो सतत विकास के तीन आयामों पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक को संतुलित करता है। कुल मिलाकर 17 लक्ष्य स वि ल के रूप में निर्धारित किये गये हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना है।

स वि ल का छठवाँ लक्ष्य 'स्वच्छ जल और स्वच्छता' की अवधारणा से जुड़ा है। इसका उद्देश्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन को सुनिश्चित करना है। तथापि, अपर्याप्त योजना, वित्तीय प्रबंधन में की कमी, कार्यान्वयन और अनुश्रवण तथा कार्यक्रम में पात्र लाभार्थियों को शामिल न किया जाना, जैसाकि पूर्व प्रस्तरों में वर्णित किया गया है, दर्शाता है कि

<sup>73</sup> लाभार्थियों की पहचान करने और कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गा पं / ग्राम जल और स्वच्छता समिति द्वारा स्वच्छता दूत नामित किया जाना था।

ग्रामीण समुदाय को उचित स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

#### 1.4.6. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

##### 1.4.6.1 अनुश्रवण इकाईयों का गठन नहीं किया जाना

स्व भा मि (ग्रा) के दिशानिर्देशों के प्रस्तर 14.3 के अनुसार, मिशन कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक था। मिशन की गतिविधियों की निगरानी के लिए दोनों, राज्य एवं जिला स्तर पर विशेषज्ञों सहित समर्पित विशेष अनुश्रवण इकाईयाँ बनाई जानी थीं। इन इकाईयों द्वारा अनुश्रवण रिपोर्ट त्रैमासिक आधार पर तैयार की जानी थी। चयनित जिलों में अभिलेखों की जाँच से पता चला कि न तो आवश्यक अनुश्रवण इकाईयाँ गठित की गईं और न ही त्रैमासिक अनुश्रवण रिपोर्ट तैयार की गईं, जो कार्यक्रम के अपर्याप्त अनुश्रवण को दर्शाता है।

चयनित जि प प्र ई ने स्वीकार किया कि उन्होंने अनुश्रवण इकाईयों का गठन नहीं किया लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताए गये।

##### 1.4.6.2 आवधिक मूल्यांकन

दिशानिर्देशों के प्रस्तर 16.1 के अनुसार, राज्यों को मिशन कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर आवधिक मूल्यांकन अध्ययन करने की आवश्यकता थी। प्रतिष्ठित संस्थानों, जिनका नाम भारत सरकार को प्रेषित किया जाना था, के माध्यम से मूल्यांकन का अध्ययन किया जाना था। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि रा प प्र ई द्वारा आवधिक मूल्यांकन, जैसाकि दिशानिर्देशों में परिकल्पना की गई थी, नहीं किया गया था। इसे इंगित किये जाने पर, रा प प्र ई ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि दिशानिर्देशों में परिकल्पना की गई तृतीय पक्ष से निरीक्षण नहीं कराये गये थे। तथापि, यह अवगत कराया गया है कि 15 जून 2015 से 15 अक्टूबर 2015 तक अकादमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (ए एम एस) द्वारा तृतीय पक्ष के निरीक्षण किये गये।

रा प प्र ई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त रिपोर्ट स्व भा मि (ग्रा) के अंतर्गत आवधिक मूल्यांकन से सम्बन्धित नहीं थी। यह उत्तराखण्ड ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना नामित विश्व बैंक की प्रायोजित परियोजना से सम्बन्धित था और इस सर्वेक्षण में केवल एक घटक अर्थात् व्य घ शौ शामिल था।

##### 1.4.7 निष्कर्ष

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु राज्य की नियोजन और कार्यान्वयन अपर्याप्त थी। राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई भारत सरकार के पोर्टल पर लाभार्थियों के आँकड़े अद्यतन करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप एक लाख से अधिक लाभार्थियों को शामिल नहीं किया गया। दो महत्वपूर्ण घटक अर्थात् सामुदायिक स्वच्छता परिसर और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन में काफी कमी थी। मई 2017 में राज्य को खुले में शौच मुक्त की घोषणा भी गलत थी। चयनित जिलों में सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों को पर्याप्त रूप से नहीं किया गया था। वित्तीय प्रबंधन में भी कमी पायी गयी क्योंकि राज्य ने 2016-17 के दौरान अपना अंश जारी नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, यह समर्पित विशेष अनुश्रवण इकाईयाँ स्थापित नहीं कर सका।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शासन (जुलाई 2017) को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।



## ऊर्जा विभाग

### 1.5 निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से जल विद्युत विकास की निष्पादन लेखापरीक्षा की अनुवर्ती लेखापरीक्षा

#### 1.5.1 परिचय

“निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से जल विद्युत विकास” की निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसमें 1993 से मार्च 2009 की अवधि आच्छादित थी, को 31 मार्च 2009 की एकल-पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया था। यह प्रतिवेदन सितम्बर 2010 में राज्य विधान सभा के पटल पर रखी गयी थी। लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा निष्कर्षों को जून 2017 तक चर्चा हेतु शामिल नहीं किया गया था।

#### 1.5.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं क्रियाविधि

अनुवर्ती लेखापरीक्षा, एकल-पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009 में शामिल 23 आपत्तियों के विरुद्ध शासन द्वारा बहिर्गमन सम्मेलन (नवम्बर 2009) में स्वीकार की गयी 13 संस्तुतियों के क्रियान्वयन का आंकलन करने के उद्देश्य से अप्रैल से मई 2017 में सम्पादित की गयी। लेखापरीक्षा में उत्तराखण्ड सरकार (उ स), महानिदेशक, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम (उ ज वि नि) लिमिटेड और उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (उ प सं एवं प्र नि बो) के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच सम्मिलित थी। पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा में चयनित 13 जल विद्युत परियोजनाओं में से पाँच<sup>74</sup> का भौतिक सत्यापन भी लेखापरीक्षा के भाग के रूप में सम्पादित किया गया था। लेखापरीक्षा में वर्ष 2009-10 से 2016-17 तक की अवधि आच्छादित थी।

#### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 1.5.3 लेखापरीक्षा संस्तुतियों का क्रियान्वयन

पूर्व प्रतिवेदन में प्रतिवेदित 23 स्वीकृत लेखापरीक्षा आपत्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की स्थिति निम्नलिखित तीन श्रेणियों में व्यवस्थित गई हैं:

#### अ. नगण्य या कोई प्रगति नहीं

पूर्व प्रतिवेदन में उठाये गये लेखापरीक्षा निष्कर्ष	की गयी संस्तुति	विभाग द्वारा सूचित वर्तमान स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष/टिप्पणी
(i) उ स द्वारा श्रीनगर जल विद्युत परियोजना विकासकर्ता से क्रियान्वयन अनुबन्ध (क्रि अ) अन्य परियोजनाओं के मुकाबले अधिक अनुकूल शर्तों पर किया गया था। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 4.3)।		उ स ने राज्य जल नीति 2016 का प्रारूप तैयार किया है जिसमें यह प्रस्तावित किया गया है कि “जल का स्वामित्व निजी नहीं बल्कि राज्य का होगा”। सम्बन्धित नीति के क्रियान्वयन के पश्चात् भविष्य में समस्त परियोजनाओं की शर्तें एक समान हो जाएंगी।	राज्य जल नीति का प्रारूप अभी तक अनुमोदित नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 से पूर्व विभिन्न परियोजनाओं के प्रवर्तकों के साथ किये गये क्रि अ की शर्तों को सीमित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। श्रीनगर परियोजना के सम्बन्ध में परियोजना के प्रस्तावक द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों/समस्त परिवर्तनों को अभी भी (जून 2017) किया जाना शेष है।

<sup>74</sup> राजवक्ती, देवाल, बिराहीगंगा, भिलंगना-III एवं बिराहीगंगा-III।



<p>(ii) राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अंतर्गत अत्यधिक जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण का प्रभाव पर्यावरण की दृष्टि से विनाशकारी साबित हो सकता है। वर्तमान में 42 जल विद्युत परियोजनायें प्रचालन में हैं, 203 निर्माणाधीन या मंजूरी के स्तर में हैं जबकि कई अन्य वैचारिक चरण में हैं। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 5.3.2)।</p>	<p>1. नदी के मोड़ के साथ जुड़े हैंड पौण्ड, वियर व इन्टेक का ऐसा डिजाइन हो कि जलीय जीवन, चट्टानों की परतीय हलचल एवं बाढ़ सहित उसके प्रभाव न्यूनतम हो जाए।</p> <p>2. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजना से एक प्रतिशत अतिरिक्त निःशुल्क विद्युत उपलब्ध करवाकर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि हेतु निर्धारित किया जा सकता है।</p>	<p>1. उ स ने दो नदी घाटियों (सरयू एवं रामगंगा) के प्रकरण में न्यूनतम जल प्रवाह को बनाए रखने के सम्बन्ध में आदेश (अप्रैल/मई 2013) जारी कर दिए थे। अन्य नदी घाटियों (अलकनन्दा एवं भागीरथी) के लिए प्रकरण अभी माननीय उच्चतम न्यायलय में लम्बित है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (प व एवं ज प म) ने राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रकरणों की जाँच के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है।</p> <p>2. उत्तराखण्ड में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास निधि नीति तैयार कर ली गयी है। उसकी मंजूरी विचाराधीन है।</p>	<p>1. संस्तुति अभी भी कार्यान्वित नहीं हुई है। पाँच परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन के दौरान यह सत्यापित किया गया कि परिवर्तित हिस्से (मोड़) में नदी का बहाव नीचे की ओर नहीं था।</p> <p>2. संस्तुति अभी तक लागू नहीं की गई है क्योंकि नीति अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है।</p>
<p>(iii) अचानक आई बाढ़ के खतरे को रोकने हेतु किसी भी परियोजना की योजना/डिजाइन में कोई भी विशिष्ट उपाय नहीं किये गये थे। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 5.7)।</p>		<p>विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वि प रि) के परीक्षण/अनुमोदन के दौरान डिजाइन का आंकलन, बाढ़ एवं बाढ़ आवृत्ति का विश्लेषण मानक दिशानिर्देशों और गणना/सूत्रों अनुसार किया गया। आपदा 2013 के पश्चात् प एवं व मं, भारत सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा और आपदा न्यूनीकरण योजना के बारे में संस्तुतियाँ देने के लिए एक समिति गठित की है, जो प्रगति पर है।</p>	<p>इस आपत्ति पर अनुवर्ती कार्यवाही अभी भी प्रगति पर है।</p>

## ब. आंशिक कार्यान्वयन

पूर्व प्रतिवेदन में उठाये गये लेखापरीक्षा निष्कर्ष	की गयी संस्तुति	विभाग द्वारा सूचित वर्तमान स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष/टिप्पणी
<p>(i) भावी विकासकर्ता की तकनीकी और वित्तीय क्षमता के आधार पर एकल चरण द्वारा परियोजनायें कई इकाईयों जिनकी दक्षता इस्पात उत्पादन, पर्यटन, चीनी निर्माण, जल आपूर्ति परियोजनायें, सामान्य निर्माण इत्यादि में थी, को आवंटित की गईं और इन्हें विद्युत क्षेत्र में कार्य करने का पूर्व में कोई अनुभव नहीं था। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 3.2.7)।</p>		<p>परियोजनाओं को तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित किया गया था। उत्तराखण्ड गठन के उपरान्त शासन द्वारा इन्हें विकासकर्ताओं के साथ नया क्रि अ किया। इसलिए, मूल विकासकर्ता के स्वामित्व में संशोधन/परिवर्तन करने का कोई अवसर नहीं है। तथापि, नई जल विद्युत नीति, 2015 में परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन के लिए प्रावधान किया गया है।</p>	<p>विभाग ने नई नीति में आवश्यक सुरक्षा उपायों के लिए प्रावधान किया है। लेखापरीक्षा को राज्य सरकार द्वारा उठाए गये किसी भी प्रयास के साक्ष्य नहीं मिले जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मौजूदा परियोजनाओं के संस्थापकों/प्रमोटर्स ने जल विद्युत संचालन हेतु आवश्यक विशेषज्ञता प्राप्त की हो।</p>
<p>(ii) क्षमता पुनः निर्धारण के नाम पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के लिए लिक्विडेटेड डैमैज</p>	<p>विकासकर्ताओं के लिए अग्रिम प्रीमियमों एवं वित्तीय क्षमताओं के सम्बन्ध में, शासन को उन</p>	<p>उ स ने वर्ष 2012 में क्षमता वृद्धि पर एक नई नीति तैयार की है जिसमें यथानुपात आधार पर अग्रिम प्रीमियम</p>	<p>विभाग ने नई परियोजनाओं हेतु लेखापरीक्षा संस्तुति क्रियान्वित की है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि</p>

<p>के बिना अनुचित अवधि विस्तार के कई उदाहरण थे जिससे विद्युत से प्रत्याशित लाभ से वंचित रहने तथा रॉयल्टी की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, सरकार को अग्रिम प्रीमियम के कारण भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 3.4)।</p>	<p>सभी प्रकरणों में जहाँ क्षमताओं में अधिक वृद्धि प्रस्तावित है, के लिए विचार करना चाहिए एवं दिशा निर्देश बनाने चाहिए। विस्तार के लिए अनुमति एवं अनुबन्ध रद्द करने के लिए एक स्थायी एवं सुदृढ़ नीति बनायी जानी चाहिये।</p>	<p>देने का प्रावधान है।</p>	<p>लेखापरीक्षा द्वारा सूचित किये गये प्रकरणों में सरकार को जानकारी लेना बाकी है जहाँ पर संस्थापकों/प्रमोटर्स ने परियोजनाओं की क्षमता में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया था।</p>
<p>(iii) नदी के मोड़ पर अनुप्रवाह को बनाये रखने के महत्वपूर्ण मुद्दे पर राज्य की जल विद्युत परियोजना नीति मौन थी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 5.3.1)।</p>	<p>1. नदी के अनुप्रवाह के पृथक व संचित प्रभावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए ताकि पर्यावरण को परियोजनाओं के विनाशकारी परिणामों से बचाया जा सके। 2. दिशा परिवर्तन वाले स्थानों में न्यूनतम प्रभाव को नदी की भूतल जल क्षमता, सिंचाई, पारिस्थितिकी एवं सिल्ट वाले कारकों को ध्यान में रखते हुए संगणित तथा विहित करना चाहिए।</p>	<p>उ स ने दो नदी घाटियों (सरयू एवं रामगंगा) के प्रकरणों में न्यूनतम जल प्रवाह को बनाए रखने के सम्बन्ध में आदेश जारी (अप्रैल/मई 2013) किये। अन्य नदी घाटियों (अलकनन्दा एवं भागीरथी) के लिए प्रकरण अभी माननीय उच्चतम न्यायलय के समक्ष लम्बित है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (प व एवं ज प म) ने राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रकरणों की जाँच के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट अभी भी अपेक्षित है।</p>	<p>संस्तुति पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं की गयी है। पाँच परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि मोड़ों पर नदी का बहाव नीचे की ओर नहीं था।</p>
<p>(iv) वर्ष 1993 से 2006 की अवधि में आवंटित कुल 48 परियोजनाओं में से 15 वर्ष बाद केवल पाँच परियोजनाएँ (10 प्रतिशत) ही पूर्ण तथा कार्यरत थी। परिणामस्वरूप, परिकल्पित 2,005.05 मेगा वाट (मे वा) ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 4.1)।</p>	<p>जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी के कारणों की भली-भाँति जाँच होनी चाहिए जिससे कि नयी परियोजनाओं में देरी से बचाव के लिए अधिक जिम्मेदार अनुश्रवण तन्त्र की स्थापना की जा सके।</p>	<p>वर्तमान में निजी विकासकर्ताओं को आवंटित 53 परियोजनाओं (2,588.45 में वा) में से 18 परियोजनायें (881.65 में वा) संचालन में है और शेष 35 परियोजनायें (1,706.80 में वा) निर्माण के विभिन्न चरणों जैसे निर्माणाधीन एवं विकास के अधीन/प्रारम्भिक चरणों में हैं। उत्तराखण्ड सरकार ने परियोजना विकासकर्ताओं के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें की थीं और निर्दिष्ट समय के अन्दर परियोजनाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए थे।</p>	<p>राज्य में संचालित जल परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन आधिकांश परियोजनायें (35) अभी भी विकास/निर्माणाधीन चरणों में है। उ स राज्य में परियोजनाओं को त्वरित गति प्रदान करने में विफल रही। परिणामस्वरूप, अत्यधिक जलविद्युत क्षमता होने के बावजूद उत्तराखण्ड एक विद्युत कमी वाला राज्य है।</p>
<p>(v) क्रि अ की शर्तों के उल्लंघन के लिए किसी भी विकासकर्ता के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का कोई प्रमाण नहीं था। एक भी प्रकरण में परियोजना के संचालन में अनुचित विलंब के लिए लिक्विडेटेड डैमेज (लि डै) की वसूली नहीं की गयी थी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 4.2.1)।</p>	<p>कार्यपालिका को क्रि अ में निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करने वाले प्रकरणों में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया निश्चित करनी चाहिए।</p>	<p>लिक्विडेटेड डैमेज को जमा करने के लिए विभिन्न विकासकर्ताओं को नोटिस जारी किये गये थे। विकासकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रस्तुत किये गये हैं। तथापि, विकासकर्ताओं ने लि डै जमा नहीं किया है। प्रकरण पर शासन स्तर पर चर्चा की गई और समय विस्तार देने के लिए एक नीति बनाने का निर्णय (जनवरी 2013) लिया गया है। तथापि, नीति को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका।</p>	<p>प्रकरण सात वर्ष पूर्व इंगित किये जाने के पश्चात् भी विकासकर्ताओं ने कोई भी लि डै जमा नहीं किया है। यहाँ तक कि राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए विकासकर्ताओं को समय विस्तार देने की नीति को मंजूरी भी नहीं दी गई है।</p>
<p>(vi) आठ परियोजनाओं, जो निर्माणाधीन/ संचालन के अंतर्गत थी, में से केवल पाँच के द्वारा बोर्ड से परियोजनाओं की स्थापना की स्वीकृति (सी टी ई) प्राप्त की गयी थी। इसके अतिरिक्त, संचालन के</p>		<p>पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार 25 में वा तक की परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी हेतु कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है। तथापि, जल (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अनुसार परियोजनाओं को स्थापित</p>	<p>यद्यपि सी टी ई प्रदान करने के मुद्दे पर महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, शेष सात परियोजनाओं को अभी तक सहमति जारी होना बाकी है। राज्य में नदियों की परिस्थितिकी से जुड़ी संवेदनशीलता को देखते हुए इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के प्रकरण में</p>

लिए केवल एक परियोजना द्वारा स्वीकृति (सी टी ओ) प्राप्त की गयी जबकि चार परियोजनायें संचालित थी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 5.1)।		करने की सहमति आवश्यक है जबकि व्हाईट केटेगरी के प्रकरण में संचालित करने हेतु सहमति अनिवार्य नहीं है। वर्तमान में, 22 परियोजनाओं में से जो निर्माणाधीन/संचालन के अधीन थी, 15 परियोजनाओं के प्रकरणों में सी टी ई दिया गया है।	धीमी प्रगति केवल सरकार की ओर से अत्यावश्यकता की कमी को रेखांकित करती है।
(vii) वृक्षारोपण गतिविधि अत्यधिक कम थी, क्योंकि 38 प्रतिशत परियोजनाओं में मुश्किल से ही कोई वृक्षारोपण प्रतिवेदित हुआ। जिससे प्राकृतिक पारिस्थितिकी व पहाड़ी ढलानों की स्थिरता दोनों को ही गम्भीर खतरा पैदा होने की सम्भावना थी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 5.4.1)।		आठ परियोजनाओं (1993-2009 की समयावधि से सम्बन्धित) में से लोहारखेत को छोड़कर समस्त परियोजनाओं में वृक्षारोपण किया गया था। वर्तमान में (2009-2017), 28 परियोजनाओं में से 18 परियोजनाओं में वृक्षारोपण किया गया।	वनीकरण एवं वृक्षारोपण गतिविधियों में अभी भी कमी थी। 28 परियोजनाओं में से 10 ने अनिवार्य वृक्षारोपण गतिविधियों को आरम्भ नहीं किया। इस प्रकार, अस्थिर पहाड़ी ढलानों से उत्पन्न खतरे परियोजना क्षेत्रों में कायम हैं। परियोजना के क्रियाकलापों के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिकी को हुए नुकसान की अभी भी भरपाई होनी बाकी है।
(viii) अनेक प्रकरणों में 85 दिन से लेकर 295 दिनों तक की देरी के साथ वन भूमि की मंजूरी प्राप्त हुई थी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 6.1.2)।	राज्य सरकार तत्काल ऐसी परियोजनाओं के लिए भू-अधियहण, वन भूमि स्वीकृति तथा पुनः भू-व्यवस्था एवं पुनर्वास की समस्याओं के समाधान हेतु नोडल प्राधिकरण गठित करे।	मानक परिचालन कार्यविधि तैयार की गई है तथा वन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। आगे, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा, विभागों और परियोजना समर्थकों को इस प्रक्रिया में कमियों को दूर करने के लिए सूचित किया गया। विभाग द्वारा किये गये उपचारात्मक कार्यवाही के बावजूद राज्य स्तर पर छः प्रकरणों में 125 से 171 दिनों और प एवं व मं, भा स स्तर पर 27 प्रकरणों में छः से 3,248 दिनों का विलंब हुआ।	राज्य सरकार के साथ-साथ प एवं व मं, भा स के स्तरों पर अभी भी वन भूमि की मंजूरी प्राप्त करने में विलंब पाया गया।

### स. पूर्ण कार्यान्वयन

पूर्व प्रतिवेदन में उठाये गये लेखापरीक्षा निष्कर्ष	की गयी संस्तुति	विभाग द्वारा सूचित वर्तमान स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष/टिप्पणी
(i) प्राधिकारियों द्वारा नदी तल के भू-सर्वेक्षण, इसकी स्थलाकृति और जल विज्ञान पर आधारित नदी/धारा की जल विद्युत क्षमता के सही मूल्यांकन के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययनों को सावधानीपूर्वक पूरा नहीं किया था क्योंकि 85 प्रतिशत परियोजनाओं की क्षमताओं में 22 प्रतिशत से लेकर 329 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण परिवर्तन पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन की विश्वसनीयता पर गम्भीर संदेह दर्शाता है। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 3.1)।	पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन सावधानी-पूर्वक किये जाने चाहिए जिससे कि परियोजनाओं की विद्युत क्षमता की गणना के विश्वसनीय आँकड़े प्राप्त किये जा सकें।	क्षमता वृद्धि हेतु 2012 में नई अधिसूचना जारी की गयी थी। उ स ने 2015 की नीति में आवश्यक प्रावधान किये हैं जिसके अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करें एवं अनुमोदन के पश्चात् परियोजनाओं की बोली लगाई जा रही है।	विभाग ने नई परियोजनाओं हेतु लेखापरीक्षा संस्तुति क्रियान्वित की है।
(ii) वर्ष 2003-06 के मध्य आवंटित परियोजनायें विद्युत परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अनुभवी आवेदकों को आवंटित की गई। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 3.2.2)।		बोलीदाताओं के तकनीकी अर्हता हेतु तकनीकी अंक मानदण्ड संशोधित किये गये हैं (नवम्बर 2014) जबकि पिछले अनुभवों का विस्तार किया गया था। संशोधन के पश्चात्, ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखा गया था।	विभाग ने नई परियोजनाओं हेतु आवश्यक सुरक्षा उपाय किये हैं।

<p>(iii) क्षमता वृद्धि के आधारों को प्रमाणित करने के लिए कोई भी विशेष संस्थागत तन्त्र नहीं था क्योंकि परियोजना के विकासकर्ताओं के क्षमता वृद्धि प्रस्तावों में विद्युत क्षमता के मापदण्डों में भिन्नता पायी गयी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 3.3)।</p>	<p>निर्माण करने से पूर्व नदियों के बहाव एवं बायोटा के उचित समयावधि के समुचित आँकड़े एकत्रित करने चाहिए और इन आधारभूत आँकड़ों को योजना एवं न्यूनीकरण प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाना चाहिए।</p>	<p>उ स द्वारा परियोजना की क्षमता वृद्धि हेतु नई अधिसूचना (सितम्बर 2012) जारी की गयी ताकि राजस्व हानि से बचाव और परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता परीक्षण हेतु विद्युत विभाग के अधीन ऊर्जा प्रकोष्ठ को सुदृढ़ किया जा सके।</p>	<p>विभाग ने लेखापरीक्षा संस्तुति क्रियान्वित की है।</p>
<p>(iv) नोडल एजेन्सी परियोजना विकासकर्ताओं पर नियमित एवं समयबद्ध त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करवाने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप शासन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाली देरी को रोकने के लिए उनकी प्रगति का आंकलन नहीं कर सका। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 4.2.2)।</p>	<p>सिविल निर्माण एवं संचालन के दौरान निजी विकासकर्ताओं के स्तर पर होने वाली कमियों से बचने के लिए उचित अनुश्रवण तन्त्र की स्थापना की आवश्यकता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।</p>	<p>परियोजनाओं की तकनीकी व्यवहार्यता एवं अनुश्रवण की जाँच के लिए उ स द्वारा ऊर्जा प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करने हेतु आदेश (2008 एवं 2015) जारी किये हैं। यूजेवीएन लिमिटेड एवं ऊर्जा प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं का नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।</p>	<p>विभाग ने लेखापरीक्षा संस्तुति क्रियान्वित की है।</p>
<p>(v) पर्यावरण एवं सुरक्षा के प्रति विवेकपूर्ण उपयोगिता रीतियों का पालन सुनिश्चित न कर पाना भी नोडल एजेन्सी के कमजोर अनुश्रवण का एक कारण था। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 4.4)।</p>		<p>उ स ने विभिन्न नदियों के लिए संचयी पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन किया और सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन बनाए रखने के लिए क्रि अ में प्रावधान किया।</p>	<p>विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों पर कार्यवाई की है। संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह सत्यापित किया गया कि राजवक्ती परियोजना का चैनल अब ढक दिया गया था।</p>
<p>(vi) क्रियान्वयन चरण में ₹ 2.64 करोड़ की 10.57 मिलियन विद्युत युनिटों की उत्पादन हानियाँ पायी गयी जिसका मुख्य कारण ग्रिड विफलता तथा कम वोल्टेज व स्थानीय लोगों द्वारा पैदा किये गये व्यवधानों के कारण पारेषण में रुकावट थी जो ग्रिड अवस्थापन के अपर्याप्त रखरखाव का सूचक था। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 4.5)।</p>		<p>विभाग निरन्तर विभिन्न संचालित परियोजना विकासकर्ताओं के साथ समन्वय और मासिक उत्पादन रिपोर्ट तैयार कर रहा है। पारेषण के प्रकरणों को विकासकर्ताओं के साथ साझा किया गया और सम्बन्धित अधिकारियों से इस सम्बन्ध में सुधार करने के लिए चर्चा की गयी। उत्तराखण्ड विद्युत नियमीकरण आयोग (उ वि नि आ) विनियम 2013 के अनुसार, उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (उ पा का लि) यदि उचित पाता है तो उत्पादन के दावे को मान सकता है। यद्यपि, यदि उ पा का लि इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति करता है तो विकासकर्ता उ वि नि आ के समक्ष अपनी याचिकाओं को प्रस्तुत कर सकता है।</p>	<p>विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों पर कार्यवाई की है।</p>
<p>(vii) पर्यावरण सम्बन्धी चिन्ताओं के प्रति प्रत्यक्ष लापरवाही थी, क्योंकि खुदाई व निर्माण कार्यों से उत्पन्न मलबे को खुले आम नदियों में फेंका जा रहा था जिससे जल की मलिनता बढ़ रही थी। परियोजनायें इस तथ्य से अनभिज्ञ थी कि इस तरह की घोर लापरवाही से जल की गुणवत्ता निम्न होती है तथा</p>	<p>पर्यावरण की अनदेखी व उल्लंघन करने वाली परियोजनाओं के विरुद्ध उपयुक्त एवं सामयिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए उ प सं एवं प्र नि बो को अपने अनुश्रवण तन्त्र को तत्काल सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।</p>	<p>प एवं व मं तथा ज प ने पर्यावरण प्रभाव निर्धारण अधिसूचना 2006 के अंतर्गत पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता वाली परियोजनाओं/ गतिविधियों के लिए पर्यावरण प्रभाव निर्धारण/पर्यावरण प्रबंधन योजना (प प्र नि/प प्र यो) रिपोर्ट के संदर्भ में मानक मापदंड जारी किये हैं। उ प सं एवं प्र नि बो ने भी सहमति निर्गत</p>	<p>विभाग ने लेखापरीक्षा संस्तुति पर कार्यवाई की है। पंच परियोजनाओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह सत्यापित किया गया कि इन परियोजनाओं के प्रकरण में मलबे का ढेर नदी के तटों पर नहीं डाला गया था।</p>

जलीय बायोटा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 5.3.3)।		करते समय मलबा निस्तारण हेतु निर्देश जारी किये थे।	
(viii) भिलंगना-III व श्रीनगर की परियोजनाओं के परिसरों में ही पत्थर तोड़ने वाली मशीनों की स्थापना की गयी थी। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 5.3.4)।		उ स ने समस्त जल विद्युत परियोजनाओं के लिए उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर लाईसेंस नीति 2016 जारी की है जिसमें स्टोन क्रेशर्स की स्थापना के लिए नदी से न्यूनतम दूरी निर्दिष्ट की गयी है।	विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति पर कार्यवाई की है। पाँच परियोजनाओं के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह सत्यापित किया गया कि इन प्रकरणों में परियोजना परिसरों में स्टोन क्रेशर्स मशीनें स्थापित नहीं की गयी थी।
(ix) सम्यक निर्माण मापदण्डों को लागू करने तथा सम्यक तकनीकी उपायों के बिना परियोजना को संरचित करने में लापरवाही से परियोजनाएँ तीव्र भूकम्पीय भेद्यता का सामना कर सकती है। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 5.5)।		भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण /ऊर्जा प्रकोष्ठ जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (वि प रि) का परीक्षण करता है और भूकम्पता के अनुसार परियोजना घटक के सुरक्षित डिजाइन हेतु आवश्यक निर्देश/अनुमोदन देता है। यूजेबीएनएल/ऊर्जा प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा पत्राचार (त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट इत्यादि की माँग) के माध्यम से नियमित अनुवर्ती/अनुश्रवण की जा रही है। सिवाय श्रीनगर, पौड़ी के एक प्रकरण में जहाँ अधिकारियों द्वारा दौरा किया गया था।	जैसा लेखापरीक्षा को सूचित किया गया कि ऊर्जा प्रकोष्ठ एवं यूजेबीएनएल पत्राचार एवं दौरों के माध्यम से अनुश्रवण करते हैं, रख-रखाव से सम्बन्धित कोई अभिलेख नहीं पाए गये। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा में इसे सत्यापित नहीं किया जा सका।
(x) इन परियोजनाओं के एक ही भूकम्पीय क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद भी परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा अपनाए गये सुरक्षा उपायों में भारी भिन्नताएँ थीं। पर्याप्त जाँच के अभाव में उल्लिखित उपायों के कार्यान्वयन की गारण्टी नहीं दी जा सकती। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 5.6)।		राज्य सरकार की प्रतिक्रिया उपरोक्त के समान है।	विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति पर कार्यवाही प्रारम्भ की है।
(xi) सुनिर्धारित नीति के अभाव में भू-अधिग्रहण एक मुख्य बाधा साबित हुई जिससे परियोजना विकास समयावधि में पूर्ण नहीं हो सका। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 6.1.1)।	राज्य सरकार तत्काल ऐसी परियोजनाओं के लिए भू-अधिग्रहण, वन भूमि अनुमोदन तथा पुनः भू-व्यवस्था व पुनर्वास की समस्याओं के समाधान हेतु नोडल प्राधिकरण गठित करे।	राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण में विलंब को कम करने के लिए जल विद्युत परियोजनाओं हेतु पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2013 जारी की।	विभाग ने लेखापरीक्षा संस्तुति पर कार्यवाई की है।
(xii) एक विशिष्ट प्रकरण में सही समय पर विद्युत निकासी हेतु ग्रिड अवस्थापना स्थापित नहीं की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप, ऊर्जा हानियाँ हुईं एवं सरकार को रॉयल्टी भुगतान स्थगित रहा। (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तर 6.2)।	यह एक अनिवार्य आवश्यकता है कि निकासी सुविधा के अभाव में ऊर्जा हानियों से बचने हेतु जल विद्युत परियोजनाओं के प्रत्याशित संश्लेषण से काफी पूर्व विश्वसनीय ग्रिड अवस्थापना उपलब्ध करायी जाए।	परियोजनाओं को चालू करने से पूर्व विकासकर्ताओं को पारोषण सुविधाएँ प्रदान करने हेतु बैठकें बुलाई गई थी। उ पा का लि एवं उत्तराखण्ड पाँवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (उत्तराखण्ड पिटकुल) ने अपनी पारोषण व्यवस्था की योजना तैयार की है ताकि जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत निकासी और पारोषण सुनिश्चित किया जा सके।	विभाग ने लेखापरीक्षा संस्तुति पर कार्यवाई की है।

#### 1.5.4 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा द्वारा की गई कुल संस्तुतियों और टिप्पणियों में, सरकार द्वारा स्वीकृत लेखापरीक्षा टिप्पणियों और संस्तुतियों के कार्यान्वयन की सीमा 52 प्रतिशत थी; 35 प्रतिशत संस्तुतियों को आंशिक रूप से लागू किया गया था एवं 13 प्रतिशत जून 2017 तक क्रियान्वित नहीं हुई थीं। यद्यपि राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा में उठाये गये कुछ विषयों के संदर्भ में प्रगति की है, फिर भी नीतिगत प्रकरणों जैसे पानी के अधिकारों, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, नदी के अनुप्रवाह को सुनिश्चित करने, परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने, लिक्विडेटेड डैमेज की वसूलियाँ, स्थापना/संचालन की स्वीकृति निर्गत करने, अचानक आने वाली बाढ़ के खतरे की क्षतियों को कम करने, वनीकरण एवं वन भूमि अनुमोदन में विलंब पर महत्वपूर्ण कार्य किया जाना बाकी था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया था (जून 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

#### चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

#### 1.6 किराए पर लिए गये वाहनों पर संदिग्ध गबन

**दावों की प्रामाणिकता ज्ञात किये बिना भुगतान किये जाने के परिणामस्वरूप किराए पर लिए गये वाहनों पर ₹1.25 करोड़ का संदिग्ध गबन।**

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-V के अनुच्छेद 46-अ के अनुसार, एक सामान्य नियम के अंतर्गत, प्रत्येक भुगतान, किसी भी प्रयोजन के लिए हो, दावे के पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण वाउचर द्वारा समर्थित होना चाहिए।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (मु चि अ), ऊधम सिंह नगर, के अभिलेखों की जाँच में पाया गया (अगस्त 2013) कि किराए पर ली गयी टैक्सियों के 18 बिलों का ₹6.96 लाख का भुगतान संदिग्ध बिलों के विरुद्ध किया गया था। इस प्रकरण की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को प्रतिवेदित (दिसम्बर 2013) की गई थी। आगे, मु चि अ, देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया (मई 2015) कि किराये पर ली गई टैक्सियों के 41 बिलों का ₹18.60 लाख का भुगतान भी संदिग्ध बिलों के विरुद्ध किया गया था। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए लेखापरीक्षा आच्छादन का विस्तार कर दो और मु चि अ<sup>75</sup> के साथ ही देहरादून एवं उधमसिंह नगर के मु चि अ से अतिरिक्त सूचना प्राप्त करते हुए अभिलेखों की जाँच की (अगस्त 2016 से नवम्बर 2016) गई। अभिलेखों की जाँच में पाया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बिलों की धनराशि ₹1.25 करोड़<sup>76</sup> (₹6.96 लाख और ₹18.60 लाख सम्मिलित करते हुए, जैसाकि ऊपर दर्शित हैं) का भुगतान, दावों की प्रामाणिकता की जाँच के बिना पारित कर, ट्रैवल एजेंसी को किया गया था। आगे, लेखापरीक्षा में निम्न कमियाँ पाई गई;

<sup>75</sup> टिहरी और हरिद्वार।

<sup>76</sup> देहरादून ₹22.64 लाख, हरिद्वार ₹1.78 लाख, टिहरी ₹17.41 लाख एवं उधम सिंह नगर ₹82.76 लाख।

- ₹ 58.44 लाख की धनराशि का भुगतान ऐसे 183 बिलों के सापेक्ष किया गया था जिन पर वाहन पंजीकरण संख्या अंकित नहीं थी;
- ₹ 48.52 लाख का भुगतान ऐसे 142 बिलों के सापेक्ष किया गया था जिन पर वाहन पंजीकरण संख्या एवं यात्रा की तिथि अंकित नहीं थी;
- ₹ 3.11 लाख का भुगतान ऐसे बिलों के सापेक्ष किया गया, जहां एक ही वाहन दो या तीन स्थानों पर अलग अलग जनपदों में एक ही दिन एवं समय पर चल रहे थे; एवं
- 37 वाहनों के बिलों के प्रकरण में, जिनमें वाहनों की पंजीकरण संख्या अंकित थी, क्षेत्रीय सम्भागीय कार्यालय (क्षे स का), देहरादून से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करके वाहनों की पंजीकरण संख्या का मिलान किया गया था। जिसमें पाया गया कि ₹ 3.68 लाख का भुगतान ऐसे बिलों के विरुद्ध किया गया था जिसमें 12 वाहनों का पंजीकरण स्कूटर/थ्रीव्हीलर/प्राइवेट कार के रूप में था और ₹ 11.12 लाख का भुगतान ऐसे बिलों के विरुद्ध किया गया था जिसमें 21 वाहनों का पंजीकरण क्षेत्रीय सम्भागीय कार्यालय में दर्ज ही नहीं था।

उपरोक्त अनियमितताएँ इस तथ्य को दर्शाती हैं कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रचलित वित्तीय नियमों को अनदेखा कर तथा आवश्यक विवरण और दावों की प्रामाणिकता की जाँच किये बिना ही ट्रैवल एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दावों के विरुद्ध भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.25 करोड़ का संदिग्ध गबन हुआ।

प्रकरण शासन को संदर्भित (मार्च 2017) किया गया था जिसके द्वारा अवगत (अप्रैल 2017) कराया गया कि एक विभागीय स्तर जाँच की (अप्रैल 2014) गई एवं एक अन्य राज्य स्तरीय जाँच संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा, की अध्यक्षता (मई 2016) में भी की गई थी तथा जाँच के आधार पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारियों को आरोप पत्र निर्गत किये गये थे। तथापि, राजकोष को हुई ₹ 1.25 करोड़ की वित्तीय हानि की वसूली अभी तक (अगस्त 2017) नहीं की गयी थी।

### लोक निर्माण विभाग

#### 1.7 ₹ 1.69 करोड़ का अनुचित व्ययाधिक्य

**वित्तीय मापदण्डों की अवहेलना कर निर्माण कार्य को उच्च दरों पर प्रदान करने के फलस्वरूप ₹ 1.69 करोड़ का व्ययाधिक्य किया गया।**

जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा जून 2013 की प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड, राष्ट्रीय राजमार्ग-107 (कि मी 1 से 25) के पाँच भागों में बी एम<sup>77</sup> एवं बी सी<sup>78</sup> द्वारा सुधारीकरण कराने हेतु ₹ 15.09 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान (अप्रैल 2014) की गई। कार्य हेतु तीन भागों में (कि मी 1 से 18 के लिए) ₹ 10.24 करोड़ (₹ 2.51 करोड़, ₹ 2.74 करोड़ एवं ₹ 4.99 करोड़) एवं दो भागों में (कि मी 19 से 25 के लिए) ₹ 4.85 करोड़ (₹ 2.38 करोड़ एवं ₹ 2.47 करोड़) की

<sup>77</sup> बिटुमिन्स मैकेडम।

<sup>78</sup> बिटुमिन्स कंक्रीट।



तकनीकी स्वीकृति क्रमशः मुख्य अभियन्ता (मु अ), गढ़वाल क्षेत्र एवं अधीक्षण अभियन्ता (अधी अ), रुद्रप्रयाग द्वारा प्रदान (अप्रैल 2014) की गई।

अधिशासी अभियन्ता (अ अ), प्रान्तीय खण्ड (प्रां ख), लोक निर्माण विभाग (लो नि वि), रुद्रप्रयाग के अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर 2015) में पाया गया कि चार धाम यात्रा<sup>79</sup> के प्रारंभ<sup>80</sup> होने से पहले उक्त कार्यों के निष्पादन के संबंध में तत्काल आवश्यकता के कारण, अधी अ ने फर्मों, जो कार्य तुरंत शुरू करने के लिए तैयार थी, द्वारा उद्धृत दरों पर कार्य करवाने का प्रस्ताव दिया (अप्रैल 2014)। यह प्रस्ताव मु अ द्वारा स्वीकार किया (22.04.2014) गया। तदनुसार उसी दिन अधी अ द्वारा दो अनुबंध<sup>81</sup> गठित (22.04.2014) किये गये। चयनित फर्मों द्वारा उद्धृत दरों पर अनुबंध गठित करने के एक सप्ताह से कम समय में, विभाग ने वर्ष 2014-15 के लिए पुनरीक्षित दरों की अनुसूची (द अ) को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रचलित बाजार दरों के आधार पर अंतिम रूप दिया गया (26.04.2014)। तथापि, यह पाया गया कि प्राइम कोट, टैक कोट, बी एम तथा बी सी की दरें, जिनको द अ के पुनरीक्षण के पूर्व सुधारात्मक कार्यों के विभिन्न भागों हेतु अंतिम रूप दिया गया था, पुनरीक्षित द अ से 15 से 31 प्रतिशत तक अधिक थीं। इस प्रकार, विभाग सुधारात्मक कार्यों हेतु अनुबंधों को अंतिम रूप देते समय प्रचलित बाजार दरों को सुनिश्चित करने में यथेष्ट सावधानी रखने में असफल रहा।

इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.69 करोड़<sup>82</sup> का अनुचित व्यय हुआ, क्योंकि कार्यों को प्रचलित बाजार दरों, जिनके आधार पर कार्य स्वीकृत करने के एक सप्ताह से भी कम समय के भीतर द अ को बाद में पुनरीक्षित किया गया, से उच्च दरों पर स्वीकृत एवं निष्पादित किया गया।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर, खण्ड ने अवगत कराया गया (दिसम्बर 2015) कि शासन द्वारा अधी अ को चयन के आधार पर बाजार दरों पर कोटेशन के माध्यम से अनुबंध गठित करने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अभिलेखों में इस प्रकार का कोई भी प्रमाण नहीं था जो कि यह दर्शाता कि ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों की बाजार में प्रचलित दरों से तुलना करने में यथोचित प्रयास किये गये थे क्योंकि चयनित ठेकेदारों द्वारा 11 अप्रैल 2014 को अपनी दरें उद्धृत की गयी थी एवं अधी अ द्वारा शासन से उसी दिन अनुबंध गठित करने के लिए मंजूरी मांगी गयी थी। इसके अतिरिक्त, कार्यों को अति आवश्यक व्यक्त किया गया था एवं 20 दिनों के अन्दर पूर्ण

<sup>79</sup> उत्तराखण्ड में चार पवित्र स्थानों की धार्मिक यात्रा (बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमनोत्री)।

<sup>80</sup> अप्रैल-मई।

<sup>81</sup> अनुबंध संख्या-02/एस ई/2014-15 कि मी 1 से 10 के लिए एवं अनुबंध संख्या-03/एस ई/2014-15 कि मी 11 से 25 के लिए।

<sup>82</sup>

क्रम संख्या	कार्य मद	अनुबंधित दर (₹ में)	अ द (मई 2014)	दर में अंतर	निष्पादित मात्रा	धनराशि (₹ में)
1.	प्राइम कोट	60.00	45.80	14.20 (31%)	32,587.28	4,62,739.38
2.	टैक कोट	16.00	13.20	2.80 (21%)	54,763.60	1,53,338.08
3.	बी एम	12,000.00	9,869.00	2,131.00(22%)	626.83	13,35,774.73
		12,100.00	9,869.00	2,231.00(23%)	1,866.065	41,63,191.02
4.	टैक कोट	13.00	10.90	2.10 (19%)	1,50,042.35	3,15,088.94
5.	बी सी	16,400.00	14,293.33	2,106.67 (15%)	1,998.36	42,09,885.06
		16,500.00	14,293.33	2,206.67 (15%)	2,841.333	62,69,884.29
<b>योग</b>						<b>1,69,09,901.50</b>

किया जाना था, उन्हें चार धाम यात्रा की अवधि में क्रियान्वयन करने में दो से तीन माह लग गये। आगे, प्रमुख अभियन्ता द्वारा सूचित किया गया (16.06.2017) कि 2014-15 द अ के पुनरीक्षण हेतु समस्त मुख्य अभियन्ताओं को निर्देशित (17.02.2014) किया गया कि वे अपने क्षेत्र के बाजार का सर्वेक्षण कर आधार दरों को 30.03.2014 तक प्रस्तुत करें। जो यह दर्शाता है कि अधी अ मार्च 2014 तक प्रचलित बाजार दर के बारे में अच्छी तरह से परिचित थे। इसके बावजूद अधी अ द्वारा अप्रैल 2014 में उच्च दर पर कार्य निष्पादित कराना प्रस्तावित किया गया।

इस प्रकार, विभाग विवेकपूर्ण वित्तीय मापदण्डों का अनुपालन करने में विफल रहा एवं अनुचित जल्दबाजी में उच्च दरों को स्वीकार कर कार्यों पर ₹ 1.69 करोड़ के अनुचित व्यय किया गया।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अप्रैल 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

### 1.8 अनाधिकृत व्ययाधिक्य

**खण्ड द्वारा वित्तीय नियमों के साथ-साथ मुख्य अभियन्ता के अनुमोदन पत्र में वर्णित शर्तों का उल्लंघन करते हुए ₹0.59 करोड़ का अनाधिकृत रूप से व्ययाधिक्य किया गया।**

वित्तीय हस्तपुस्तिका (वि.ह.पु.) खण्ड -VI का प्रस्तर 317 निर्धारित करता है कि निर्माण कार्य के प्रकरण में, जिस राशि हेतु व्यय की स्वीकृत दी गई है उससे आधिक्य की राशि की शासन से पुनरीक्षित व्यय की स्वीकृति आवश्यक है। आगे, उक्त नियम के उद्देश्य हेतु, मुख्य अभियन्ता को मूल व्यय की राशि से 10 प्रतिशत तक आधिक्य (वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन 2010 के अनुसार 15 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है) इस शर्त के साथ स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत किया गया कि वृद्धि पूर्णतः सामग्री एवं मजदूरी की लागत से सम्बन्धित हो।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल के कोट ब्लाक में पौड़ी-देवप्रयाग वैकल्पिक मार्ग (12 किमी) के निर्माण हेतु ₹4.60 करोड़<sup>83</sup> की प्रशासनिक अनुमोदन व वित्तीय स्वीकृति प्रदान (मार्च 2013) की गयी। इसी कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता (मु अ), गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग (लो नि वि), पौड़ी द्वारा उतनी ही राशि की प्राविधिक स्वीकृति (प्रा स्वी) प्रदान (सितम्बर 2013) की गयी।

अधिशाली अभियन्ता (अ अ), प्रान्तीय खण्ड, लो नि वि, पौड़ी के अभिलेखों की जाँच (नवम्बर 2016) में पाया गया कि उक्त कार्य को निष्पादित कराने हेतु खण्ड द्वारा ठेकेदारों के साथ 12 अनुबंध (सितम्बर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2013) गठित किये गये थे। कार्य सितम्बर 2013 में प्रारम्भ किया गया एवं जुलाई 2014 में समाप्त किया गया। आगे, यह पाया गया कि 13 अतिरिक्त मदों पर ₹0.84 करोड़<sup>84</sup> का व्यय किया गया, जिसमें से नौ मदों<sup>85</sup>, जो कि अनुमोदित विस्तृत आगणन का

<sup>83</sup> ₹4.53 करोड़ कार्य के लिए प्रावधानित एवं ₹0.07 करोड़ आकस्मिकता के लिए।

<sup>84</sup> अतिरिक्त मदों पर किया गया वास्तविक व्यय ₹0.84 करोड़ (₹0.59 करोड़ स्वीकृत लागत से आधिक्य धनराशि से समायोजित किया गया एवं अवशेष ₹0.25 करोड़ की धनराशि अनुबंध के अनुसार निष्पादित अन्य मदों की बचतों से समायोजित की गयी।

<sup>85</sup> अर्थ वर्क इन हिल साइड कटिंग, एक मीटर स्पान स्करपर का निर्माण, कैचपिट का निर्माण, सीमेन्ट प्लम मैसोनरी 40 प्रतिशत प्लम एवं 60 प्रतिशत 1:3:7 सीमेन्ट कंक्रीट, एक्सावेशन इन फाऊन्डेशन फार रिटेनिंग वाल, रैण्डम रूबल स्टोन मैसोनरी लेड ड्राई, रैण्डम रूबल स्टोन मैसोनरी लेड इन 1:6, हैण्ड पैकड स्टोन फिलिंग, कच्चा ड्रेन का निर्माण।

भाग थी परन्तु शिड्यूल 'बी'<sup>86</sup> में सम्मिलित नहीं की गयी थी, पर ₹0.72 करोड़ का व्यय किया गया एवं शेष ₹0.12 करोड़ चार अन्य मदों<sup>87</sup>, जो न तो विस्तृत आगणन का भाग थी और न ही शिड्यूल 'बी' का भाग थी, पर व्यय किया गया। निर्माण कार्य पर ₹5.12 करोड़ व्यय किये गये जो कि निर्माण कार्य हेतु वास्तविक स्वीकृत लागत ₹4.53 करोड़<sup>88</sup> से अधिक थी। इस प्रक्रिया में, खण्ड द्वारा ₹0.59 करोड़ का व्ययाधिक्य अतिरिक्त मदों, जो कि ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध के शिड्यूल 'बी' का भाग नहीं थी, पर किया गया। खण्ड द्वारा व्ययाधिक्य (स्वीकृत लागत का 13.02 प्रतिशत) के अनुमोदन हेतु मु अ से माँग (नवम्बर 2014) की गई। मु अ द्वारा व्ययाधिक्य इस शर्त के साथ अनुमोदित किया (दिसम्बर 2014) गया कि व्ययाधिक्य केवल सामग्री एवं मजदूरी में होने वाली वृद्धि से सम्बन्धित हो। तथापि, किया गया भुगतान मुख्य अभियन्ता के अनुमोदन में दी गयी शर्तों एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-VI के प्रस्तर 317 में निर्धारित मौजूदा प्रावधानों का उल्लंघन था क्योंकि सामग्री एवं मजदूरी की दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर, खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि व्ययाधिक्य मु अ द्वारा अनुमोदित किया गया था। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मुख्य अभियन्ता केवल 15 प्रतिशत तक उसी व्ययाधिक्य को अनुमोदित कर सकता है जहाँ लागत में वृद्धि पूर्णतया मदों की इकाई दरों में होने वाली वृद्धि से सम्बन्धित हो। आगे, मुख्य अभियन्ता द्वारा भी इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया था कि व्ययाधिक्य पूर्णतया सामग्री एवं मजदूरी की दरों में होने वाली वृद्धि से सम्बन्धित होगा। तथापि, अनुमोदित आगणन में सम्मिलित किसी भी मद की इकाई दर में वृद्धि नहीं हुई थी। कार्य की लागत में वृद्धि पूर्णतया अतिरिक्त मदों के निष्पादन के कारण हुई थी।

खण्ड द्वारा, इस प्रकार, मौजूदा वित्तीय नियमों एवं मु अ द्वारा व्ययाधिक्य हेतु प्रदत्त अनुमोदन में दी गई शर्तों का उल्लंघन करते हुए ₹0.59 करोड़ का अनाधिकृत व्ययाधिक्य किया गया।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (अप्रैल 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

### 1.9 ₹0.70 करोड़ का निष्फल व्यय

**नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन हेतु नोटिस जारी करने के बावजूद खण्ड द्वारा मार्ग के सुदृढीकरण हेतु ₹2.83 करोड़ का कार्य आवंटित किया गया। जिसके फलस्वरूप, बाद में ₹0.70 करोड़ व्यय करने के उपरान्त कार्य को रोकना पड़ा। परिणामस्वरूप, यह व्यय निष्फल हुआ।**

शासन द्वारा पौड़ी गढ़वाल जिले में प्रेमनगर-गडोली-बुआखाल बाईपास मोटर मार्ग के चौड़ीकरण सहित बिटुमिन्स मैकेडम एवं सेमी डेन्स बिटुमिन्स कंक्रीट द्वारा सुदृढीकरण हेतु ₹3.72 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान (दिसम्बर 2011) की गई थी। उक्त कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता (मु अ)

<sup>86</sup> शिड्यूल 'बी' अनुबंध का एक भाग होता है जिसमें ठेकेदार द्वारा निष्पादित किये जाने वाली कार्य मदों की मात्रा और उनकी दर अंकित होती है।

<sup>87</sup> जी आई वायर क्रेट का बिछान, टैंक कोट @ 40 प्रतिशत किग्रा./वर्ग किमी., पीसीसी 1:2:4, प्रोवाइडिंग कंक्रीट फार प्लेन/रेनफोर्स कंक्रीट इन ओपेन फाउण्डेशन।

<sup>88</sup> अनुमोदित आगणन में आकस्मिकता हेतु स्वीकृत राशि सम्मिलित नहीं है।

गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग (लो नि वि), पौड़ी द्वारा ₹3.13 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (त स्वी) प्रदान (मई 2012) की गई थी।

अधिकांश अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो नि वि, पौड़ी के अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर 2016) में पाया गया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन जी टी) द्वारा, उक्त मार्ग पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन कर निर्माण कराये जाने के आरोप लगाने वाले प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए, 10 मई 2012 में प्रतिवादियों<sup>89</sup> को नोटिस जारी किया गया। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अनुसार कोई भी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण किसी भी वन भूमि या उसके किसी हिस्से को किसी भी गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोग करने के आदेश नहीं दे सकता है। इस प्रकरण में कार्य, जिसमें सड़क के विभिन्न हिस्सों पर 750 मीटर वन भूमि शामिल थी, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुमोदित किया गया था। एन जी टी द्वारा उक्त प्रकरण 12 जुलाई 2012 को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया था। एक जून 2012 को एन जी टी से नोटिस प्राप्त करने के बावजूद खण्ड द्वारा 07 जून 2012 को ₹2.83 करोड़ की अनुबंधित लागत से एक अनुबंध गठित किया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथियाँ क्रमशः जून 2012 एवं जून 2013 निर्धारित की गई थी। कार्य 07 जून 2012 में प्रारम्भ किया गया था। एक माह पश्चात, एन जी टी द्वारा निर्देशित (04 जुलाई 2012) किया गया कि प्रतिवादी मार्ग पर आगे कोई कार्य नहीं करेगा। तथापि, उसके द्वारा मौजूदा सड़क के रखरखाव की अनुमति दी गयी। तत्पश्चात, एन जी टी द्वारा 13 सितम्बर 2012 के अपने आदेश में निर्देशित किया गया था कि अगली सुनवाई तक विद्यमान मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य रोक दिया जाय। एन जी टी के आदेश के अनुपालन में विभाग द्वारा ठेकेदार को मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य को रोकने, परन्तु सोलिंग का कार्य जारी रखने के लिए निर्देशित (21 सितम्बर 2012) किया गया। तथापि, केवल तीन दिन पश्चात खण्ड द्वारा कार्य स्थल पर लायी गई सामग्री (सोलिंग, इन्टर, ग्रेट एवं मैक्सफाल्ट) हेतु ₹0.41 करोड़ का ब्याजरहित सुरक्षित अग्रिम का भुगतान किया (24 सितम्बर 2012) गया एवं ठेकेदार द्वारा विद्यमान मार्ग पर 07.11.2012 तक कार्य का निष्पादन जारी रखा गया। पाँच वर्ष व्यतीत होने के पश्चात, ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य की माप ली (जनवरी 2017) गई एवं सुरक्षित अग्रिम का समायोजन करते हुए ₹0.70 करोड़ का भुगतान (मार्च 2017) किया गया।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर, खण्ड द्वारा अवगत कराया (दिसम्बर 2016) गया कि उन्होंने पहले ही ठेकेदार को टेण्डर की स्वीकृति प्रेषित कर दी थी जिसके कारण, उन्हें अनुबंध गठित करना पड़ा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ठेकेदार के साथ अनुबंध गठित करने से पूर्व विभाग को एन जी टी से नोटिस प्राप्त हो चुका था। खण्ड द्वारा कार्य तब तक आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए था जब तक कि एन जी टी द्वारा प्रकरण का निराकरण नहीं कर दिया जाता। इसके अतिरिक्त, ई-निविदा नोटिस में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया था कि विभाग के पास बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। जब एन जी टी कार्य को चुनौती देने वाली याचिका की योग्यता पर विचार-विमर्श कर रहा था तो कथित कार्य को आरम्भ कराना और सुरक्षित

<sup>89</sup> प्रतिवादी-1 (संघ सरकार), प्रतिवादी-2 (राज्य सरकार), प्रतिवादी-3 (जिलाधिकारी), प्रतिवादी-4 (निर्माण खण्ड, लो नि वि पौड़ी), प्रतिवादी-5 (प्रभागीय वन अधिकारी, पौड़ी), प्रतिवादी-6 (नगरपालिका पौड़ी), प्रतिवादी-7 (सब रजिस्ट्रार, पौड़ी)।

अग्रिम एवं सम्बन्धित भुगतान करना विवेकपूर्ण नहीं था तथा इसके कारण ₹ 0.70 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

प्रकारण शासन की संदर्भित किया गया (मई 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

### 1.10 अनुचित व्ययाधिक्य

**वाटर बाउण्ड मैकेडम के स्थान पर महंगी सामग्री (बिटुमिन्स मैकेडम) का उपयोग करने के कारण ₹ 0.80 करोड़ का अनुचित व्ययाधिक्य किया गया।**

उत्तराखण्ड शासन (उ शा) द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत चम्पावत जिले में चम्पावत-खेतीखान मोटर मार्ग (लम्बाई-30 कि मी) में बिटुमिन्स मैकेडम (बी एम) एवं सेमी डेन्स बिटुमिन्स कंक्रीट (एस डी बी सी) द्वारा सुधारीकरण कार्य हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान (सितम्बर 2013) की गयी थी। कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता (कुमाऊं क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग (लो नि वि), अल्मोड़ा द्वारा ₹ 13.94 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान (दिसम्बर 2013) की गयी। कार्य निष्पादन हेतु खण्ड द्वारा ठेकेदार के साथ ₹ 13.44 करोड़ का अनुबंध<sup>90</sup> गठित किया गया था। अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि जून 2015 थी।

अधिसासी अभियन्ता (अ अ), प्रान्तीय खण्ड, लो नि वि, चम्पावत के अभिलेखों की जाँच (सितंबर 2016) में पाया गया कि विस्तृत आगणन में किये गये प्रावधानों के अनुसार बिटुमिन्स कार्य मार्ग की संपूर्ण लम्बाई (30 कि मी) के साथ 3.75 मीटर चौड़ाई में निष्पादित कराया जाना था। आवश्यकतानुसार प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स (पी सी सी) हेतु बी एम की अतिरिक्त मात्रा (10 प्रतिशत) का भी प्रावधान किया गया था। आगे, आगणन में बड़े गड्ढों को भरने हेतु वाटर बाउण्ड मैकेडम (डब्ल्यू बी एम) (1,761 घन मी) का भी प्रावधान किया गया था। तथापि, ठेकेदार को भुगतान (अगस्त 2016) किये गये नौवें चालू देयक के अनुसार मार्ग पर प्रावधानित 1,761 घन मी डब्ल्यू बी एम के सापेक्ष केवल 603.52 घन मी (34 प्रतिशत) डब्ल्यू बी एम का कार्य निष्पादित कराया गया था। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा इस दौरान पैच मरम्मत पर भी ₹ 3.96 लाख का व्यय किया गया था।

आगे, बी एम की निष्पादित मात्रा, आवश्यक मात्रा से 20.40 प्रतिशत (पी सी सी कार्य हेतु अनुमन्य 10 प्रतिशत के अतिरिक्त) अधिक थी जैसाकि निम्न तालिका 1.10.1 में वर्णित है:

तालिका-1.10.1: बिटुमिन्स मैकेडम के अनुचित अधिक उपयोग का विवरण

क्र. सं.	विवरण	गणना	मात्रा
1.	नौवें चालू देयक के अनुसार बी एम की निष्पादित मात्रा		7,947.38 घन मी
2.	टैक कोट से आच्छादित क्षेत्र के अनुसार बी एम की मात्रा	1,20,016.47 वर्ग मी x 0.050 मी = 6,000.82 घन मी	6,000.82 घन मी
3.	पीसीसी हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त	6,000.82 x 10/100 = 600.08 घन मी	600.08 घन मी
4.	बी एम की अधिक मात्रा	7,947.38 - 6,600.90	1,346.48 घन मी
5.	बी एम की अधिक निष्पादित मात्रा पर किया गया व्यय	1,346.48x@7,582.26 <sup>91</sup>	₹ 1,02,09,361.44
6.	यदि बी एम के बदले डब्ल्यू बी एम (₹1,504 प्रति घन मी) किया जाता	1,346.48 घन मी. X ₹ 1,504	₹ 20,25,105.92
		(+) 9 प्रतिशत से अधिक	₹ 1,82,259.53
		कुल	₹ 22,07,365.45
		अनुचित व्ययाधिक्य (पंक्ति 5-6)	₹ 80,01,995.99

<sup>90</sup> सी बी सं 08/एस ई-III दिनांक 28.12.2013।

<sup>91</sup> बी एम की दर = ₹ 6,956.20 प्रति घन मीटर तथा अनुबंध 9 प्रतिशत उच्च दर पर गठित किया गया।

7,947.38 घन मी मात्रा बी एम के उपयोग के बजाय, पी सी सी हेतु 10 प्रतिशत अधिक मात्रा सहित, बी एम की 6,600.90 घन मी मात्रा, जिस पर ₹ पाँच करोड़<sup>92</sup> का व्यय सम्मिलित होता, का उपयोग होना चाहिए था। इस प्रकार, प्रावधान से अधिक 1,346.48 घन मी बी एम का उपयोग किये जाने के परिणामस्वरूप, ₹ 0.80 करोड़ का व्ययाधिक्य हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, अ अ द्वारा अवगत कराया गया (सितम्बर 2016) कि बी एम की मात्रा में भिन्नता विद्यमान पी सी<sup>93</sup> एवं पी-1, पी-2<sup>94</sup> मार्ग पर अत्यधिक डिप्रेशन एवं अन्ड्यूलेशन के कारण थी जिसे डब्ल्यू बी एम के द्वारा निष्पादित नहीं कराया जा सकता था।

खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की डेटाबुक का अनुच्छेद 501.8.2.4 (ii) यह निर्धारित करता है कि यदि पी सी सी की अधिकतम मोटाई 40 एम एम से अधिक नहीं है तो इसे ऊपरी परत अर्थात बी एम के अभिन्न अंग के रूप में किया जाएगा। अन्य प्रकरणों में, पी सी सी का निर्माण ऐसे निर्माण प्रक्रियाओं को अपनाते हुए एवं अभियन्ता द्वारा अनुमोदित उपकरणों का उपयोग करते हुए निर्दिष्ट प्रकार की सामग्री बिछाते हुए एक अलग परत की तरह किया जाएगा। इस प्रकरण में, चूंकि प्रत्येक चैनेज में मोटाई 100 एम एम (40 एम एम से अधिक) थी, डब्ल्यू बी एम के स्थान पर बी एम का उपयोग किया जाना उपर्युक्त अनुच्छेद का उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा पी सी सी हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रावधान स्वीकार्य करते हुए बी एम की अधिक मात्रा, जो टैंक कोट से आच्छादित क्षेत्र के आधार पर है, इंगित की गई है। आगे, तकनीकी स्वीकृति में यह स्पष्ट रूप से नियत था कि मार्ग के खराब भाग में भराव के लिए डब्ल्यू बी एम का प्रयोग किया जायेगा जिसका विभाग द्वारा प्रावधान किया गया था।

इससे अतिरिक्त, विभाग द्वारा ₹ 1.24 करोड़ लागत की आठ मर्दें<sup>95</sup>, जो अनुबंध एवं विस्तृत आगणन में भी सम्मिलित थी, निष्पादित नहीं करायी गयी जिसकी राशि का कुछ भाग बी एम की अधिक मात्रा को बिछाने में उपयोग किया गया था।

<sup>92</sup> बी एम की मात्रा (6,600.90 घन मी) × @ (₹ 7,582.26) = ₹ 5,00,49,740 (अर्थात ₹ पाँच करोड़)।

<sup>93</sup> प्रीमिक्स कारपेट।

<sup>94</sup> रोड पर पेंटिंग-1 और पेंटिंग-2।

<sup>95</sup>

क्र सं.	मद	मात्रा	दर	राशि (₹ में)
1.	मकेनिकल वोवेन डबल टुइस्टिड हैक्सजोनल आकार गबिऑस प्रदान करना एवं बिछाना	80 संख्या	5,064.30	4,05,144.00
2.	तैयार की गयी ग्रेनूलर बेस पर बिटुमिन एमल्सन (एस एस-1) के साथ कम पोषकता प्राइम कोट प्रदान करना एवं बिछाना	2,888 व मी	29.30	84,618.40
3.	1 सीमेंट 1.5 कोर्स सैंड एवं 3 ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट 20 एम एम नोमिनल साइज़ विशिष्ट ग्रेड की स्थिति सीमेंट कंक्रीट आर सी सी ग्रेड एम 20 में प्रदान करना और बिछाना	193 घन मी	5,197.50	10,03,117.50
4.	के सी टाइप कंक्रीट नाली-पक्का नाली का निर्माण	4,300 रनिंग मी	1,149.00	49,40,700.00
5.	यू आकार की पक्की नाली का निर्माण (साइज 45x45 सेमी, 15 सेमी तली और 20 सेमी किनारे के साथ) इत्यादि	3,560 रनिंग मी	1,564.00	55,67,840.00
6.	यू आकार की पक्की नाली का निर्माण (साइज 75x75 सेमी, 15 सेमी तली, 20 सेमी खड़जा और 20 सेमी किनारे के साथ) इत्यादि	140 रनिंग मी	2,798.00	3,91,720.00
7.	अनुच्छेद 1701.2.3 के अनुसार इनकैपसुलेटेड लैस टाईप परावर्तनशील सीट (1.5 सेमी मोटी 600 X 600 मिमी वर्गाकार) एल्यूमिनियम सीट के ऊपर, आई आर सी 67 के अनुसार चैतावनी के संकेत हेतु रेट्रो-परावर्तनशील प्रदान करना एवं लगाना	10 संख्या	2,497.80	24,978.00
8.	अनुच्छेद 1701.2.3 के अनुसार इनकैपसुलेटेड लैस टाईप परावर्तनशील सीट (1.5 सेमी मोटी एवं 600 मिमी गोलाकार) एल्यूमिनियम सीट के ऊपर, आई आर सी 67 के अनुसार चैतावनी के संकेत हेतु रेट्रो-परावर्तनशील प्रदान करना एवं लगाना	3 संख्या	2,356.20	7,068.60
<b>योग</b>				<b>1,24,25,186.50</b>



इस प्रकार, प्रावधान से अधिक महंगी सामग्री अर्थात् 1,346.48 घन मी बी एम का उपयोग करने के कारण ₹0.80 करोड़ का व्यय अनुचित था।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

### 1.11 उद्देश्यों की पूर्ति न होना

**प्रारम्भिक स्वीकृति प्राप्त होने के नौ वर्ष पश्चात भी सेतु के निर्माण में विलंब के कारण असम्बद्ध गाँवों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। अभी तक के कार्य पर पहले ही ₹ 1.09 करोड़ का व्यय किया जा चुका था।**

उत्तराखण्ड शासन द्वारा अल्मोड़ा जिले के सेयाल्दे-देघाट के गोलना गाँव में तामाढौन-गोलना-खल्डुवा मोटर मार्ग में 70 मीटर स्पान झूला पुल के निर्माण हेतु ₹1.81 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान (मार्च 2008) की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता (अ अ), प्रान्तीय खण्ड, लो नि वि, रानीखेत के अभिलखों की जाँच (नवम्बर 2016) में पाया गया कि स्थानीयों लोगों द्वारा भूमि हस्तान्तरण का विरोध करने के कारण परियोजना का निष्पादन रूक गया था। प्रकरण के समाधान हेतु एक समिति<sup>96</sup> द्वारा, निर्माण कार्य की स्वीकृति के दो वर्ष उपरांत, प्रस्तावित स्थल का दौरा (जनवरी 2010) किया गया एवं 70 मी झूला पुल के स्थान पर 72 मीटर स्पान स्टील गर्डर सेतु के निर्माण की अनुशंसा की गयी। सेतु की लंबाई के साथ-साथ श्रम एवं सामग्री की कीमतों में वृद्धि के कारण खण्ड द्वारा शासन को ₹3.56 करोड़ का नया विस्तृत आगणन स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित (जून 2011) किया गया। तथापि, शासन से संशोधित आगणन की स्वीकृति प्राप्त होने एवं सुपर स्ट्रक्चर की डिजाइन को अंतिम रूप देने से पूर्व ही अधीक्षण अभियन्ता (अल्मोड़ा) द्वारा अबेटमेंट (सबस्ट्रक्चर), सम्पर्क मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण के लिए ₹1.42 करोड़ की आंशिक तकनीकी स्वीकृति, जो कि पूर्व के अनुमोदित आगणन के आधार पर थी, प्रदान (8 दिसम्बर 2011) की गई। खण्ड द्वारा इस हेतु ₹1.24 करोड़ की लागत का अनुबंध<sup>97</sup> गठित (22 दिसम्बर 2011) किया गया जिसके अनुसार कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि दिसम्बर 2012 थी। उक्त कार्य को 18 माह के विलंब से पूर्ण (जून 2014) किया गया तथा ठेकेदार को ₹ 1.09 करोड़ का भुगतान (मार्च 2015) किया गया। इसी बीच, शासन द्वारा पूर्व अनुमोदन को रद्द करते हुए ₹3.42 करोड़ की पुनरीक्षित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान (24 दिसम्बर 2011) की गई। सम्बन्धित घटनाक्रम में, निर्माण खण्ड कपकोट द्वारा तैयार किया गया 72 मी स्पान सेतु के सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन, जिसे निर्माण हेतु अपनाया जाना था, सुपाठ्य नहीं पाये जाने के कारण सेतु को खड़ा करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सका। इसके पश्चात खण्ड द्वारा दिसम्बर 2013 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भा प्रौ सं) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (ब हिं वि) से सुपरस्ट्रक्चर का डिजाइन प्राप्त किया गया। सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन में उपयोग होने वाली स्ट्रक्चरल स्टील<sup>98</sup> आयोजनित मात्रा से अधिक परिकल्पित थी। आगे

<sup>96</sup> अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो नि वि, अल्मोड़ा अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो नि वि नैनीताल, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो नि वि, रानीखेत।

<sup>97</sup> 11/एस ई-01/11 दिनांक 22/12/2011।

<sup>98</sup> अनुमोदित डी पी आर में लोड 210.38 टन था जबकि आई आई टी (बी एच यू) द्वारा प्रदान की गयी डिजाइन में यह 247.00 टन था।

इसी बीच सामाजिकी की दरों में भी वृद्धि हो चुकी थी। इसके कारण ₹4.97 करोड़ के पुनरीक्षित आगणन की आवश्यकता हुई जिसे शासन के अनुमोदन हेतु पुनः प्रेषित (सितम्बर 2015) किया गया। उक्त अनुमोदन आतिथि (मई 2017) तक प्राप्त नहीं हुआ था।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया (नवम्बर 2016) कि शासन से पुनरीक्षित आगणन का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद कार्य पूर्ण हो जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि प्रारम्भिक स्वीकृति प्राप्ति के नौ वर्ष पश्चात भी सेतु का निर्माण नहीं किया जा सका। सबस्ट्रक्चर का कार्य शासन से आवश्यक अनुमोदनों एवं डिजाइन की प्रतीक्षा किये बिना ही प्रारम्भ कर दिया गया। निर्मित सबस्ट्रक्चर तीन वर्ष से अधिक समय से व्यर्थ पड़ा हुआ है जिसे प्रकृति की अनिश्चितताओं पर छोड़ दिया गया।

इस प्रकार प्रारम्भिक स्वीकृति प्राप्त होने के नौ वर्षों पश्चात भी असम्बद्ध गाँवों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने वाले उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

प्रकरण शासन को संदर्भित किया गया (जून 2017); उत्तर प्रतिक्रिया थी (दिसम्बर 2017)।

### उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

#### 1.12 निष्फल व्यय

**दोषपूर्ण संरेखण के कारण पेयजल योजना लक्षित आबादी तक पेयजल आपूर्ति करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप, ₹1.42 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अतिरिक्त, लक्षित आबादी को पानी उपलब्ध करने के लिए एक ट्यूबवेल के निर्माण पर ₹6.50 लाख का अतिरिक्त खर्च किया गया।**

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जनपद उत्तरकाशी में सांगराली-पाटा पेयजल योजना के निर्माण के लिए ₹2.43 करोड़<sup>99</sup> की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति (मार्च 2010) इन शर्तों के साथ प्रदान की गयी थी कि सभी मानक तकनीकी औपचारिकताएँ जैसे स्थल निरीक्षण, कार्य की ड्राईंग/डिजाइन सहित विस्तृत आगणन तैयार करना, भूगर्भीय सर्वेक्षण करना, तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करना इत्यादि कार्य प्रारम्भ करने के पहले सुनिश्चित किया जाए। योजना का उद्देश्य, सांगराली, पाटा और बगयालगाँव ग्राम पंचायतों के 2,314 निवासियों को पेयजल आपूर्ति करना था। कार्य अक्टूबर 2010 में प्रारम्भ किया गया था तथा अप्रैल 2012 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था।

अधिकांश अभियन्ता (अ अ), निर्माण खण्ड, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरकाशी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (मार्च 2017) में उद्घटित हुआ कि कार्य के मुख्य घटक, स्रोत का निर्माण, ग्रेवटी मेन एवं स्वच्छ जलाशयों का कार्य ठेकेदारों के माध्यम से किया जाना था। जिसके लिए ₹1.92 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। निगम ने कार्य अक्टूबर 2010 में प्रारम्भ किया जो जुलाई 2014 में पूर्ण हुआ था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निगम द्वारा कार्य कार्यस्थल का विस्तृत भौतिक एवं भूगर्भीय सर्वेक्षण किये बिना ही कार्य प्रारम्भ किया गया। इसके परिणामस्वरूप, ग्रेवटी मेन का संरेखण दोषपूर्ण हुआ और ग्रेवटी मेन, स्रोत से स्वच्छ जलाशयों तक

<sup>99</sup> ₹1.92 करोड़ (स्रोत, ग्रेवटी मेन एवं सी डब्ल्यू आर) + ₹0.45 करोड़ (वितरण) + ₹0.06 करोड़ (कैचमेंट एवं टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम)।



पानी आपूर्ति करने में असफल रहा तथा कुल 23,232.75 मीटर बिछाई गई पानी आपूर्ति पाइप में से 19,736.95 मीटर पानी आपूर्ति पाइप (ग्रेवैटी मेन) का उपयोग नहीं हो सका। परिणामस्वरूप, ग्राम पंचायतों की लक्षित आबादी निर्माण की गई पानी की आपूर्ति पाइप लाइन, जिस पर ₹1.42 करोड़ का व्यय किया गया था, के माध्यम से पेयजल नहीं पा सकी। विभाग ने काम के दोषपूर्ण निष्पादन के लिए कोई जिम्मेदारी तय नहीं की थी तथा लक्षित आबादी में पानी की आपूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के लिए खण्ड को ₹6.50 लाख की लागत से ट्यूबवेल का निर्माण करना पड़ा।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर अ अ ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत (मार्च 2017) कराया कि उक्त पेयजल योजना के माध्यम से पानी की आपूर्ति करना सम्भव नहीं था क्योंकि पाइप लाइन बहुत तेज ढाल पर बिछाई गयी थी। आगे, अ अ ने अवगत कराया कि विभागीय जाँच प्रगति में है एवं जाँच के बाद जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।

कार्य स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पहले स्थल का भौतिक एवं भूगर्भीय सर्वेक्षण करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप, मुख्य आपूर्ति लाइन के संरेखण में गम्भीर त्रुटि हुई जिससे पूरी योजना के विफल होने से कार्य पर किया गया व्यय ₹1.42 करोड़ निष्फल रहा।

प्रकरण शासन को संदर्भित (जून 2017) किया गया; उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2017) था।

## शहरी विकास विभाग

### 1.13 नगर निगम देहरादून एवं हरिद्वार में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

नगर निगम (न नि) देहरादून एवं हरिद्वार के पास कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अभिप्रेत क्रियाओं की रूपरेखा, प्रस्तुतीकरण और समयबद्ध क्रियान्वयन की कोई कार्य योजना नहीं थी। दोनों न नि में आधारभूत संरचना पर अत्यल्प धनराशि व्यय किये जाने के कारण अभिप्रेत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई। हरिद्वार में ₹1.21 करोड़ की लागत के नौ वाहन जून 2013 से व्यर्थ खड़े थे। न नि देहरादून की निकाय सीमा के अंतर्गत प्लांट की क्षमता 200 मी टन प्रतिदिन निर्धारित थी जबकि वास्तव में 257 मी टन प्रतिदिन अपशिष्ट उत्पन्न हो रहा था। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000 के लागू होने के 16 वर्षों बाद भी दोनों नगर निगम प्रक्रिया इकाई की स्थापना में असफल थे। परिणामस्वरूप, नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्कीकरण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं किया गया। दोनों न नि में उपकरणों, वाहनों, कूड़ेदानों एवं मानवशक्ति की कमी के साथ निम्न अनुश्रवण तन्त्र का खराब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में योगदान रहा।

#### 1.13.1 प्रस्तावना

नगरीकरण के कारण उत्पादित अपशिष्ट की बढ़ती हुई मात्रा के प्रबंधन हेतु भारत सरकार ने सितम्बर 2000 में “नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000” (न ठो अ नियम) अधिसूचित किया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (रा ह अ) के निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य ने भी नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ठो अ प्र) की एक कार्य योजना तैयार की (मार्च 2015)।

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान देहरादून एवं हरिद्वार के नगर निगमों (न नि) द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन पर आधारित एक विषयक अनुपालन लेखापरीक्षा, अप्रैल 2017 से जुलाई 2017 तक दोनों नगर निगमों के अभिलेखों की नमूना जाँच कर संपादित की गई। इसके अतिरिक्त शहरी विकास निदेशालय (श वि नि), देहरादून एवं उत्तराखण्ड पर्यावरण निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (उ प नि प्र नि बो) से भी सूचना संग्रहित की गयी।

### 1.13.2 नियोजन

#### 1.13.2.1 कार्ययोजना का न बनाया जाना

“नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन” के मैनुअल (मैनुअल) के प्रस्तर 26.1 के अनुसार भविष्य की आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियोजन एक सजग प्रक्रिया है। आगे, अभिप्रेत क्रियाओं हेतु समयसीमा एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाना चाहिए। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ठो अ प्र नियम के प्रभावी होने (2000) के प्रथम पंद्रह वर्षों में राज्य स्तर पर कोई कार्य योजना नहीं थी। मार्च 2015 में रा ह अ के निर्देश पर ही राज्य ने कार्य योजना तैयार की।

इंगित किये जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि ठो अ प्र नियम 2000 में कार्य योजना तैयार किये जाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। विभाग के उत्तर को तथ्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए कि ठो अ प्र मैनुअल स्पष्ट रूप से ठो अ प्र के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना बनाये जाने की वकालत करता है।

#### 1.13.2.2 जन सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यक्रम (आई ई सी)

ठो अ प्र मैनुअल के प्रस्तर 18.3.1 के अनुसार कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकतम जन सहभागिता आवश्यक है।

यह पाया गया कि न नि द्वारा अपशिष्ट का पृथक्करण कर डालने हेतु जन जागरूकता के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया गया था। न नि देहरादून ने इस अवधि में वर्ष 2015-16 में ₹1.40 लाख के आवंटन के सापेक्ष केवल ₹1.14 लाख व्यय किया था। जबकि न नि हरिद्वार का न तो कोई बजट प्रावधान था न ही इस दौरान गतिविधि पर कोई व्यय किया गया था।

#### 1.13.2.3 कम्पोस्ट प्लांट की क्षमता का कम निर्धारण

ठोस अपशिष्ट प्रक्रिया इकाई, कम्पोस्ट स्थल और वैज्ञानिक भू-भरण हेतु न नि देहरादून ने शीशमबाड़ा में आवश्यक ढाँचागत विकास के लिए बी ओ टी (निर्माण, संचालन और हस्तांतरण) प्रारूप में एक फ़र्म के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित किया (अक्टूबर 2016)। परियोजना को ₹36 करोड़ (राज्य का भाग: ₹21.97 करोड़ और शेष भाग फ़र्म द्वारा वहन करना था) की आंगणित लागत पर जुलाई 2017 तक पूर्ण किया जाना था।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि प्लांट की क्षमता 200 मी टन प्रतिदिन (अक्टूबर 2016) निर्धारित की गई थी जबकि न नि देहरादून के नगरीय सीमा में 2016-17 के दौरान प्रतिदिन उत्पादित होने वाला वास्तविक अपशिष्ट 257 मीट्रिक टन प्रतिदिन था। इसके अतिरिक्त, आसपास के नगरीय क्षेत्रों<sup>100</sup> के अपशिष्ट को भी इसी प्लांट में निस्तारित किया जाना नियोजित था। इस प्रकार,

<sup>100</sup> नगर पालिका परिषद मसूरी, नगर पालिका परिषद विकास नगर एवं ब्लॉक सहसपुर।

शीशमबाड़ा, देहरादून प्लांट, जो अभी अपूर्ण है (जून 2017), देहरादून के अपशिष्ट प्रबंधन में सक्षम नहीं होगा जो कि अपर्याप्त नियोजन को दर्शाता है। इसके निर्माण पर राज्य सरकार द्वारा ₹21.97 करोड़ वहन किया जाना था जिसमें से आज तक ₹10.76 करोड़ राज्य द्वारा व्यय किया जा चुका था।

इंगित किये जाने पर न नि देहरादून ने अवगत कराया कि भविष्य में प्लांट की क्षमता बढ़ाकर 200 मीट्रिक टन से 300 मीट्रिक टन प्रतिदिन की जाएगी। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा बार-बार माँगे जाने पर भी न नि किसी प्रकार की कार्यवाही सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।

### 1.13.3 वित्तीय प्रबंधन

देहरादून एवं हरिद्वार के नगर निगमों को केन्द्रीय वित्त आयोग (के वि आ), राज्य वित्त आयोग (र वि आ), स्वच्छ भारत मिशन (स्व भा मि), जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन (ज ने श न मि) (ठो अ प्र से सम्बन्धित ज ने श न मि परियोजनाओं के लिए 80 प्रतिशत केंद्रान्श भाग और 20 प्रतिशत राज्यांश) एवं अन्य एजेंसियों यथा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (म दे वि प्रा) एवं इसके अपने संसाधनों<sup>101</sup> से धनराशियां प्राप्त होती हैं। दोनों न नि के लेखा अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित पाया गया:

#### 1.13.3.1 निधियों की उपलब्धता एवं उपयोगिता

दोनों चयनित निकायों के वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान निधियों<sup>102</sup> की उपलब्धता एवं उपयोग सम्बन्धित वर्षवार विवरण नीचे तालिका-1.13.1 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.13.1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में नगर निगम देहरादून और हरिद्वार में निधियों की उपलब्धता एवं उपयोगिता

देहरादून (₹ करोड़ में)										
वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	से निधियों की प्राप्ति					व्यय			अंत शेष
		केंद्र सरकार	राज्य सरकार	स्वयं के संसाधन	अन्य	योग	वेतन पर व्यय (कुल व्यय की प्रतिशतता)	ठो अ प्र के अवस्थापना विकास पर व्यय (कुल व्यय की प्रतिशतता)	कुल व्यय	
2014-15	6.33	1.87	17.95	9.76	0.00	35.91	27.40(93)	2.05(7)	29.45	6.46
2015-16	6.46	2.55	25.51	10.77	1.00	46.29	32.43(91)	3.20(9)	35.63	10.66
2016-17	10.66	7.11	22.41	10.36	0.00	50.54	32.76(80)	8.08(20)	40.84	9.70
<b>योग</b>		<b>11.53</b>	<b>65.87</b>	<b>30.89</b>	<b>1.00</b>	<b>132.74</b>	<b>92.59(87)</b>	<b>13.33 (13)</b>	<b>105.92</b>	
हरिद्वार (₹ करोड़ में)										
वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	से निधियों की प्राप्ति					व्यय			अंत शेष
		केंद्र सरकार	राज्य सरकार	स्वयं के संसाधन	अन्य	योग	वेतन पर व्यय (कुल व्यय की प्रतिशतता)	ठो अ प्र के अवस्थापना विकास पर व्यय (कुल व्यय की प्रतिशतता)	कुल व्यय	
2014-15	1.67	1.61	8.65	3.17	0.00	15.10	12.00(92)	1.00(8)	13.00	2.10
2015-16	2.10	4.68	8.84	2.90	4.97	23.49	11.83(74)	4.21(26)	16.04	7.45
2016-17	7.45	0.45	7.37	2.91	0.21	18.39	10.27(59)	7.08(41)	17.35	1.04
<b>योग</b>		<b>6.74</b>	<b>24.86</b>	<b>8.98</b>	<b>5.18</b>	<b>56.98</b>	<b>34.10 (74)</b>	<b>12.29 (26)</b>	<b>46.39</b>	

स्रोत : सूचनाएँ न नि देहरादून एवं हरिद्वार से एकत्रित की गईं।

टिप्पणी: उपर्युक्त निधियों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1.13.1 में दिया गया है।

<sup>101</sup> स्वयं के स्रोत: सभी प्रकार के कर, पट्टे से किराया, शुल्क, दण्ड और सड़क काटने का खर्च आदि।

<sup>102</sup> केन्द्रीय निधि - के वी आ, स्व भा मि, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं जे एन एन यू आर एम, राज्य निधि-अवस्थापना/कूड़ादान खरीद, र वि आ, सफाई अनुदान एवं मुख्यमंत्री अनुदान, स्वयं के संसाधन एवं अन्य - मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (म दे वि प्रा), काँवड़ मेला, विधायक निधि, अर्ध कुम्भ मेला और चार धाम यात्रा।

निधियों की प्राप्ति एवं व्यय के विश्लेषण में पाया गया कि कार्यक्रम का संसक्त क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु ठो अ प्र के विभिन्न मदों पर किये गये व्यय को दोनों नगर निगमों द्वारा आनुपातिक वितरण नहीं किया गया। ठो अ प्र हेतु निर्धारित धनराशि के उपयोग के संबंध में न तो सरकार/निदेशालय द्वारा कोई निर्देश जारी किये गये और न ही कार्ययोजना में कोई स्पष्ट निर्देश थे। तालिका में देखा जा सकता है कि न नि देहरादून एवं हरिद्वार ने वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान ठो अ प्र सम्बन्धित अवस्थापना विकास पर अपने कुल व्यय का क्रमशः 7, 9 और 20 प्रतिशत तथा 8, 26 और 41 प्रतिशत ही व्यय किया। वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान नगर निगम देहरादून ने अपने कुल व्यय का 90 प्रतिशत से अधिक व्यय वेतन पर किया। वर्ष 2016-17 के दौरान, यह व्यय कुल व्यय का लगभग 80 प्रतिशत था। इन तीन वर्षों के दौरान न नि हरिद्वार ने कुल व्यय का लगभग 92 प्रतिशत, 74 प्रतिशत और 59 प्रतिशत वेतन पर व्यय किया। दोनों न नि में अवस्थापना कार्यों पर अल्प व्यय ठो अ प्र के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति न होने के लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी था, जैसाकि आगे के प्रस्तरो में उल्लिखित है।

### 1.13.3.2 उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ प्र) का अप्रस्तुतिकरण

न नि देहरादून एवं हरिद्वार के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि देहरादून एवं हरिद्वार के न नि द्वारा ₹139.90 करोड़<sup>103</sup> के उपयोगिता प्रमाणपत्र ही प्रेषित किये गये थे, जैसाकि निम्नलिखित तालिका-1.13.2 में दिया गया है:

तालिका-1.13.2: 2014-15 से 2016-17 के दौरान लम्बित उ प्र की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	न नि देहरादून				न नि हरिद्वार			
	उपलब्ध निधियां	व्यय	प्रेषित उ प्र	लम्बित उ प्र	उपलब्ध निधियां	व्यय	प्रेषित उ प्र	लम्बित उ प्र
2014-15	35.91	29.45	1.87	27.58	15.10	13.00	0.94	12.06
2015-16	46.29	35.63	0.83	34.80	23.49	16.04	1.68	14.36
2016-17	50.54	40.84	6.47	34.37	18.39	17.35	0.62	16.73
योग	132.74	105.92	9.17	96.75	56.98	46.39	3.24	43.15


2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान केंद्र सरकार से प्राप्त निधियों के संबंध में पाया गया कि न नि ने भा स से ₹18.27 करोड़ प्राप्त किया (तालिका-1.13.1) जिसके सापेक्ष उ प्र केवल ₹12.41 करोड़ जो कि 13 वें और 14 वें वित्त से सम्बन्धित थे, प्रस्तुत किया गया।

उ प्र प्रेषित न किया जाना आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की एक महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है क्योंकि इससे निर्धारित उद्देश्यों पर निधियों का किया गया व्यय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इंगित किये जाने पर दोनों न नि ने बताया कि लापरवाही के कारण नियमित रूप से उ प्र प्रेषित नहीं किये जा रहे थे। आश्वस्त किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से उ प्र प्रेषित किये जाएंगे।

### 1.13.4 न ठो अ नियम का क्रियान्वयन

न ठो अ नियम, नगरीय ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण को बताता है। प्रत्येक नगरीय प्राधिकरण को अपने परिक्षेत्र में न ठो अ नियमों को लागू करना है। न ठो अ नियम-2000 में निर्धारित मापदंड एवं उसके सापेक्ष क्रियान्वयन को नीचे दर्शाया गया है:

<sup>103</sup> न नि देहरादून: ₹96.75 करोड़ और न नि हरिद्वार: ₹43.15 करोड़।



#### 1.13.4.1 नगरीय ठोस अपशिष्ट का कम संग्रहण

न ठो अ नियम, 2000 की अनुसूची II में प्रावधानित है कि नगर में नगरीय ठोस अपशिष्ट का जगह-जगह फैलाव प्रतिबंधित होगा। आगे, नगरीय प्राधिकरण नियमित रूप से एवं पूर्व निर्धारित समय पर अपशिष्ट का संग्रहण सुनिश्चित करेगा। अपशिष्ट का जलाया जाना भी प्रतिबंधित होगा। अपशिष्ट के संग्रहण स्थल के आस पास आवारा जानवरों का विचरण प्रतिबंधित होगा। न नि देहरादून एवं हरिद्वार के नगरीय क्षेत्रों में 2014-15 से 2016-17 की अवधि में अपशिष्ट का उत्पादन एवं संग्रहण नीचे तालिका-1.13.3 में दिया गया है।

तालिका-1.13.3: न नि देहरादून एवं हरिद्वार के नगरीय क्षेत्रों में 2014-15 से 2016-17 की अवधि में अपशिष्ट का उत्पादन एवं संग्रहण का विवरण

विवरण	देहरादून			हरिद्वार		
	2014-15	2015-16	2016-17	2014-15	2015-16	2016-17
नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	5,75,000			2,31,338		
प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट का उत्पादन (मीट्रिक टन में)	257	257	257	190	210	237
प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट का संग्रहण (मीट्रिक टन में)	200	200	227	135	150	180
प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट का संग्रहण न किया जाना (प्रतिशत में)	22	22	12	29	29	24

स्रोत: न नि देहरादून एवं हरिद्वार से संग्रहित सूचना।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि न नि देहरादून में 12 से 22 प्रतिशत अपशिष्ट और न नि हरिद्वार में 24 से 29 प्रतिशत अपशिष्ट का संग्रहण 2014-17 के दौरान नहीं किया गया। शेष असंग्रहित

अपशिष्ट सामान्य सामुदायिक कूड़ेदानों में पड़ा था। यह असंग्रहित अपशिष्ट सामुदायिक स्थलों पर फैला हुआ था जो जन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक होने के साथ नगर के सामान्य माहौल को दूषित कर रहा था।

यह इंगित करने पर दोनों न नि ने तथ्यों को स्वीकार किया। न नि देहरादून ने बताया कि अपर्याप्त संसाधनों (श्रम शक्ति, कूड़ेदान और वाहन इत्यादि की कमी) के कारण ठोस अपशिष्ट का कम उठान हुआ। जबकि दूसरी ओर न नि हरिद्वार ने अपशिष्ट के उठान में कमी के लिए वैज्ञानिक भू-भरण एवं कम्पोस्ट प्लांट का पूर्ण न होना बताया।

### **क्रय किये गये वाहनों का अनुपयोगी पड़े रहना**

न नि हरिद्वार ने समन्वित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मैसर्स के आर एल वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ बी ओ टी (निर्माण, संचालन एवं हस्तांतरण) प्रारूप में एक अनुबंध हस्ताक्षरित (अक्टूबर 2012) किया। परियोजना के अंतर्गत, फ़र्म को स्रोत पर अपशिष्ट के संग्रहण, नियमित गलियों की सफाई और नालियों की सफाई, बन्द डिब्बों में अपशिष्ट का द्वितीय संग्रहण, अपशिष्ट का परिवहन और अपशिष्ट का उपचार एवं निस्तारण जिसमें भू-भरण और कम्पोस्ट प्लांट का निर्माण शामिल था, की व्यवस्था करनी थी। रियायत अवधि 15 वर्षों की थी। परियोजना की लागत ₹16.72 करोड़ थी और न नि द्वारा परियोजना स्थापित किये जाने हेतु पूँजी अनुदान किस्तों में दिया जाना था। अभी तक न नि ने फ़र्म को ₹ 9.58 करोड़ भुगतान किया था (दिसम्बर 2017)।



चित्र संख्या 1: ठोस अपशिष्ट के लिए क्रय किये गये वाहन हरिद्वार के कम्पोस्ट प्लांट परिसर में अनुपयोगी खड़े हैं।

न नि हरिद्वार की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि न नि हरिद्वार में भू-भरण के निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया था (जुलाई 2017)। इसी बीच, न नि के 30 वार्डों से ठोस अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहन हेतु फ़र्म ने उपरोक्त धनराशि से 22 वाहनों का क्रय किया (जून 2013)। तथापि, यह भी पाया गया कि फ़र्म द्वारा शहर के 30 वार्डों में से केवल 22 वार्डों से ही अपशिष्ट का संग्रहण किया जा रहा था। शेष आठ वार्डों में, न नि द्वारा स्वयं संग्रहण का कार्य किया जा रहा था। आगे 22 वाहनों में से ₹ 1.21 करोड़ लागत के नौ वाहन न नि के शेष आठ वार्डों से अपशिष्ट संग्रहण न किये जाने के कारण क्रय किये जाने के बाद से ही निष्क्रिय खड़े थे। ये वाहन कम्पोस्ट प्लांट परिसर में खुले में खड़े थे जैसाकि चित्र संख्या 1 में दर्शित है। परिणामस्वरूप, अपशिष्ट के संग्रहण में कमी थी।

इंगित करने पर न नि हरिद्वार ने अवगत कराया कि कम्पोस्ट प्लांट एवं वैज्ञानिक भू-भरण की स्थापना के उपरांत शेष आठ वार्डों<sup>104</sup> से अपशिष्ट का संग्रहण आरम्भ होने पर वाहनों को उपयोग में लाया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि चार वर्षों के बीत जाने के बावजूद न नि हरिद्वार फ़र्म द्वारा समस्त 30 वार्डों से अपशिष्ट का संग्रहण सुनिश्चित न कर सका, जैसाकि अनुबंध की शर्तों के अनुसार आवश्यक था। यह अपशिष्ट के संग्रहण में समस्त वाहनों का उपयोग सुनिश्चित करने में भी

<sup>104</sup> (i) बाल्मीकी बस्ती, (ii) मैदानियन (ज्वालापुर), (iii) गडघाट, (iv) खड़खड़ी, (v) भूपतवाला, (vi) मेहतान (ज्वालापुर), (vii) लोघामंडी और (viii) कसावन (ज्वालापुर)।



असफल था। इसके अतिरिक्त, समय के साथ खुले में खड़े नों वाहनों की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी।

#### 1.13.4.2 नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण एवं भंडारण न किया जाना

नगर निगम देहरादून और हरिद्वार में, अपशिष्ट का संग्रहण बाह्य एजेंसी द्वारा किया जा रहा था। स्रोत पर कूड़े के पृथक्कीकरण का प्रारम्भिक आशय ठोस अपशिष्ट को दो मुख्य भागों में रखना है, यथा जैव अपघट्य अपशिष्ट को एक कूड़ेदान में तथा अजैव अपघट्य अपशिष्ट को दूसरे कूड़ेदान में। उत्पादित ठोस अपशिष्ट को मुख्यतः चार प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: (अ) घरेलू और व्यावसायिक अपशिष्ट (ब) निर्माण अपशिष्ट (स) जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट एवं (द) औद्योगिक अपशिष्ट। न तो अ नियम ठोस अपशिष्ट के मानवीय हथालन को प्रतिबंधित करता है तथा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त सावधानी बरतने की बात करता है। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये न नि में अपशिष्ट का पृथक्कीकरण स्रोत पर नहीं किया जा रहा था।

न नि देहरादून एवं हरिद्वार में ठोस अपशिष्ट जैव अपघट्य, पुनर्चक्रीय एवं अन्य श्रेणियों में पृथक्कीकृत किये बिना सड़क के किनारे एक कूड़ेदान में डाला जा रहा था। कूड़ा स्थल पर आवारा जानवर पाये गये जैसाकि चित्र संख्या 2 एवं 3 में दर्शित है। उचित सुरक्षा कवच यथा मास्क, दस्ताने और गम बूट के बिना अपशिष्ट का कर्मियों द्वारा हथालन किया जा रहा था जैसाकि चित्र संख्या 4 में दर्शित है।

लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किये जाने पर न नि देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि नगर में अपशिष्ट के फैलाव को कम करने हेतु भूमिगत कूड़ेदानों का निर्माण किया जा रहा है। न नि हरिद्वार ने अवगत कराया कि जनता द्वारा ठोस अपशिष्ट को कूड़ेदानों के बाहर डाला जाता है जिसे पुनः सफाई कर्मचारी अंदर डालते हैं। उत्तर मान्य नहीं है और न नि की बाह्य संस्था की कार्य सम्पादन और अकुशलता/अपर्याप्त कार्य क्षमता के लिए दण्ड लगाए जाने में विफलता इंगित करता है।

#### 1.13.4.3 नगरीय ठोस अपशिष्ट के परिवहन हेतु ढके वाहनों की कमी

उत्पादन के स्रोत से मध्यवर्ती भंडारण स्थल तक अपशिष्ट के परिचालन के प्राथमिकता दी जाती है। मध्यवर्ती भंडारण स्थल से अपशिष्ट को ट्रीटमेंट प्लांट/भू-भरण स्थल तक ले जाना द्वितीयक परिवहन है। न तो अ नियमों की अनुसूची 11 में प्रावधानित है कि अपशिष्ट के परिवहन हेतु बन्द वाहनों का प्रयोग किया जाएगा ताकि अपशिष्ट खुले वातावरण में न रहे व दिखाई न दे। इसके



चित्र संख्या 2: नगर निगम, देहरादून



चित्र संख्या 3: नगर निगम, हरिद्वार



चित्र संख्या 4: नगर निगम, देहरादून

अतिरिक्त, वाहन इस प्रकार डिज़ाइन किये जाए ताकि अंतिम निस्तारण से पूर्व अपशिष्ट के बहु-हथालन से बचा जा सके।

दोनों न नि में पाया गया कि ठोस अपशिष्ट का ट्रैचिंग ग्राउंड तक खुले वाहनों में परिवहन किया जाता है जिससे पूरे रास्ते पर अपशिष्ट फैलता है, जैसाकि चित्र संख्या 5 एवं 6 में दर्शित है।



चित्र संख्या 5: नगर निगम, देहरादून



चित्र संख्या 6: नगर निगम, हरिद्वार

न नि देहरादून एवं हरिद्वार में कुल उपलब्ध वाहनों में से क्रमशः 58 एवं 64 प्रतिशत क्रियाशील थे। जिनमें, देहरादून एवं हरिद्वार में क्रमशः 7 एवं 46 प्रतिशत वाहन ढके थे, जैसाकि नीचे तालिका-1.13.4 दर्शित है।

तालिका-1.13.4: चालू खराब पड़े, ढके एवं खुले वाहनों का विवरण

ज़िले का नाम	वाहनों की संख्या	चालू (प्रतिशत में)	ढके वाहन (प्रतिशत में)
देहरादून	99	57(58)	04(07)
हरिद्वार	61	39(64)	18(46)

स्रोत: न नि देहरादून एवं हरिद्वार से संग्रहित सूचना।

इसे इंगित किये जाने पर दोनों न नि ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं उत्तर दिया कि सम्बन्धित कार्मिकों को प्रावधानों का अनुपालन करने का निर्देश जारी कर दिए गये हैं और पुनः अवगत कराया कि इस कार्य हेतु तिरपाल उपलब्ध कराये गये हैं।

#### 1.13.4.4 नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं निस्तारण

(i) न ठो अ नियम के अनुसार उचित तकनीक के प्रयोग से अपशिष्ट का उपयोग बढ़ाना चाहिए ताकि भू-भरण पर दबाव कम हो। जैविक रूप से अपघटित होने वाले अपशिष्ट का कम्पोस्टिंग, कृमि-कम्पोस्टिंग, अवायुजीवी उपचारण से प्रसंस्करण करना चाहिए या अपशिष्ट के स्थिरीकरण के लिए अन्य उपयुक्त जैविकीय प्रसंस्करण किया जाना चाहिए। पुनर्प्राप्य संसाधन युक्त मिश्रित अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए।

यह पाया गया कि दोनों न नि द्वारा अपशिष्ट का प्रसंस्करण नहीं की जा रहा था और आवश्यक पृथक्कीकरण किये बिना ही संग्रहित किया गया सम्पूर्ण ठोस अपशिष्ट ट्रैचिंग ग्राउंड में डाला जा रहा था।



चित्र संख्या 7: देहरादून स्थित ट्रैचिंग ग्राउंड



चित्र संख्या 8: देहरादून स्थित ट्रैचिंग ग्राउंड



इंगित किये जाने पर, दोनों न नि द्वारा अवगत कराया गया कि वैज्ञानिक भू-भरण (एस एल एफ)<sup>105</sup> और प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के बाद अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जाएगा। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि न नि हरिद्वार में ऐसे प्लांट की स्थापना का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ था और न नि देहरादून में यह अभी तक अपूर्ण था। कार्य अक्टूबर 2016 में आरम्भ हुआ था और कार्य पूर्ण की तिथि जुलाई 2017 में समाप्त हो चुकी थी। परिणामतः, उपलब्ध ट्रेचिंग ग्राउंड पर भार अधिक था एवं अपशिष्ट असंग्रहित पड़ा रहा।



चित्र संख्या 9: हरिद्वार स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड

(ii) दोनों न नि द्वारा संग्रहित सम्पूर्ण ठोस अपशिष्ट बिना पृथक्करण एवं प्रसंस्करण के ट्रेचिंग ग्राउंड में डाला जा रहा था। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 की अनुसूची III, जिसके अनुसार अपशिष्ट भू-भरण घनी आबादी से दूर होना चाहिये के प्रावधानों के विरुद्ध, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून स्थित वर्तमान ट्रेचिंग ग्राउंड घनी आबादी में स्थित था, जैसाकि चित्र संख्या 7 एवं 8 में दर्शित है।



चित्र संख्या 10: हरिद्वार स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में कूड़ा जलाया जाना

(iii) दोनों न नि के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि आवारा जानवरों के प्रवेश को रोकने हेतु कोई चाहरदीवारी नहीं थी जैसाकि चित्र संख्या 8 एवं 9 में दर्शित है।

(iv) लेखापरीक्षा में पाया गया कि न नि हरिद्वार के सराय गाँव स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड (चित्र संख्या 10) में और न नि देहरादून के रॉक वैली अपार्टमेंट के पास अपशिष्ट का निस्तारण इसे जला कर किया जा रहा था। यह न केवल रा ह अ द्वारा जारी निर्देश (दिसम्बर 2016) और राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन था बल्कि वातावरण के लिए भी खतरनाक था।

इंगित किये जाने पर दोनों न नि ने वै भू भ और कम्पोस्ट प्लांट के अनारम्भ/पूर्ण न होने के तथ्यों की पुष्टि की और अवगत कराया कि वै भू भ की स्थापना के बाद ही अपशिष्ट की सही तरीके से व्यवस्था की जाएगी। उत्तर को तथ्यों के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि न नि के पास अभी तक वै भू भ और कम्पोस्ट प्लांट नहीं है यद्यपि इनके पास पाँच लाख एवं दो लाख से अधिक आबादी वाले नगर की जिम्मेदारी है।

### 1.13.5 प्रशिक्षण की कमी

न ठो अ मैनुअल के प्रस्तर 19.5.1 में प्रावधान है कि सफाई कर्मचारियों एवं पर्यवेक्षण स्टाफ के लिए लघु एवं मध्यम अवधि के कोर्स बनाए जाने चाहिए। स्थानीय निकायों द्वारा अप्रशिक्षित स्टाफ हेतु विशेष प्रशिक्षण तथा समस्त स्टाफ हेतु रिफ्रेशर कोर्स के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

<sup>105</sup> नगरीय ठोस अपशिष्ट (न ठो अ) का नियंत्रित निस्तारण एवं वैज्ञानिक उपचार करने हेतु वैज्ञानिक भू-भरण विकसित किया जाता है।

दोनों न नि के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के बीच न तो कोई निधियां आवंटित की गईं और न ही न ठो अ कार्य में लगे स्टाफ की दक्षता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कराया गया।

इसे इंगित किये जाने पर, दोनों निगमों ने अवगत कराया कि शहरी विकास निदेशालय से इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं मिला। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि स्थानीय निकाय स्वयं प्रशिक्षण कराने हेतु जिम्मेदार था और प्रशिक्षण दिये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए थी।

### 1.13.6 श्रम शक्ति, उपकरण, बिन एवं वाहनों की कमी

ठो अ प्र परियोजना के उपयुक्त क्रियान्वयन हेतु उचित श्रमशक्ति, उपकरण, कूड़ेदान और वाहन आधारभूत आवश्यकता है। दोनों निगमों में इन आवश्यकताओं की स्थिति निम्न तालिका-1.13.5 में दर्शायी गयी है।

तालिका-1.13.5: ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन हेतु आवश्यक श्रमशक्ति, उपकरण, कूड़ेदान और वाहनों की स्थिति

विवरण	आवश्यकता		उपलब्धता		कमी (प्रतिशतता में)		
	न नि देहरादून	न नि हरिद्वार	न नि देहरादून	न नि हरिद्वार	न नि देहरादून	न नि हरिद्वार	
श्रमशक्ति	1,215	1,000	785	817	430 (35)	183 (18)	
कूड़ेदान	इंपर प्लेसर (डी पी- 8.1 मीट्रिक टन)	90	-	60	-	30 (33)	-
	4.5/3.5 घ मी कूड़ेदान	-	275	-	207	-	68 (25)
	कौम्पैक्टर प्लेसर (सी पी-1.1 मीट्रिक टन)	190	100	90	40	100 (53)	60 (60)
वाहन	145	80	99	61	46 (32)	19 (24)	
उपकरण	16	225	7	178	9 (56)	47 (21)	

स्रोत: न नि देहरादून और हरिद्वार के अभिलेखों से संग्रहित सूचना।

उपरोक्त तालिका से उपकरणों, वाहनों, कूड़ेदानों और श्रमशक्ति की कमी स्पष्ट होती है, न नि देहरादून में यह कमी 32 से 56 प्रतिशत और न नि हरिद्वार में 18 से 60 प्रतिशत थी। जैसाकि ऊपर के प्रस्तरों में पहले चर्चा की गयी है श्रमशक्ति, वाहन और अन्य उपकरण अप्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रमुख सहायक कारक थे।

इसे इंगित करने पर, निगमों ने बताया कि निधियों की कमी के कारण उक्त कमी है और प्रकरण पर राज्य सरकार के साथ चर्चा की जा रही है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दोनों निगमों में प्रत्येक वर्ष के अंत में अव्ययित राशि पड़ी थी, जैसाकि प्रस्तर 1.13.3.1 में वर्णित किया गया है।

### 1.13.7 ठेका प्रबंधन

ठोस अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन और अन्य सम्बन्धित सेवाओं हेतु न नि द्वारा फ़र्मों के साथ हस्ताक्षरित अनुबन्धों में पायी गयी कमियाँ निम्नलिखित वर्णित हैं:

#### 1.13.7.1 न नि देहरादून से सम्बन्धित ठेका प्रबंधन

(i) पर्यावरण की मंजूरी को सुनिश्चित किए बिना अनुबंध करना:

भारत सरकार ने देहरादून नगर में ठो अ प्र हेतु जे एन एन यू आर एम योजना अंतर्गत ₹ 24.60 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की (मई 2008)। इस कार्य हेतु अक्टूबर 2008 से मार्च 2014 की अवधि में न नि देहरादून ने ₹ 15.99 करोड़<sup>106</sup> धनराशि प्राप्त की। भू-उपयोग की पर्यावरणीय

<sup>106</sup> केंद्रान्श ₹ 12.79 करोड़ और राज्यांश ₹ 3.20 करोड़ (80:20)।

स्वीकृति सुनिश्चित किये बिना न नि ने नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक फ़र्म के साथ 15 वर्षों की अवधि हेतु एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया (मार्च 2011) और इसे ₹9.66 करोड़ अंतरित भी किये।

अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि अनुबंध हस्ताक्षरित किये जाने के दो वर्ष छः माह के बाद भी न नि भूमि के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति लेने में असफल रहा। परिणामतः, ठेके के नियम एवं शर्तों के अनुसार फ़र्म निगम को उपयुक्त नोटिस देकर ठेके के अनुबंध से बाहर हो गयी (फरवरी 2014)। फ़र्म ने ₹3.06 करोड़ की लागत से 60 वाहन भी क्रय (मई 2011 से जुलाई 2012) किये थे। इसके अतिरिक्त अनुबंध के कार्यकाल के दौरान फ़र्म ने ₹6.60 करोड़ व्यय किये जिसका विवरण न नि उपलब्ध न करा सका। शेष ₹6.33 करोड़ निगम के पास मार्च 2014 से निष्क्रिय पड़े थे। इससे निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये धन के उद्देश्य की पूर्ति न हो सकी।

(ii) **भुगतान में अनियमितता:** अनुबंध के निरस्त हो जाने के बावजूद निगम ने पूर्व फ़र्म द्वारा लगाए गये श्रमिकों को अपशिष्ट संग्रहण हेतु लगाए रखा और उनके वेतन के भुगतान हेतु अगस्त 2014 से मई 2015 के बीच फ़र्म को ₹1.51 करोड़ अंतरित किये। यह अनियमित था क्योंकि फ़र्म के साथ अनुबंध फरवरी 2014 में समाप्त हो गया था।

इसे इंगित किये जाने पर न नि देहरादून ने अवगत कराया कि चूंकि तत्काल आधार पर अपशिष्ट के संग्रहण हेतु मानव शक्ति की आवश्यकता थी, मजदूरों को किराए पर लगाया गया और फ़र्म के माध्यम से भुगतान किया गया।

#### 1.13.7.2 न नि हरिद्वार से सम्बन्धित ठेका प्रबंधन

**अधोमानक कार्य:** न नि हरिद्वार द्वारा, चंडीघाट के पास (जैसाकि चित्र संख्या 11 में दर्शित है) श्यामपुर रेंज में वन भूमि जो वन प्रखण्ड, हरिद्वार के नियंत्रण में है को, जनवरी 2016 तक कूड़ास्थल के रूप में प्रयोग किया जा रहा था।



चित्र संख्या 11: हरिद्वार में चंडीघाट स्थित भू भरण स्थल

इस पर वन विभाग ने आपत्ति दर्ज की। उसके बाद, न नि हरिद्वार ने इस भूमि पर कूड़ा डालना बन्द कर सराय स्थित स्वयं की भूमि पर कूड़ा डालना प्रारम्भ किया। चंडीघाट स्थल को मिट्टी से ढकने हेतु ₹60.00 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया था। इस कार्य को एक फ़र्म को दिया गया (अगस्त 2016) जिसे फ़र्म ने सितम्बर 2016 में पूरा कर दिया।

स्थल के भौतिक सत्यापन (जुलाई 2017) में पाया गया कि कूड़ा स्थल पर मिट्टी डालने का कार्य अपर्याप्त था क्योंकि कई स्थानों पर अपशिष्ट दिखाई दे रहा था। चूंकि, यह स्थल गंगा नदी के बहाव क्षेत्र के बहुत पास है अतः वर्षा के दिनों में अपशिष्ट के बह कर नदी में जाने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।

इसे इंगित किये जाने पर, न नि हरिद्वार ने अवगत कराया (जुलाई 2017) कि कार्य को एक परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा पर्यवेक्षित किया गया था और कार्य की निम्न गुणवत्ता की फ़र्म के साथ चर्चा की जाएगी।

### 1.13.8 पर्यावरण पर प्रभाव

न ठो अ नियम-2000 में निक्षालितक के संग्रहण एवं इसके उपचार का प्रबंधन कूड़ास्थल के आस पास भूजल के आवर्ती अनुश्रवण द्वारा प्रावधानित है। सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा व्यापक वायु की गुणवत्ता की जाँच भी करनी चाहिए।

यह पाया गया कि न तो दोनों न नि अथवा न ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (रा प्र नि बो) ने वर्तमान ट्रेडिंग ग्राउंड के आस पास के क्षेत्रों में भूजल और व्यापक वायु के मापदण्डों की गुणवत्ता जाँच की थी। ट्रेडिंग ग्राउंड पर निक्षालितक प्रबंधन का प्रावधान भी नहीं किया गया था। इन मापदण्डों की जाँच और अनुश्रवण के अभाव में पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर अपशिष्ट द्वारा हुए प्रदूषण के प्रभाव का आंकलन नहीं किया जा सका।

इसे इंगित किये जाने पर, रा प्र नि बो ने अवगत कराया कि दोनों न नि में अपशिष्ट प्रसंस्करण की इकाई और निस्तारण स्थल निर्माणाधीन थे, जैसे ही ये सुविधाएँ विकसित कर स्थापित कर दी जाएगी, बोर्ड निर्धारित प्रक्रिया एवं आवश्यकता अनुसार परिवेशी वायु और जल गुणवत्ता के मानदण्डों का अनुश्रवण शुरू कर देगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई और अपशिष्ट निस्तारण स्थल के बिना भी भूजल और परवेशी वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण न नि एवं रा प्र नि बो का दायित्व है।

### 1.13.9 सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति

सतत विकास लक्ष्य (स वि ल) का उद्देश्य सार्वभौमिक रूप से लागू लक्ष्यों का एक समूह बनाना है जो सतत विकास के तीन आयामों पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक को संतुलित करता है। कुल मिलाकर 17 लक्ष्य स वि ल के रूप में निर्धारित किये गये हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना है।

स वि ल का 11वां लक्ष्य 'सतत शहरों और समुदायों' की अवधारणा से सम्बन्धित है। इसका उद्देश्य हमारे शहरों और मानव बसावटों को सम्मिलित, सुरक्षित, लचीला एवं सतत बनाना है। तथापि, दोनों न नि अपशिष्ट के संग्रहण और निस्तारण की वर्तमान प्रणाली, जैसाकि पूर्व के प्रस्तरों में वर्णित है, इंगित करता है कि अपशिष्ट के संग्रहण में कमी के साथ-साथ वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट का निस्तारण भी नहीं था, इन दोनों के कारण वातावरण को गंभीर खतरा था। न तो वर्तमान ट्रेडिंग ग्राउंड के आस पास के क्षेत्रों के भूजल और परवेशी वायु मापदण्डों की जाँच की गई और न ही सम्बन्धित ट्रेडिंग ग्राउंड पर निक्षालितक प्रबंधन के लिए प्रावधान किया गया। ये सभी विषयक प्रकरण है तथा दर्शाते हैं कि इन शहरों को साफ, लचीला एवं सतत बनाने के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

### 1.13.10 अनुश्रवण तंत्र

न ठो अ नियम प्रावधानित करते हैं कि नगरीय प्राधिकारी को, ठोस अपशिष्ट की मात्रा एवं संरचना, भंडारण सुविधा, परिवहन और मलिन बस्ती का विवरण उल्लिखित करते हुए निर्धारित प्रारूप में

वार्षिक प्रतिवेदन सचिव शहरी विकास विभाग को तथा प्रतिलिपि रा प्र नि बो को प्रत्येक वर्ष 30 जून अथवा उसके पहले, प्रेषित करना चाहिए। रा प्र नि बो, इसके बाद, न ठो अ नियम, 2000 के क्रियान्वयन के संबंध में एक वार्षिक प्रतिवेदन बनाकर इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अग्रसारित करेगा (प्रत्येक वर्ष 15 सितम्बर तक)। अभिलेखों की जाँच में इस प्रक्रिया के अनुपालन का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

इसे इंगित किये जाने पर, न नि ने स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि जानकारी के अभाव में वार्षिक प्रतिवेदन नहीं भेजे जा रहे हैं और भविष्य में भेजे जाएंगे।

#### **1.13.11 निष्पादन लेखापरीक्षा (2008) में की गई संस्तुतियों का अनुपालन न होना**

सी ए जी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2008) में प्रकाशित (निष्पादन) लेखापरीक्षा “अपशिष्ट का प्रबंधन” में निम्नलिखित अनुशंसाएँ की गयी थीं:

- गैर-सरकारी संगठन (एन जी ओ) एवं नागरिक संगठनों के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम चलाकर पृथक्करण के संबंध में अधिक से अधिक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि पृथक्कृत प्लास्टिक, अपशिष्ट पुनर्चक्रण प्लांट में जाए, जैव रूप से अपघटित अपशिष्ट से कम्पोस्ट बने और शेष भू-भरण में डाला जाए।
- अपशिष्ट की प्रसंस्करण एवं निस्तारण इकाई की स्थापना हेतु एक समयबद्ध योजना तैयार की जानी चाहिए। इसी बीच, वर्तमान कूड़ास्थल के सुधार एवं कूड़ा स्थल के आस-पास वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण को कम करने के प्रयास किये जाने चाहिए।

दोनों न नि के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि आठ वर्षों के उपरांत भी उपरोक्त संस्तुतियों का पालन नहीं किया गया था जैसाकि इस प्रतिवेदन के **प्रस्तर 1.13.4.2 और 1.13.4.4** में उल्लिखित है।

#### **निष्कर्ष**

न ठो अ नियम का अनुपालन शहरी स्थानीय निकाय नहीं कर रहे थे। स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण नहीं किया जा रहा था और सभी वार्डों में घर-घर से संग्रहण भी नहीं किया जा रहा था। एस एल एफ एवं कम्पोस्ट इकाई के स्थापित न होने/पूर्ण न होने के कारण अपशिष्ट के निस्तारण और प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त तकनीक प्रयोग में नहीं लायी गयी। ठोस अपशिष्ट आंशिक रूप से संग्रहित किया गया, खुले वाहनों में परिवहन किया गया एवं बिना पृथक्करण के डम्प किया गया। ट्रेडिंग ग्राउंड पर लगे कार्मिक बिना किसी सुरक्षा उपायों के कार्य कर रहे थे। अनुश्रवण की प्रक्रिया भी कमजोर थी जिसके परिणामस्वरूप, परियोजना में विलंब एवं खराब क्रियान्वयन हुआ।

प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया गया (अगस्त 2017); उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।